हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

10.09.2020/1100/SS-HK/1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : क्या कोई बहुत ज़रूरी विषय है? वैसे तो अभी प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल के बाद अपनी बात कर लीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा मसला है।

अध्यक्ष : आप प्रश्नकाल के बाद अपनी बात कर लीजिए। क्या नियम-67 से भी ज्यादा ज़रूरी विषय है? मैं आपको प्रश्नकाल के बाद समय दूंगा। आप बैठिये। तीसरे दिन के बाद प्रश्नकाल शुरू हो रहा है। माननीय मुकेश जी, आप संक्षेप में अपनी बात रखिये।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल अपने कंक्लूडिंग भाषण में यह कहा कि कांग्रेस के विधायक जो यहां हैं अगले जन्म में ताली बजाते हुए आए हैं। आपने तो पूरे देश में तालियां-थालियां बजवाईं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने रैफर किया है हम उनका भी बहुत सम्मान करते हैं। अगर ट्रांसजैंडर या दूसरी किसी कैटेगिरी के बारे में मुख्य मंत्री जी ऐसी धारणा रखते हैं तो सही नहीं है। उनके मंदिर बने हैं, लोग उनकी पूजा करने जाते हैं, उनकी मान्यता करते हैं और मुख्य मंत्री जी का इनके बारे में क्या ऑपिनियन है! दूसरे अपने कुलिग्स और विपक्ष के बारे में मुख्य मंत्री जी की क्या सोच व मान्यताएं हैं इससे पता लगता है। हर अखबार में खबर है कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अगले जन्म में तालियां बजाते हुए आए हैं।

दूसरा, मुख्य मंत्री जी ने विपक्ष को अड्रैस करते हुए कहा है कि ये बेशर्म और बेहया हैं, कम-से-कम मुख्य मंत्री जी से ऐसी शब्दावली की हम उम्मीद नहीं करते। तीन साल हो गए हमने मुख्य मंत्री पर डायरेक्ट ऐसी कोई बात नहीं कही है जिस ढंग से आपने इधर के सदस्यों को बेशर्म और बेहया कहा है। ...(व्यवधान)... कहा है, माननीय सदस्य, यह रिकॉर्ड की बातें हैं।

अध्यक्ष : आपका विषय आ गया। आप जो बोलना चाहते थे वह बात आ गई।

10.09.2020/1100/SS-HK/2

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कंक्लूड करने दें। मुख्य मंत्री जी का एक बात कहना मैटर करता है कि ऑपोजिशन के सदस्यों के लिए क्या कहा जा रहा है और जो छपा है उसमें लिखा है कि कांग्रेस विधायक वैल में बैठकर तालियां बजा रहे हैं अगले जन्म में ऐसे ही आएं।

तीसरा, कांग्रेस या बी0जे0पी0 के किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि हम वेतन कटने से नाखुश हैं। मुख्य मंत्री जी ने इसको ट्विस्ट किया है और अखबार में छपा है कि वेतन काटने से नाखुश तो पैसे वापिस होंगे। आप पैसे कहां से वापिस कर देंगे? आप बिल ला रहे हैं तो पैसा जबरन कटना ही है। आप कहां से किसको वापिस कर देंगे? मैं इस बात में नहीं जाता। लेकिन आप बता दें कि कांग्रेस या आपके किस मेम्बर ने वेतन की बात की है। यहां पर सिर्फ विधायक निधि की बात आई है। मुख्य मंत्री जी, आप रिकॉर्ड देख लेना, आपसे पहले मुकेश अग्निहोत्री और हमारे सदस्यों के विधान सभा से पैसे कटे होंगे। आपने यह ट्विस्ट किया है, आप जो बाहर दिखाना चाहते हैं वह गलत है। एम0एल0ए0 के वेतन की बात कहीं भी नहीं आई है। सिर्फ विधायक निधि की बात आई है और जब हम अध्यक्ष महोदय से मिलने गए थे तो आपको भी याद होगा कि हमने उस समय भी विधायक निधि की बात की थी और आपने भी जब विधायक निधि काटी थी तो मुझे फोन किया था तथा यह कहा था कि मैं इसको जल्दी रिव्यू करूंगा। यह बात हुई थी।

जारी श्रीमती के0एस0

10.09.2020/1105/केएस/एचके/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी---

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो ये तीन बाते कही हैं, इनको इन पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि ये अपने कलीग्ज़ को किस स्प्रिट में लेते हैं? ताली बजाने का इनका क्या अभिप्राय है, बेशर्म, बेहया के बारे में इनका क्या अभिप्राय है? तीसरा, वेतन काटने को ले कर जो इन्होंन बयान दिया, ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकले, मुख्य मंत्री जी इनको वापिस लें, यह मुझे कहना है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ-साथ मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया के सबसे बड़े संकट के विषय पर इस विधान सभा ने इतिहास दर्ज करके उस पर चर्चा को नियम -67 के अंतर्गत स्वीकार किया। उस पर चर्चा जब हो रही थी, हमने सारी बातों को सुना। विपक्ष की ओर से एक नहीं, अनेक बार ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया लेकिन मैंने उसके बावजूद भी उन शब्दों पर कभी रिएक्ट नहीं किया। हमने चर्चा में सारी बातों को सुनने का मन बनाया था और सारी बातों को सुना। उसके पश्चात् सारी डिस्कशन को कन्क्लूड करने के बाद जब हम अपना जवाब देने के लिए यहां पर खड़े हुए तो वहां से जिस प्रकार की स्लोगन शाउटिंग हो रही थी- हो गया जय राम तेरा काम, ऐसे शब्दों का आप लोगों ने चयन किया है। मेरा नाम जय राम है और जिस तरह से आपको इसको लेना है, आप ले सकते हैं। हम जब यहां पर जवाब दे रहे थे, उसमें बाधा डालने के लिए आप यहां पर ताली बजाते रहे। हमने तो इतना ही कहा कि आप अगले जन्म में ऐसे माहौल में पैदा हों, खुशी के माहौल में पैदा हों। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप इसको कहीं राजनीतिक दृष्टि से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ...(व्यवधान) किसी परिवार में अगर कोई जन्म होता है तो ताली बजाकर उसका अभिनन्दन करना बुरी बात नहीं है। आपका अभिनन्दन इस प्रकार से हो। हमारा अभिप्राय वह नहीं था जो आप सोच रहे होंगे। आपको बहुत ख़राब लगा होगा।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, बेशर्म का अगर हमने अपने भाषण में ज़िक्र किया होगा, बेशर्म बोलने का हमारा यह अभिप्राय था...(व्यवधान) आप हमको दलाल,

10.09.2020/1105/केएस/एचके/2

चोर-लुटेरे बोलते रहे, आप लोगों ने क्या-क्या शब्दों का इस्तेमाल किया? अध्यक्ष महोदय, फिर तो एक-एक सदस्य की स्पीच को देखना पड़ेगा, जहां दलाल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लुटेरे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इस तरह से तो उन पर भी विचार होना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः मुकेश जी, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान) कृपया बैठिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमने इनको नहीं कहा था। हमने कहा था कि आप सदन के नेता हैं, आप प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, हमने दलाल शब्द आपको नहीं कहा था। हमने कहा था कि बाहर परमिट के दलाल घूम रहे हैं, इसके बावजूद उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया था ।...(व्यवधान) आपने जो कहा, अखबारों में छपा है। 70 लाख लोगों ने वही पढ़ा जो अख़बारों में छपा है।

मुख्य मंत्रीः देखिए, आप इसको घूमा-फिरा कर जहां ले जाना चाह रहे हैं, ले जाइए। ...(व्यवधान) हमने किसी एक भी माननीय सदस्य को बेशर्म या बेहया नहीं कहा। हमने तो ओवरऑल कहा कि परिस्थितियां विपक्ष की, विपक्ष का मतलब आप जो अंदर हैं, वे ही नहीं हैं, आपके लोग बाहर भी हैं, जो आप लोगों के चेले हैं, हमने उन सबके बारे में भी कहा। ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः मुख्य मंत्री जी, यह तो हमारे अपने कानों से सुनी हुई बात है। क्या आप इन शब्दों को वापिस ले रहे हैं या नहीं?

मुख्य मंत्रीः आप कहां सुन रहे थे? आप तो यहां वैल में आकर तालियां बजा रहे थे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, आप बैठिए। आपने जो प्रश्न रेज़ किए थे, उनका उत्तर आ गया है। ...(व्यवधान) बिल्कुल, उत्तर आ गया है। आप बैठिए। ऐसा है कि मुझे सदन चलाना है।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.9.2020/1110/av/yk/1

अध्यक्ष : ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान) आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है उसके बावजूद इस सदन का माहौल ख़राब किया जाता है। ...(व्यवधान) आप बैठिए। आपने क्या कहा; मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। आप बैठिए। ...(व्यवधान)

लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मर्यादा में रहकर बात करनी होगी। ...(व्यवधान) आप बैठिए। ...(व्यवधान) बिल्कुल नहीं। आप बैठ जाइए, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं। ...(व्यवधान) आप यहां पर समाचार पत्रों में छपी खबर का ज़िक्र कर रहे हैं और मैं सुबह-सुबह प्रश्नकाल के दौरान इस प्रकार का विषय नहीं लाना चाहता क्योंकि यहां पर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। इसलिए मैं अपनी बात बाद में रखूंगा ताकि यह प्रश्नकाल शुरू हो सके। यहां पर नियम-67 के अंतर्गत लगभग 2 दिनों तक चर्चा हुई तथा तीसरे दिन जाकर सदन के माननीय नेता ने उस पर विस्तारपूर्वक यानी लगभग तीन घंटे उत्तर दिया। ...(व्यवधान) आप बात सुनिए। चर्चा के दौरान यदि कोई इस प्रकार के शब्द आए होंगे तो मैं उनकी छानबीन करके उस बारे में कार्रवाई करूंगा। आप अपने स्थान पर बैठिए। प्रश्नकाल आरम्भ।

10.9.2020/1110/av/yk/2

प्रश्न काल

स्थगित प्रश्न संख्या : 2447

श्री लखविन्द्र सिंह राणा प्राधिकृत माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी।

श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर) : अनुपस्थित

प्रश्न संख्या : 2530

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय कुमार जी।

श्री विनय कुमार : अनुपस्थित

अध्यक्ष : आज के प्रश्न। ...(व्यवधान) आप बैठिए, बिल्कुल मैं मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रख रहा हूं। अगर आपने कुछ करना ही है तो मैं उसके लिए आपको बाधित

नहीं करता। अगर आप इस प्रश्नकाल में शामिल नहीं होना चाहते तो वह आपके ऊपर निर्भर है। ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी मंशा कभी भी आपको हर्ट करने की नहीं रही है। आप डेढ़ घंटा नारेबाज़ी करते रहे। भावनाएं उधर ही नहीं इधर भी हैं और आपको इस बात को भी समझना चाहिए। भावनाओं का सम्मान करने की जिम्मेवारी अगर सब लोग लें तो ऐसी परिस्थिति ही निर्मित्त नहीं होगी। यहां पर नियम-67 के अंतर्गत चर्चा का जवाब देने के लिए आपकी तरफ से एक ऑनैस्ट कमिटमैंट की गई थी कि हम आपका जवाब सुनेंगे। आपने यह बात सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह कही है।

श्री टी सी द्वारा जारी

10.09.2020/1115/टी.सी.वी./वाई.के.-1

माननीय मुख्य मंत्री... जारी

उसके बावजूद भी आप जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आप लोग नारे लगाते रहे; नाम के साथ हमारे नारे लगाते रहे। ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आप पिछली विधान सभा में सत्र के दौरान पूरा-पूरा दिन नारे लगाते रहे। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री: आप पिछली विधान सभा की बातें न करें। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि आपने अपनी बात कह दी है। आपने अपनी बात रजिस्टर्ड की; आपकी भावनाएं आहत हुई; भावनाएं इस ओर की भी आहत हुईं हैं। भविष्य में आप भी इन बातों का ख्याल रखें और हम भी ख्याल रखेंगे।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यहां पर सैलरी के काटने की बात आई है। इसका ज़िक्र हुआ होगा तभी यह बात सामने आई है। सैलरी काटी गई या हमने 30 प्रतिशत सैलरी दी है इस तरह से बातें की गईं। लेकिन जो दे दिया उसका ज़िक्र मत करें; हमने बस इतनी सी बात कही है। जब हम कोई चीज दे देते हैं, समाज के लिए कोई चीज दान कर दी तो

उसका ज़िक्र नहीं किया जाता है। आप बार-बार उस चीज को लेकर सरकार पर एहसान डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने सैलरी दे दी। इसलिए हमने कहा कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि आपने बहुत बड़ा एहसान किया है तो हमें लिखकर दे दीजिए और हम उसको वापिस कर देंगे। ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आप किसी की सैलरी वापिस नहीं दे सकते हैं। यहां पर बिल आया है। आप सदन के नेता है; आप क्या बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : यह ठीक है कि बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन मैंने अपनी भावनाएं यहां पर रखी हैं। ...(व्यवधान) आप हमारी बात सुन तो लीजिए। यह इस सदन में कभी नहीं हुआ है कि जब मुख्य मंत्री किसी बात का जवाब दे रहे हों तो विपक्ष के नेता खड़े होकर बोलते ही रहे। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता है।

10.09.2020/1115/टी.सी.वी./वाई.के.-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं; आप बैठ जाइए। हम इस सदन को चलाना चाहते हैं और मैंने पहले भी कहा है कि इस चर्चा के दौरान इस प्रकार के शब्द आए होंगे तो मैं रिकॉर्ड देखूंगा और उस पर निर्णय लूंगा। ...(व्यवधान) मैं रिकॉर्ड की जांच-पड़ताल करूंगा और उसके बाद ही निर्णय लूंगा। ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय मुख्य मंत्री जी इतने बड़े ओहदे पर बैठें हैं, ये क्यों नहीं अपने शब्द वापिस करेंगे?

(पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में खड़े होकर आपस में नोंकझोंक करने लगे)

...(व्यवधान)

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी ..

10.09.2020/1120/RKS/AG-1

(... व्यवधान)

अध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यो से आग्रह है कि कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं। (... व्यवधान) मैंने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, आप कृपया बैठ जाइए। (... व्यवधान)

(माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर दोनों पक्षों के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर बैठ गए।)

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्नकाल से पूर्व एक बात कही है। ये पिछले सत्रों की याद दिला रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि पिछले सत्रों में भी ऐसा ही होता था। पिछले सत्रों में भी इस तरह के बहुत शब्द बोले जाते थे। लेकिन मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता हूं। बहुत बातें होती थी और जब हम उन शब्दों को रेज करते थे तो यह कह दिया जाता था कि हमारी इस तरह की कोई मंशा नहीं है। सदन के नेता ने भी यही कहा है कि मेरी इस तरह की कोई इंटैशन नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी ने रूलिंग दी है कि यदि कोई असंसदीय शब्द होगा तो मैं उस पर निर्णय लूंगा। मुझे लगता है कि इस रूलिंग के बाद यह मैटर सैटल होना चाहिए। This is stretching a point. (... व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मेरी कोई इंटैशन नहीं थी और यदि ऐसा कोई शब्द प्रयोग हुआ है तो उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी है और इसका रिकॉर्ड देखकर निर्णय लिया जाएगा। (... व्यवधान) आप प्रश्न काल को चलने दीजिए। हिमाचल प्रदेश की जनता अपने प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहती है। (... व्यवधान) हिमाचल की जनता अपने प्रश्नों के उत्तर पर फैसला चाहती है। माननीय अध्यक्ष की रूलिंग आ गई है और यदि ऐसा कुछ लग रहा है तो हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन इस समय आप प्रश्न काल चलने दीजिए। (... व्यवधान) आप अख़बार में छपी ख़बर को पढ़कर संदेश नहीं दे सकते। सदन में क्या हुआ, इसका क्या रिकॉर्ड है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आप प्रश्न काल चलने दीजिए। उसके बाद हम इस पर चर्चा कर लेंगे। (... व्यवधान)

10.09.2020/1120/RKS/AG-2

अध्यक्षः माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी कृपया आप बैठ जाइए। (... व्यवधान) मैं जानता हूं कि इस आसन के प्रति आपका कितना सम्मान है? (... व्यवधान) यह व्यवस्था मैं बाद में दूंगा। मैं माहौल को खराब नहीं करना चाहता हूं। (... व्यवधान) माननीय सदस्य आप समाचार पत्रों के माध्यय से यह संदेश देने की कोशिश करेंगे तो यह भी मर्यादा के भीतर नहीं है। (... व्यवधान) मैं इस चीज का जिक्र बाद में करूंगा। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर का प्रदेश की जनता को इंतजार है। इन प्रश्नों के उत्तर माननीय मुख्य मंत्री एव माननीय मंत्रियों ने देने हैं उसके बावजूद भी आप इस सत्र को चलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं सारे रिकॉर्ड को देखूंगा और उसके बाद जो असंसदीय शब्द होंगे उन्हें हम एक्सपंज करेंगे। (... व्यवधान) आज जो प्रश्न लगे हैं उसमें माननीय सदस्य, हीरा लाल जी आप अपना प्रश्न पूछिए।

10.09.2020/1120/RKS/AG-3

<u>प्रश्न संख्याः 2980</u>

श्री हीरा लाल (करसोग): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के गठन के लिए जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कदम उठाएं हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रदेश में काफी समय से यह मांग की जा रही थी कि पंचायतों का पुर्नगठन किया जाए। ये पंचायतें जनसंख्या और दूरी के मापदंडों के आधार पर बनाई गई है।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

10.09.2020/1125/बी0एस0/ए0जी0/-1

प्रश्न संख्या : 2980 जारी...

श्री हीरा लाल जारी

मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में छह पंचायतों की नोटिफिकेशन हुई। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरी और भी नई पंचायतों के गठन के प्रस्ताव आए थे जिन्होंने ये मापदंड फुलफिल किए हैं जिनमें ग्राम पंचायत मोघ से दूसरी पंचायत बाघ का गठन होना था, ग्राम पंचायत भनेरा से गाओ का, चाबीधार से कटोन का सौंवी धार से धुंधन का और तेबल सराहन से कोटलू का गठन होना था। यदि ये सभी पंचायतें तय मापदंडों को पूर्ण करती हैं तो क्या इन पंचायतों का भी गठन किया जाएगा?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी यह बात ठीक है कि प्रजातंत्र में जनता की मांगे महत्वपूर्ण होती हैं तथा प्रजातंत्र की सरकारें लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुसार काम करती है। वर्ष 2005 में नई पंचायतों का गठन किया गया था। उस वक्त 206 पंचायतें बनी । हिमाचल प्रदेश के अन्दर बहुत सा पिछड़ा हुआ एरिया है और जो सामान्य क्षेत्र भी है उसमें भी बड़ी-बड़ी पंचायतें थी जहां लोगों को 20-25 किलोमीटर का सफर तय कर अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए जाना पड़ता था। माननीय मुख्य मंत्री जी की यह सोच थी कि इस समस्या को हल करने के लिए नई पंचायतों का गठन किया जाए। इसमें जनगणना का कार्य भी शुरू हो गया था और जनसंख्या विभाग की और से एक निर्देश जारी हो गया था कि नई इकाइयों का गठन नहीं होगा। बीच में कोरोना जैसी महामारी आई, लॉकडाउन लगा और यह जनगणना का कार्य बंद हो गया। उसके बाद फिर से विभाग की और से निर्देश आए कि अगर आप 31 दिसम्बर तक कोई नई इकाइयों का गठित करना चाहते हैं तो आपके पास समय है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिए और सरकार ने कुछ मापदंड तय किए। उसमें यह तय हुआ कि जहां पर आबादी 2000 से अधिक है, वहां के हाउस होल्ड 500 से अधिक हैं तथा पांच किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। दूसरा पिछड़ा क्षेत्र के लिए मापदंड तय हुए कि वहां पर 400 हाउस होल्ड, 1800 की आबादी तथा चार किलोमीटर की दूरी यह तय की गई। तीसरा जनजातीय क्षेत्र के लिए 300 होउस होल्ड, 750 की आबादी और 300 से ज्यादा उसी संख्या होनी चाहिए। इस तरह से पंचायतें बनी जो 22.08.2020 को हमने

230 नई पंचायतों का गठन किया है। मानीय अध्यक्ष जी ये पूरे मापदंडो के अनुसार सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन की है। परंतु बीच में एक ग्राम पंचायत जिसकी नोटिफिकेशन नगर पंचायत के रूप में हुई वह अंब है और एक नई पंचायत प्रताप नगर बनाई थी और बाद में इसे डी डीनोटिफाई किया गया था। इसके बाद भी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा-3 (I) के अन्तर्गत सरकार ने

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

10-09-2020/1130/ए.एस.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या 2980.....ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी.....

अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे गांव जिसकी जनसंख्या 1000 से कम और 5000 से अधिक न हो उसे इस अधिनियम के परियोजन के लिए एक या अधिक सभा में गठित करने की घोषणा की जा सकेगी। जिसमें उसका मुख्यालय भी बताना होगा। इसमें भौगोलिक दृष्टि, दूर संचार के साधन व अन्य किसी प्रकार की छूट देनी पड़ जाए तो सरकार द्वारा इस प्रकार की छूट देकर कुल 96 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो इस मापदंड में नहीं आते लेकिन अभी भी दूर-दराज क्षेत्र हैं और उन्हें भी अलग पंचायतें बनना चाहिए। लेकिन संविधान के अनुसार हमारी बाध्यता है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाए जाएं। इसके लिए हमारे पास बहुत अधिक समय न होने के कारण और अधिक नई पंचायतों का गठन करना संभव नहीं है। हमने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कुल 325 नई पंचायतों का गठन किया है।

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम नई पंचायतों के गठन का स्वागत करते हैं क्योंकि इससे विकास भी अधिक होता है। मैं जानना चाहता हूं कि नोन-ट्राइबल में मिनिमन क्राइटेरिया 1000 रखा गया है लेकिन अभी भी कुछ नोन-ट्राइबल पंचायतें ऐसी हैं जिनकी आबादी 500 से भी कम है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें हटाया जाए और हम उनका भी स्वागत करते हैं। मेरे क्षेत्र में

एक कोटि पंचायत है जिसका एक ऐरिया सिरमौर से और दूसरा ऐरिया अश्विन पुल (जुन्गा) से लगता है। उस पंचायत को विभाजित करने के लिए सारे कागज़ात वर्ष 2019 में जमा करवा दिए गए थे परंतु उस पंचायत को कैसे विभाजित करना है उसका निर्णय ग्राम पंचायत में नहीं हो पाया था। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उस पंचायत का सारा मसौदा उपायुक्त कार्यालय में मौजूद है और उस पंचायत को भी विभाजित कर दिया जाए। जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके क्योंकि जितनी ज्यादा पंचायतें बनेंगी उतना अधिक विकास होगा।

10-09-2020/1130/ए.एस.-एन.जी./2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **माननीय सदस्य जी ने जो जानकरी उपलब्ध करवाई है मैं उसे एग्ज़ामिन करूंगा।** मैंने अभी कहा कि हमारी प्राथमिकता चुनाव करवाना है लेकिन यदि समय हुआ तो इसे जरूर एग्ज़ामिन करूंगा।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में मैं भी सम्मलित हूं हालांकि मैंने नियम-130 के अन्तर्गत 'पंचायतों के पुनर्गठन' विषय पर चर्चा मांगी थी और आपने इसे कन्वर्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बड़सर में तीन पंचायतों को अलग किया गया है। मुझे सुनने में आया है और कुछ लोगों का प्रतिनिधिमण्डल भी मुझसे मिला था कि मुरसु सुल्तानी पंचायत को अलग करके पटेरा नाम से नई पंचायत बनाई गई है जोकि बहुत जरूरी थी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि इसकी दो पंचायतें बनाई गई हैं। लेकिन अभी वहां पर कुछ लोग राजनीतिक आधार पर इन दोनों पंचायतों को फिर से एक पंचायत बनाना चाहते हैं। यदि ऐसा होता है तो पटेरा निवासियों व अन्य 10-12 गांवों के लोगों के साथ सरासर अन्याय होगा। पटेरा, डोडरू, जोहड़, कसीरी, उझाण और घलोण आदि गांवों के निवासियों को मुरसु सुल्तानी आने के लिए 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इस पंचायत को विभाजित करने के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव भी डाला गया था

लेकिन अब वही पंचायत के नुमाइंदे फिर से इस पंचायत को एक करने के लिए दवाब डाल रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में अपना प्रश्न पूछिए।

10-09-2020/1130/ए.एस.-एन.जी./3

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आपने जिन-जिन पंचायतों का गठन किया है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पंचायतों के पुनर्गठन के लिए आपको अन्य पंचायतों से भी प्रस्ताव मिले हैं। हमारे क्षेत्र में और भी बड़ी-बड़ी पंचायते हैं जैसे सकरौला पंचायत, जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि उनका पंचायत घर 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसी प्रकार चकमौह, बिजड़ी, बड़सर, करियर, मक्कड़ आदि पंचायतें भी बहुत बड़ी-बड़ी हैं। क्या कारण है कि आपने केवल 2-3 पंचायतों को ही अलग किया?

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

10/09/2020/1135/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 2980 क्रमागत----श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारीजारी------
यह जो जल्दबाजी में काम किया गया है, यह पंचायतों का एक-तरफा कार्यक्रम हुआ है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि क्या आप इन पंचायतों के बारे में, जैसे यहां क्याराबाग पंचायत का भी लिखा है कि पांच किलोमीटर की दूरी है, यह ठीक नहीं है। अगर आप वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखेंगे तो यह पंचायत अलग होनी बहुत जरूरी थी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि इनके क्षेत्र में तीन पंचायतें नई बनाई गई हैं। हमारे पास 22 अगस्त, 2020 तक चार प्रस्तावनाएं इनके वहां से मिली थीं। जो प्रस्तावनाएं आई थीं उनको हमने एग्ज़ामिन किया और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव से क्षेत्र की आवश्यकता को समझते हुए तीन पंचायतों का गठन किया है। जिस मुरसू सुल्तानी की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं,

वहां के लोग मेरे से भी मिले थे कि यह एक अलग पंचायत बननी चाहिए और वह अलग पंचायत बनी है। अब पता नहीं लोगों के क्या ऑब्जैक्शन्ज 15 दिन के अंदर जिलाधीश के माध्यम से आए हैं। जो भी ऑब्जैक्शन्ज आए हैं और **जैसे माननीय सदस्य ने बात ध्यान में लाई है, विभाग उसको एग्ज़ामिन करेगा और उसके ऊपर सही निर्णय लेगा।** दूसरा, जो माननीय सदस्य ने बड़ी-बड़ी पंचायतों की बात की है, मैं उन सभी पंचायतों को भौगोलिक दृष्टि से जानता हूं। वहां संख्या ज्यादा हो सकती है लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यदि प्रस्ताव समय पर आता तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते।

अध्यक्ष : इसी प्रश्न में माननीय सदस्य, श्री विनय कुमार जी भी अपनी बात रखेंगे।

श्री विनय कुमार(श्री रेणुकाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने पंचायतें बनाने में बैकवर्ड पंचायतों के लिए कुछ रूल्ज एण्ड रेगुलेशन्ज में रिलैक्स किया है जबकि पहले यह नॉर्म्ज में नहीं था कि ऐसा किया जाएगा। उस आड़ में आपने बहुत सारी अपनी पंचायतें अलग की हैं। दूसरा, मेरे क्षेत्र में पहले 57 पंचायतें थीं और अब 61 हो गई हैं। आपने चार पंचायतें

10/09/2020/1135/MS/DC/2

नई बनाई हैं। जो आपने चार नई पंचायतें बनाई हैं, उनसे बड़ी-बड़ी पंचायतें चोकर, लाणाचेता, नेहर और लुधियाणा हैं। ये ऐसी-ऐसी पंचायतें हैं जिनमें 28-28 गांव एक ही पंचायत में हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहाड़ी क्षेत्र है। इन पंचायतों और पंचायत घर की दूरी आपस में लगभग 8 से 10 किलोमीटर है और पहाड़ी क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूरी होती है। इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो पंचायतें अपने नॉर्म्ज को फुलफिल करती हैं क्या आप भविष्य में उनको अलग पंचायत बनाने का प्रस्ताव रखेंगे? इसके अलावा, जो आपके पंचायती राज के चुनाव होने हैं, उनमें आप कौन सा रोस्टर फॉलो करेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि 22 अगस्त, 2020 तक हमारे पास जितनी भी प्रस्तावनाएं आई हैं और हमने समय-समय पर लोगों से आवेदन पत्र मांगे भी थे तथा फिर 31 तारीख तक इसकी डेट को बढ़ाया भी था तो इस बीच जितनी

भी हमारे पास प्रस्तावनाएं आई हैं हमने उनको सही मापदण्ड पर क्योंकि एक मापदण्ड हमें तय करना पड़ता है। अतः हमने उन प्रस्तावनाओं को मापदण्ड के ऊपर, न कि राजनीतिक आधार के ऊपर एग्जामिन किया। मुझे तो लगता है कि जो पंचायतें बनी हैं वे शायद माननीय सदस्य के ध्यान में भी नहीं होंगी। लेकिन पंचायतों की तरफ से जो प्रस्तावनाएं आईं, हमने उन पंचायतों को बनाया है। जो माननीय सदस्य आगे की बात कर रहे हैं तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। भविष्य में भी बनाएंगे।

अध्यक्ष : माननीय विनय जी, मंत्री जी ने काफी विस्तार से उत्तर दे दिया है। मंत्री जी आप रोस्टर के बारे में बता दीजिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुसार हर पांच साल में रोस्टर में परिवर्तन होता है। रोस्टर रोटेट करेगा।

10/09/2020/1135/MS/DC/3

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से उत्तर दे दिया है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 22 जनवरी से पहले पंचायतों के चुनाव होने हैं बल्कि उनकी ओथ भी 22 जनवरी से पहले होनी है। क्या आप सदन को आश्वासन देंगे,
जारी जे0के0 द्वारा------

10.09.2020/1140/JK/DC/1

प्रश्न संख्याः 2980:--------जारी------

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः-------जारी-----

कि 22 जनवरी से पहले यह कार्य मुकम्मल कर दिया जाएगा और चुनाव समय पर किए जाएंगे? दूसरे, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा जैसे कि इन्होंने कहा कि समय नहीं बचा है, इसलिए विभाग ने पंचायतें बनाने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए और आज आप डी.सी. को भी ऑब्जैक्शन्ज़ सुनने के लिए 7 दिन शिकायत के लिए दे रहे हैं तथा 3 दिन

डिसाइड करने के लिए दे रहे हैं। वैसे तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आपने हदबन्दी भी करवा दी थी और वोटर्ज़ लिस्ट फाइनल हो रही थी। जब आपने इस प्रोसैस को बीच में रोका और कहा कि पंचायतें बनानी हैं, अब आपके पास केवल दो महीने बचे हैं यानि अक्तूबर और नवम्बर बचा है। 15 नवम्बर से पहले क्या आप पंचायतों की हदबन्दी कर देंगे? कोई कट ऑफ डेट आप बताएंगे कि हदबन्दी कब तक पूरी हो जाएगी? वोटर्ज़ लिस्ट पंचायतों की कब तक पूरी कर दी जाएगी? रोस्टर कब तक आप लगा देंगे और कोड ऑफ कंडक्ट आप कब तक लगाने जा रहे हैं? ये चार चीजें आप सदन को बताएंगे कि समय में चुनाव हो जाएंगे। दूसरे, जो नगर निगम और नगर पालिका बना रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह विषय इनके साथ नहीं है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः हालांकि इससे उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन उनके चुनाव भी टल जाएंगे। दो साल का उसमें प्रोविजन है कि दो साल तक आप चुनाव कभी भी करवा सकते हैं। क्या मंत्री जी इसमें आश्वासन देंगे। दूसरे, जो पंचायतें बनी हैं, बैकवर्ड पंचायतों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारे मापदण्ड बदल दिए। इनका सारा चुनाव क्षेत्र बैकवर्ड है। .....(व्यवधान)

10.09.2020/1140/JK/DC/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछिए। यह चर्चा नहीं है। आप प्रश्न पूछिए। आप पंचायती राज मंत्री जी से पंचायतों से सम्बन्धित प्रश्न पूछिए। .....(व्यवधान) आप प्रश्न पूछिए, मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, बैकवर्ड एरिया के लिए 631 पॉपुलेशन .....(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह उचित नहीं है। आप प्रश्न पूछिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : मुख्य मंत्री के वहां पर 20-25 पंचायतें बन गई और बाकी सारे रह गए। यह तौर-तरीका सरकार चलाने का क्या हुआ कि आपकी पंचायतें तो बन गई .....(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह किसी विषय के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। आप प्रश्न पूछिए ताकि और सदस्यों को भी मौका मिले।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से चार बातें पूछना चाहता हूं। क्या चुनाव समय में होंगे? हदबन्दी कब तक होगी? वोटर्ज़ लिस्ट कब तक फाइनल होगी और कोड ऑफ कंडक्ट कब तक लगेगा?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, संक्षेप में कहें। अभी तक आपने काफी जानकारियां दे दी हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाए हैं, जैसे ही यह नोटिफिकेशन होगी और यह प्रोसैस खत्म होगा उसके बाद अगला प्रोसैस शुरू हो जाएगा। मैं इनको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव तय समय-सीमा में ही होंगे।

10.09.2020/1140/JK/DC/3

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया है। अध्यक्ष महोदय, पंचायत के चुनाव जब भी होते हैं और नई पंचायतों के गठन के लिए आग्रह आते हैं। विधान सभा में जन-प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित बात कहते हैं। उसके साथ-साथ जो हमारी पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे लोग भी बात करते हैं और आम जनता भी बात करती है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात को देखा है कि पिछले 15 वर्षों से पंचायत का गठन नए सिरे से नहीं हुआ है और बहुत लम्बा समय हो गया है। उसकी वज़ह यह है कि वर्ष 2010 में जब इस प्रक्रिया को हम शुरू करने लगे तो उस वक्त भी सेंसिज़ डिपार्टमैंट में गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया की नोटिफिकेशन आ गई और उन्होंने

सारे रेवन्यू युनिट, डवलपमैंट युनिट फ्रीज़ कर दिए और कहा कि नई पंचायतों का गठन व नये रेवन्यू युनिट का गठन नहीं हो सकता है। उसकी वॉयलेशन नहीं हो सकती है। सेंसिज़ डिपार्टमैंट की जो नोटिफिकेशन है, उसकी वॉयलेशन स्टेट नहीं कर सकती । वह स्टेट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस प्रकार से जो वर्ष 2010 में पंचायतों का गठन शुरू किया था वह काम हमें स्थगित करना पड़ा। वर्ष 2015 में जब पंचायतों के चुनाव के गठन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, वह भी नहीं हो पाई और उस वक्त आप लोग ही थे। उस वक्त भी सुझाव आए थे, आग्रह आए थे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

10.09.2020/1145/SS-HK/1

प्रश्न संख्या : 2980 क्रमागत

मुख्य मंत्री क्रमागत :

और अब 2020 में फिर से पंचायत के चुनाव से पहले हमारे पास बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधियों व आम जनता के आग्रह आए कि नयी पंचायतों का गठन होनी चाहिए। हमें भी लगा कि यह आवश्यक भी है क्योंकि लम्बा अरसा हो गया है और पंचायतों का गठन नहीं हो पाया है। बहुत जगह पापुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पंचायत को वहां पर डवलमैंट के काम करने में कठिनाई आती है। उस दृष्टि से हमें पंचायतों का गठन करना आवश्यक भी लगा। हमने हिमाचल प्रदेश में प्रक्रिया शुरू की और हमने समय रहते जैसे माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि बिल्कुल सही समय पर जब यह प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी उसी वक्त हमने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आप गलत कह रहे हैं कि हमने प्रक्रिया शुरू नहीं की और देरी से शुरू की। हमने समय पर प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस बीच में फिर से गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के सैंसस डिपार्टमैंट की नोटिफिकेशन आ गई कि हमारा सैंसस का काम शुरू हो रहा है और मार्च, 2021 तक यह काम पूरा होना है तब तक के लिए कोई रेवेन्यू/डवलपमैंट यूनिट नये नहीं बन सकते हैं। इसलिए सारा मामला फिर से फ्रीज हो गया। हमको सारा काम रोकना पड़ा। उसके बाद जब बीच में ऐसी परिस्थिति आई कि कोविड-19 आ गया और उसकी वजह से सैंसस डिपार्टमैंट का जनगणना का प्रोसैस

शुरू नहीं हो पाया। वह प्रभावित हुआ। केन्द्र सरकार को ऐसा लगा कि यह कोविड का दौर लम्बा चल सकता है ऐसी परिस्थिति में यह उचित नहीं होगा कि अगर कहीं पर ऐसी ज़रूरत होगी तो हम सारे रेवेन्यू यूनिट/डवलपमैंट यूनिट को फ्रीज करके रखें। इसलिए उन्होंने उस नोटिफिकेशन को विदड्रा किया और उसके बाद कहा कि नये सिरे से दिसम्बर तक नये यूनिट बना सकते हैं। चूंकि हमारा सैंसस का डिपार्टमैंट इस काम को शुरू नहीं कर पा रहा है तो आप नये रेवेन्यू /डवलपमैंट यूनिट बना सकते हैं। जब यह नोटिफिकेशन हुई तो उसके बाद हमने इस प्रक्रिया को तेज गति से शुरू किया। हमने कहा कि हम तो ऐसा चाहते हैं और बार-बार सब लोगों की तरफ से आग्रह आ रहा है कि नई पंचायतें बननी चाहिएं। हमने इस दृष्टि से शुरूआत की है। जहां तक माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया हमारी कोशिश है कि हर सम्भव प्रयत्न करके जो हमारा पंचायत का चुनाव

10.09.2020/1145/SS-HK/2

शिडयूल है उसका हम पालन करें। उससे पहले ही इस प्रक्रिया को पूर्ण करके हम पंचायत के चुनाव करवाएं।

दूसरी जहां तक बैकवर्ड एरिया की बात कही गई। बैकवर्ड एरिया हिमाचल प्रदेश में एक विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। आपका आनी का क्षेत्र पूरा-का-पूरा बैकवर्ड है। आपके रोहड़ू का पूरा ब्लॉक बैकवर्ड है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के भी दो ब्लॉक बैकवर्ड हैं। चम्बा जिले में कितने ब्लॉक बैकवर्ड हैं। आपका द्रंग विधान सभा क्षेत्र का काफी एरिया बैकवर्ड है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बैकवर्ड एरियाज़ में ऐसी पंचायतें हैं जिनके हैडक्वार्टर रोड कनैक्टिविटी के साथ जुड़े नहीं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसी बहुत सारी पंचायतें हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय एक कम्प्लीट जस्टिफिकेशन है कि पापुलेशन और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पंचायतों के लिए क्राइटेरिया बनाना था तथा हमने ट्राईबल का एरिया भी इसमें डाला है। ट्राईबल में भी बहुत सारा इलाका ऐसा है अगर पापुलेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से जाएं तो वहां पर पापुलेशन बहुत कम होती है। लाहौल-स्पिति में पापुलेशन बहुत कम होती है लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वहां उसकी जस्टिफिकेशन बनती है। ऐसे में हमने वहां के लिए भी उस व्यवस्था को किया है। आपकी हमारे ही विधान सभा क्षेत्र पर नज़र क्यों रहती है? आप आशा जी के क्षेत्र

को देखिये। विनय जी के क्षेत्र को देखिये। आप पच्छाद का इलाका देखिये, वह भी बैकवर्ड है। आप करसोग, दरंग, आनी, चौपाल, रोहड़ू, रामपुर का इलाका देखिये, वह भी बैकवर्ड है। आप पूरे हिमाचल प्रदेश में देखिये तो सही। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय यह निर्णय लिया गया कि कुछ जगह अगर भौगोलिक दृष्टि से दूरी बहुत ज्यादा है, सड़क की कनैक्टिविटी नहीं है, आने-जाने में कठिनाई है तो वहां पर पापुलेशन के क्राइटेरिया को थोड़ा रिलैक्स किया गया है। यही मुझे आपके बीच में कहना है।

इसके बाद मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो शायद 230 पंचायतों का ज़िक्र माननीय मंत्री जी ने किया, उसके बाद कुछ जगह से सुझाव व प्रस्ताव आए और उसके बाद यह नम्बर थोड़ा और बढ़ रहा है। हालांकि हम कोविड की परिस्थिति में बहुत मन से नहीं थे कि हम पंचायतों को बढ़ाएं लेकिन फिर भी उसके बावजूद जन-प्रतिनिधियों और उसके साथ आम जनता का भी आग्रह बहुत जोरों से है

जारी श्रीमती के0एस0

10.09.2020/1150/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्या- 2980 जारी----

मुख्य मंत्री जारी---

इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए, उसको पूर्ण करने की दृष्टि से हमने यह निर्णय लिया है और मैं समझता हूं कि इसका स्वागत होना चाहिए।

10.09.2020/1150/केएस/एचके/2

प्रश्न संख्या 2981

श्री विक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, शायद विभाग को भी इस सड़क के बारे में पता नहीं है। 14 साल से यह 10 किलोमीटर सड़क नहीं बनी। यह पिछड़ा क्षेत्र है। मेरी बैकवर्ड पंचायत है सुरप्ला जो अभी रोड़ के साथ लिंक नहीं है। 26 नवम्बर, 2006 में इस सड़क की

स्वीकृति मिली थी और वर्ष 2007 में काम अवार्ड हुआ था। कांग्रस की सरकार थी और विधायक भी वहां पर कांग्रेस के ही थे। जो काम अवार्ड हुआ वह उनके चेहते ठेकेदार को न मिलकर किसी और को मिला। वे कोर्ट में चले गए और 9 साल तक कोर्ट में केस चला। जब वर्ष 2013 में मैं विधायक बना, मैंने कोर्ट में खुद केस चलाया परन्तु दुख इस बात का है कि उसके बाद भी इस सड़क की फोरैस्ट क्लीयरैंस हो चुकी थी, 77,77,300/- रुपये एन.पी.वी. फोरैस्ट को जमा था फिर भी आज तक पेड़ नहीं कटे। दूसरे, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि अब जो सैकिण्ड फेज़ में जो यह रुपेणा-कथयारी वाया परसियारी सड़क है, यह परसियारी से आगे एक किलोमीटर पहुंच चुकी है। मैं आश्वासन चाहता हूं कि क्या इस सड़क को सैकिण्ड फेज़ में गांव कथयारी तक पहुंचाएंगे और इस सड़क का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि इस सड़क का कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था। जैसे कि इस प्रश्न के माध्यम से माननीय सदस्य की पीड़ा झलक रही है, खासतौर से कठिन इलाका है, सड़क की आवश्यकता है, पिछड़ा हुआ है। इस कार्य के लिए वर्ष 2007-08 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फेज़-7 में 02,75,63,000/- रुपये स्वीकृत हुए थे। यह भी सत्य है कि इस सड़क की कुल लम्बाई 10 किलोमीटर है और उसमें से 5.200 किलोमीटर तक वह सड़क बन गई है। क्योंकि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़-1 मार्च, 2020 में बन्द हो गई और उसकी वजह से यह काम भी बन्द करना पड़ा। यह काम अगर आगे नहीं बढ़ पाया तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि यहां पर पेड़ काटने के लिए जो प्रोसैस होना था, उसके न होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा विलम्ब हो गया और अभी तक

भी इसमें बहुत ज्या पेड़ थे, उसकी वजह से हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह **बताना चाहता हूं, जो शेष बची हुई सड़क है, जैसे ही इन पेड़ों को काटने की अनुमति मिलती है, उसके बाद हम उसका कार्य तुरन्त पूर्ण कर लेंगे और मैं इस बात को सुनिश्चि करुंगा कि इसमें कोई भी विलम्ब न किया जाए।** अध्यक्ष महोदय, उसमें लगभग टोटल 587 पेड़ हैं जो अभी कटने बाकी हैं । मैं चाहूंगा कि वन विभाग इस सारे प्रोसैस को जल्दी से जल्दी पूर्ण करे ताकि सड़क का निर्माण हो सके क्योंकि यह सड़क बहुत आवश्यक भी है, दुर्गम क्षेत्र को जोड़ती है और दुर्गम क्षेत्र के साथ-साथ बहुत लम्बे समय से इस सड़क का काम चला है। **मैं माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पेड़ कटने के पश्चात् इस सड़क का काम पूरा करने की दिशा में विभाग काम करेगा।**

प्रश्न समाप्त

अगला प्रश्न श्रीमती अ0व0 द्वारा----

10.9.2020/1155/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 2982

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि 2 मैगावाट से लेकर के किसी भी विद्युत परियोजना को 20,000 रुपये की पेनल्टी लगाकर के ट्रांसफर किया जा सकता है। मैंने माननीय मंत्री जी की यह बात तो मान ली परंतु कोई भी प्रोजैक्ट 5 साल में तैयार होता है मगर बैंक वाले 6 महीने बाद ही उसके चक्र लगाने शुरू कर देते हैं। अतः लोगों की इस दिक्कत के बारे में विभाग के पास क्या समाधान है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि करोड़ों रुपये की जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं। उनमें अगर कहीं नैचुरल क्लेमिटी होती है तो रैवन्यू मैनुअल के हिसाब से पैसा मिलता है। इसलिए लोग उसमें डर रहे हैं कि अगर कोई नैचुरल क्लेमिटी आती है तो हमारा यह प्रोजैक्ट नहीं चल सकता। आज प्रदेश के हर गांव में बच्चे बी0टैक0 (इलैक्ट्रिकल) करके घूम रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार ने जो सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने का आश्वासन दिया है तो इस तरह के प्रोजैक्ट पहाड़ी एरिया में कई जगह लग सकते हैं। सौर

ऊर्जा का प्रोजैक्ट जो 6 महीने में तैयार हो जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश में इस तरह के प्रोजैक्ट लगाने का आश्वासन देंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर काफी विस्तार से दिया गया है। यहां पर जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इसको 20,000 रुपये की पेनल्टी देकर के ट्रांसफर किया जा सकता है। दो मेगावाट से कम कैपेसिटी के प्रोजैक्ट भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं और उसमें 49 प्रतिशत शेयर गैर हिमाचली को दिये जा सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें करोड़ों रुपये की राशि इनवॉल्व होती है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रोजैक्ट के लिए अप्लाई करता है तो वह अपने सारे सोर्स व इनकम टैक्स की स्टेटमैंट अटैच करता है कि मैं कैसे प्रोजैक्ट बनाऊंगा और उसके बाद ही उसको वह प्रोजैक्ट अलॉट किया जाता है। इसमें प्रोविजन रखा गया है कि यदि वह प्रोजैक्ट ले लेता है और उसके

10.9.2020/1155/av/hk/2

पास उस प्रोजैक्ट को तैयार करने हेतु पैसा नहीं है तो वह 2 मैगावाट तक के प्रोजैक्ट के अपने 49 प्रतिशत शेयर किसी गैर हिमाचली को दे सकता है तथा 51 प्रतिशत और 100 प्रतिशत शेयर भी किसी हिमाचली को बेच सकता है। जब प्रोजैक्ट चले हुए दो वर्ष हो जाएं तो सारे शेयर किसी गैर हिमाचली को भी दे सकता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी प्रोजैक्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसके सारे सोर्स ऑफ इनकम देखकर उसको प्रोजैक्ट अलॉट किया जाता है। जहां तक सौर ऊर्जा की बात है तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो व्यक्ति सौर ऊर्जा का प्रोजैक्ट लेने के लिए अप्लाई करेगा

श्री टी सी द्वारा जारी

10.09.2020/1200/टी.सी.वी./एच0.के.-1

प्रश्न संख्याः 2982 क्रमागत

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री... जारी

और मापदण्ड पूरे करेगा वह प्रोजैक्ट लगा सकता है। लेकिन बड़े प्राजैक्ट्स की कंडीशन्ज अलग हैं। उसमें यह देखा जाता है कि जब वह बिजली पैदा करेगा तो उसकी खपत कहां होगी? उसके मापदण्ड अलग है और उनको पूरा करने पर हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रोजैक्ट भी लग रहे हैं।

प्रश्न काल समाप्त

10.09.2020/1200/टी.सी.वी./एच0.के.-2

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब कागजात सभा पटल पर रखें जाएंगे। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1986 की धारा-45(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, विश्वविद्यालय, पालमपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष :अब शिक्षा मन्त्री, कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याः ई.डी.एन.-ए-ख(2)150/2010-लूज़ दिनांक 27.02.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.03.2020 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

10.09.2020/1200/टी.सी.वी./एच0.के.-3

समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः

i. समिति का 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के 51वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड से सम्बन्धित है; और
ii. समिति का 35वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के 69वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः

i. समिति का 26वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के 16वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति के 11वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20)

10.09.2020/1200/टी.सी.वी./एच0.के.-4

में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (2020-21) समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन जो कि आयुर्वेद विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपःस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री हीरा लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (2020-21) समिति का 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2020-21), समिति का 20वां मूल प्रतिवेदन जो कि कृषि विभाग की गतिविधियों पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

10.09.2020/1200/टी.सी.वी./एच0.के.-5

विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, कार्य-सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा प्रस्ताव भी करेंगे कि उसे अंगीकार किया जाए।

कर्नल इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के ग्यारहवां प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) की एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी करता हूं।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में की गई सिफारिशों से सहमत है"।

तो प्रश्न यह है कि कि "यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में की गई सिफारिशों से सहमत है" ?

प्रस्ताव स्वीकार ।

गैर सरकारी कार्य श्री आर.के.एस. से शुरू जारी ..

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

अध्यक्षः आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। श्री रमेश चंद ध्वाला जी द्वारा दिनांक 05.03.2020 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर अब आगे चर्चा होगी। अब माननीय सदस्य श्री रमेश चन्द ध्वाला जी आप इस विषय को रखेंगे इसलिए आपको बोलने के लिए 15 मिनट और अन्य सदस्यों को बोलने के लिए 10-10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अब आप अपना विषय रखिए।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले सत्र में प्रस्तुत अपने प्रस्ताव "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश मे खैर व चन्दन के वृक्ष काटने व विक्रय करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे।" पर चर्चा करना चाहता हूं। खैर व चंदन की संपदा हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं इसलिए मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी आपने समय निर्धारित कर दिया है मैं कोशिश करूंगा कि मैं निर्धारित समय पर अपनी बात को समाप्त करूं। हमारे इलाके में एक मिलिट्री ऑफिसर सूद जी थे, वह कहीं बाहर से दो पौधे लाए थे। यह उन्हीं की देन है कि आज ज्वालामुखी की सरकारी व निजी भूमि में खैर व चंदन के लाखों पौधें लगे हुए हैं और वहां पर अब इन पौधों का जंगल बन चुका है। यह लकड़ी दवाइयों के काम आती है और चंदन का तिलक भी लगाया जाता है। इस लकड़ी का पूरे विश्व में महत्व है। लेकिन जो तस्कर हैं वे रात के अंधेरे में इन पेड़ों को काट रहे हैं। ये तस्कर इस लकड़ी को किन मंडियों में पहुंचाते हैं, इस बारे में हमें भी मालूम नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह है कि इस लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए सरकार कोई नीति बनाएं और इन पौधों को लगाने व इनकी लकड़ी बेचने के लिए लोगों को ओथोराइज किया जाए ताकि लोग इस लकड़ी को मार्किट तक पहुंचा सकें। जिन मंडियों में तस्कर इस लकड़ी को बेचते हैं वहां यह

लकड़ी लगभग 6-7 हजार रुपये प्रति किलो बिकती है। अभी कुछ महीने पहले कुछ तस्कर बेनकाब होकर आए और अस्पताल में ड्यूटी दे रहे चौकीदार

10.09.2020/1205/RKS/YK-2

को बंद करके अस्पताल के प्रागण में लगे पेड़ को काटकर ले गए। इसी तरह एक जमींदार का पेड़ लगभग अढ़ाई क्विंटल का हो चुका था लेकिन जब उस जमींदार को अस्पताल में हुई घटना का पता चला तो उस जमींदार को अपने पेड़ की चिंता होने लगी। उस जमींदार ने चंदन के पेड़ में रस्सी बांधकर उस रस्सी को अपनी चारपाई में लपेट दिया ताकि जब रात के अंधेरे में तस्कर इस पेड़ को काटे तो उस पता चल जाए। जब एक दिन तस्कर उस पेड़ को काटने लगे तो उसकी चारपाई भी आगे-आगे खिसकने लगी। जब उस जमींदार ने उठकर देखा तो उसने पाया कि गांव के आसपास के लड़के ही उस चंदन के पेड़ को काट रहे थे। जब उसने शोर मचाया तो उन लड़कों ने उसे डेढ़ लाख रुपये दिए और उस चंदन के पेड़ को काटकर ले गए।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

10.09.2020/1210/बी0एस0/ए0जी0/-1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी...

मैं यह कह रहा हूं कि इस लकड़ी का बहुत महत्व है। हमारी गुरबत है और गरीबी है इसलिए हमें लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए। मैं माननीय वन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, वे यहां तो शेर की तरह दहाड़ते हैं परंतु अब जंगल में क्या करते हैं वह आगे पता चलेगा। ये नौजवान हैं और बड़े विजनरी भी है। कर्नाटक में जब मैं गया था हमारी कमेटी वहां पर गई थी, आदरणीय ठाकुर साहब भी गए थे वहां पर उन्होंने बताया कि वहां पर 12-15 हजार रुपए में इसकी लकड़ी बिकती है और इसके अलावा 15-20 हजार रुपए एक लीटर तेल बिकता है। इसकी मांग विदेशों में और यहां भी बहुत होती है। मैं यह कहने जा रहा हूं कि यहां पर अगर लोगों को जगरूक किया जाए और विभाग में ऐसी अवेयरनेस आ जाए तो जो भूमि बेकार पड़ी है उसका इस्तेमाल हो सकता है। एक

व्यक्ति ने कहा कि मैंने 100 पौधे लगाए थे और 100 पौधे 16 वर्ष के बाद मैंने दो करोड़ रुपए में बेचे। एक कर्मचारी को नौकरी करने के बाद 30-40 लाख रुपए मिलता है। मैं कहना चाहूंगा कि इस बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए किसानों और बेरोजगारों को इस बारे में कोई परीक्षण दिया जाए तो अच्छा रहेगा। विभाग इसमें शोध कर सकता है कि इन पौधों को पक्षियों की बीट से तैयार किया जाता है। वैसे ये आक्सीजन कम लेते हैं इसलिए इनके नजदीक फूल और मिर्च लगाई जाती है तब यह बड़ा पेड़ बनता है। हमारे तो लाखों पौधे हैं और विभाग को सोचना चाहिए कि इन पौधों को कैसे निकाल करके किसानों को बांटा किया जाए। आदरणीय ठाकुर राम लाल जी यहां पर बैठे हैं इनके बिलासपुर में भी ये पौधे बहुत हैं। आदरणीय बिक्रम जी के इलाके में हैं। हिमाचल में गर्म इलाकों में भी ये पौधे उग रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में नीति निर्धारित की जाए और इसे लिगलाइज किया जाए ताकि वे लोग अपने चंदन के पेड़ों को बेच सकें। सरकार को भी इसकी आमदन होगी क्योंकि सरकार इसमें 10 प्रतिशत टैक्स ले सकती है। यदि दो लाख रुपए का चंदन बिका तो 20 हजार रुपए सरकार को मिल जाएगा। जो लोग इसकी तस्करी करते हैं वे बिस्तरों में लपेट करके पता नहीं कहां-कहां इसे बेच रहे हैं? विभाग को इसके बारे में लोगों को जागरुक करना चाहिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। हम अपने बच्चों के लिए इस प्रकार का कार्य करके जाएंगे तो वे भी हमारी प्रशंसा करेंगे। माननीय मंत्री जी यहां दहाड़ते हैं अगर दिल्ली में दहाड़ेंगे तो अच्छा कार्य हो सकता है। खेर की बात आई है।

एन0 जी0 द्वारा जारी...

10-09-2020/1215/ए.जी.-एन.जी./1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी.....

तो हमारे जिला कांगड़ा, ऊना, चम्बा व हमीरपुर में बहुत खैर के पेड़ है। मैं कहना चाहता हूं के सरकारी भूमि में खैर के इतने अधिक पेड़ हैं जिनकी वैलिडिटी खतम हो चुकी है। कई पेड़ तो 40-50 साल से भी ज्यादा पुराने और अंदर से खोखले हो चुके हैं। उन पेड़ों को काटकर तस्करी करने वाले ले जा रहे हैं। करोड़ों रुपये की सम्पति ऐसे ही पड़ी हुई है। विभाग द्वारा एक सर्वे करके इस प्रकार के पेड़ों को चिन्हित किया जाना चाहिए। मैं

माननीय मंत्री श्री राकेश पठानिया जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप अपने इंस्पैक्टर जनरल व अन्य अधिकारियों के समक्ष इस सारी बात को रखिए। उसके बाद आप माननीय कोर्ट में जाइए और ग्रीन फैलिंग के ऊपर लगे प्रतिबंध को पुनर्विचार के लिए आग्रह कीजिए क्योंकि इसमें ग्रीन फैलिंग का कोई महत्व ही नहीं है। एक पेड़ पर 3-4 टहनियां ही उगती हैं और 10-15 साल के बाद जब वह खैर 2 फुट का होता है तो उसे भी किसान बेच देते हैं। इस प्रकार हमारी वन सम्पदा को खोखला कर दिया गया है। मेरे कार्यालय के आस-पास कम-से-कम 15 पेड़ सुखे हुए पड़े हैं, आप ऐसे पेड़ों के लिए कोई नीति बनाएं क्योंकि जब आग लगती है तो वे पेड़ जल जाते हैं। मेरा सुझाव है कि टूटा हुआ, सूखा या कोई उख़ड़ा हुआ पेड़ हो तो उसे टाइम बाऊंड किया जाए और 6-8 माह में उस वृक्ष को वहां से निकालने का प्रयास किया जाए। हमारी वन सम्पति ऐसे ही पड़ी हुई है और यदि हम इसे सम्भाल नहीं पाएंगे तो हम लोन लेते रहेंगे। हमारे हिमाचल में इंडस्ट्री, फैक्ट्री आदि की संभावनाएं अधिक नहीं हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वन सम्पदा को सम्भाल लिया जाए तो जिला कांगड़ा ही प्रदेश का सारा कर्ज अदा कर सकता है। माननीय कोर्ट के ऑर्डर से एक सैक्शन लगी है और माननीय मंत्री जी बताएंगे कि उस सैक्शन से सरकार को कितनी आमदनी हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि वन सम्पदा करोड़ो के हिसाब से जंगलों में पड़ी है और खैर बर्बाद हो रहा है। खैर की वैलिडिटी भी होती है और 25-30 साल बाद वह खोखला हो जाता है।

10-09-2020/1215/ए.जी.-एन.जी./2

खोखला होने के बाद लोग उसे काट कर ले जाते हैं और उसकी लकड़ियां उपयोग करते हैं। मैं एक दिन शमशान घाट में गया और वहां पर एक 20-25 किलोग्राम की बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उस अंतिम संस्कार में लगभग 10 क्वींटल सरकारी खैर की लकड़ी का उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार हमारी वन सम्पदा बर्बाद हो रही है। मेरा सुझाव है कि इस पर अध्ययन किया जाए या कोई कमेटी का गठन किया जाए जो फील्ड में जा कर चैक करे कि कितने पेड़ बर्बाद हा रहे हैं। हमारे इलाके में 40-50 साल से

भी अधिक पुराने पेड़ मिल जाएंगे। हमारे पास बहुत वन सम्पदा है और हमें इसके लिए कोई नीति बनानी चाहिए। जैसे गांव में फैलिंग ऑर्डर मिलते हैं उसी प्रकार सरकारी भूमि के भी फैलिंग ऑर्डर मिलने चाहिए ताकि सरकार को आमदनी हो सके। मैं दावे के साथ कहा रहा हूं कि हमें वन सम्पदा से इतनी आमदनी हो सकती है कि जिला हमीरपुर और जिला कांगड़ा ही हिमाचल प्रदेश के कर्जे को अदा कर देगा। पिछले वर्ष मेरे वहां 60 पेड़ काटे गए और ठेकेदार अंधेरे में उन्हें उठा कर ले जाते थे। उस मामले में आज दिन तक कोई नहीं पकड़ा गया है। माननीय मंत्री जी शेर नहीं बबर शेर हैं और इन्हें समय रहते कोई कदम जरूर उठाना पड़ेगा। यदि हमें भी इनके साथ चलना पड़ेगा तो हम भी वहां पर चलेंगे और प्रयास करेंगे कि करोड़ों-अरबों की सम्पति को बर्बाद न होने दिया जाए।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

10/09/2020/1220/MS/AS/1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी-------

आप या तो कोई टीम भेज दीजिए। वहां ए.जी. और मंत्री जी से मिलिए और देखिए वे क्या राय देते हैं। उसके बाद कोर्ट में जाइये और कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए। इस तरह करके हमारा यह कर्ज़ भी माफ हो सकता है और हमारे हिमाचल प्रदेश की गरीबी भी जा सकती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी व वन मंत्री जी से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि don't think politely over it, आप इस बात को गम्भीरता से लें। मैंने आपको आर्थिकी को सुदृढ़ करने का फॉर्मूला बता दिया है। अगर पूरा मंत्रिमण्डल चले और अगर हमारे सहयोग की भी आवश्यकता होगी तो हम भी वहां पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। इस हिमाचल प्रदेश में और इन्कम के सोर्सिज हों, यहां पर विकास हो, ऐसी आशा लेकर इस हिमाचल प्रदेश को हिन्दुस्तान के मानचित्र पर हम देखना चाहते हैं। हमारी और कोई आमदनी तो है नहीं और कर्ज़े पर कर्ज़ा लेते रहो। ये जो हमारी सम्पत्ति बर्बाद हो रही है, इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है। देवदार के 200-200 साल पुराने पेड़ सूख रहे हैं। उनको भी नहीं काटते हैं। उनको काटने के लिए टाइम बाउंड कीजिए। लेकिन यहां तो इसके तीन-चार महकमे बना दिए। कोई वाइल्ड लाइफ और कोई कारपोरेशन बना दिए हैं कि पंछी कोई न मरे और नीचे से दरख्त कोई काटकर ले जाये।

ऐसे विभाग बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जब आग लगती है तो सारे-के-सारे पेड़ जल जाते हैं। यह हमारी सम्पत्ति है। आज 20,000/-रुपये का एक स्लीपर बिक रहा है। अगर इतने सूखे हुए पेड़ों को टाइम बाउंड करेंगे कि छः महीने के अंदर-अंदर सारी लकड़ी बाहर आनी चाहिए तो इससे बहुत फायदा होगा।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय सीमा निश्चित की हुई है लेकिन जो मेरा सुझाव है, वह मैं आज से नहीं बल्कि दो सालों से दे रहा हूं। मैं दो सालों से यहां मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को गम्भीरतापूर्वक टॉप प्रायोरिटी पर लीजिए और इसके लिए अगर हमें भी चलना पड़े, तो हम भी चलेंगे क्योंकि हमारी खैर की लकड़ी बर्बाद हो रही है। हमारे चन्दन के पेड़ों को काटकर तस्कर ले जा रहे हैं। हमारे ज्वालामुखी में एक चन्दन की लकड़ी का तस्कर था। उसके खाते में जब चैक किया तो 55,000,00/-रुपये मिले। यह हमारे हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गारों के लिए भी एक कमाई का साधन है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं हालांकि I treat him as my younger brother, मैंने तो बब्बर शेर भी कह दिया। ये बब्बर शेर ही है और सदन में

10/09/2020/1220/MS/AS/2

दहाड़ते भी हैं। यदि अब ये अपने विभाग में दहाड़ेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमारे संसाधन न बढ़े और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न हो।

मैं इतना ही कहते हुए अध्यक्ष जी आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने निर्धारित समय में अपनी सारी बात रख दी है। आप 17 मिनट बोले हैं और आपकी सारी बात भी आ गई है। अब चर्चा में माननीय सदस्य, राम लाल ठाकुर जी भाग लेंगे। अन्य भी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य बोलेंगे, वे भी कृपया समय का ध्यान रखें।

10/09/2020/1220/MS/AS/3

श्री राम लाल ठाकुर(श्री नैना देवीजी) : अध्यक्ष महोदय, आज रमेश चंद ध्वाला जी जो संकल्प लेकर आए हैं, मैं उसमें अपने आपको शामिल करता हूं और इसके ऊपर मैं अपने कुछ विचार यहां पर माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा।

राकेश पठानिया जी नये मंत्री बने हैं। ये यशस्वी हैं और इनमें कार्य करने की क्षमता भी है। इसलिए मेरे कुछ सुझाव होंगे।

माननीय मंत्री जी, पहली बात तो यह है कि कोई समय था जब हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी यानी जो हमारा रेवेन्यु है, उसमें फॉरैस्ट डिपार्टमैंट नम्बर वन पर हुआ करता था। जब डॉ0 यशवन्त सिंह परमार जी हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री बने थे, उस समय वन विभाग को हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग माना जाता था।

जारी जे0के0 द्वारा-----

10.09.2020/1225/JK/AS/1

श्री राम लाल ठाकुरः------जारी------

जब डॉ0 यशवन्त सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री बनें। अध्यक्ष महोदय, समय ने करवट ली और हुआ यह कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारे जंगल हैं, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए। हिमाचल प्रदेश के लिए मैं कहना चाहूंगा कि माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे, जंगल गेल्टू के नाम से कटते थे। चील के जंगल सेब के लिए पेटियां बनाने के काम आते थे। जब वीरभद्र सिंह जी वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बनें तब उन्होंने ग्रीन फैलिंग पर प्रतिबन्ध लगाया। उसके बाद सेब के लिए कॉर्टन बॉक्सिज़ बनाए गए। हिमाचल प्रदेश में जंगलों में जो कुल्हाड़ी चलती थी, उसमें अंकुश लगा। लेकिन आज हालत यह है कि केन्द्र सरकार भी आदेश करती है और वनों पर आधारित कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं और विचारक हैं, वे कहते हैं कि वन अगर कटेंगे तो पर्यावरण की रक्षा नहीं हो पाएगी। वन अगर कटेंगे तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। वन अगर कटेंगे उससे मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही होगी। मैं कहना चाहता हूं कि 60 परसेंट जंगल लगाने की बात कही गई लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब जंगलों का आकार बढ़ा है। इसमें फोरैस्ट डिपार्टमैंट अपनी जो मर्ज़ी

दलील दें लेकिन ये जो सैटेलाइट के थ्रू लोगों को विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे 2.7 परसेंट जंगल में बढ़ौत्तरी हुई है। सैटेलाइट में कहीं पर भी प्राइवेट फोरैस्ट और गवर्नमैंट के फोरैस्ट में कोई अन्तर नहीं है। जब सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर्ज़ ली जाती हैं तो जमीन के ऊपर जितने भी पेड़ हैं उनकी सारी तस्वीर सामने आती है। हम पौधे भी लगा रहे हैं लेकिन ग्रीन फैलिंग के ऊपर आज भी प्रतिबन्ध लगा है। लेकिन पर्यावरण की रक्षा करने के लिए उन पहाड़ी प्रदेशों के लिए क्या सेन्टर गवर्नमैंट से हमें कोई इन्सैंटिव मिला? कुछ राज्यों के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। एक केरल का केस था, बाद में यू.पी. उसमें शामिल हो गया। माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रतिबन्ध लगा दिया कि ग्रीन फैलिंग नहीं हो पाएगी। हिमाचल प्रदेश में अगर ग्रीन फैलिंग नहीं होगी तो फोरैस्ट कॉर्पोरेशन

10.09.2020/1225/JK/AS/2

ज़ीरो में आ जाएगी। सूखे पेड़ यदि आप हटाएंगे जो कि तूफान से गिर जाते हैं, बरसात में गिर जाते हैं, वे ऐसी-ऐसी जगह में होते हैं कि उनको काटना, सड़क के पास लाना बड़ा मुश्किल काम है जो कि आसानी से नहीं हो सकता । वे पेड़ जंगलों में ही सड़ रहे हैं। उनको काटना और मार्किट में ले कर आना सम्भव नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हमीरपुर और कांगड़ा, दो जगहों के लिए कहा था कि वहां पर आप कुछ फैलिंग कर सकते हैं, चाहे वे चील के हैं या खैर के पेड़ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे बात नहीं बनेगी। श्री रमेश चन्द ध्वाला जी खैर की लकड़ी के बारे में कह रहे हैं और जो प्रस्ताव यहां पर आया है वह चन्दन की लकड़ी के बारे में है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फोरैस्ट डिपार्टमैंट ने हमारे चंगर एरिया में, जहां पर डिप्टी डॉयरैक्टर, एनिमल हस्बेंडरी का ऑफिस है, उसके ऊपर जो जंगल था, उसमें कुछ चन्दन के पेड़ लगाए गए थे। उनकी संख्या 20-25 थी। वे पेड़ तब लगाए होंगे जब हम कभी स्कूल में पढ़ते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आज आप देखें तो आज वहां पर हर दूसरा पेड़ चन्दन का है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

10.09.2020/1230/SS-DC/1

श्री राम लाल ठाकुर क्रमागत :

वहां से हटकर दो किलोमीटर दूर देखें तो वहां पर बाबा कल्याण दास जी के नाम से एक जगह है वह कोई 27 बीघे है। उसको 'हनुमान टिल्ला' बोलते हैं। चूंकि वह ट्रस्ट की जमीन है उसके ऊपर भी 50 परसैंट चन्दन हो गया है। आज अगर गोबिन्द सागर के उस पार ऋषिकेश की तरफ जाएं और सामने की धार को देखें तो आज चन्दन के पेड़ हमारे कोठीपुरा तक आ गए। गोबिन्द सागर के उस पार जगातखाना तक भी पहुंचे। मैं यह कहूंगा कि यह नेचुरल जर्मिनेशन है और कोई एक छोटा-सा पक्षी है जोकि उनको आगे बढ़ावा देता है। पिछले दिनों में बिलासपुर में तस्करों ने पेड़ काटे। वहां पर कट्टा भी छोड़ गए। रात को पेड़ गाड़ियों के अंदर भरते हैं और वह भी बिलासपुर शहर के अंदर से लेकर गए। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे दो मसले आ गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे को इनको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक तो जो लोगों की प्राइवेट लैंड है जिसके वे मालिक है एक तो वह हिस्सा हो गया। उसके ऊपर पौधे हो रहे हैं। उसके ऊपर प्राइवेट फॉरैस्ट भी है, घासनियों में भी हैं। दूसरा, सरकारी जमीन के ऊपर पौधे लगे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकार को कोई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि यह चन्दन के पेड़ तस्कर न ले कर जाएं और इसके ऊपर निगरानी रखने की सख्त ज़रूरत है।

दूसरी चीज़ यह है कि जो प्राइवेट लैंड है उसमें खैर होता है। खैर के जो पेड़ हैं 10 ईयर फैलिंग प्रोग्राम में उसकी परमिशन मिलती है। रेवेन्यू डिपार्टमैंट वहां पर उसकी मार्किंग नहीं करता है। फॉरैस्ट डिपार्टमैंट के भी वहां पर डिप्टी रेंजर और गार्ड जायेंगे तब वह परमिशन मिलती है। यह बड़ा विचित्र तरीका है। इसमें भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तस्करी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पीछे जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो मैं भी सरकार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का चेयरमैन था। उस समय बहुत सारे लोगों ने अखबारों के माध्यम से यह कहा जैसे मान लो सारे-के-सारे जंगल कट गए हैं। लोग क्या करते हैं कि जो अखबारों में देते हैं वे सबसे ज्यादा जंगल काट

कर पंजाब में तस्करी करते हैं और उसके बाद प्रैस कॉफ्रेंस करते हैं। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मेरा नैनादेवी जी का इलाका है उसमें विजीलैंस के लोग गए। वहां पर पुलिस के लोग भी गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपने सारी लकड़ी पकड़ी, आपने तस्करों को भी पकड़ा, उनकी जमानतें भी हुईं लेकिन वे राजनीतिक प्रभाव से छूट जाते हैं।

10.09.2020/1230/SS-DC/2

ऐसे ही कोठीपुरा में जहां पर एम्स बन रहा है वहां पर लाखों रुपये की खैर की लकड़ी कट गई लेकिन जब लोगों को अरैस्ट कर लिया, सारा कुछ हो गया तो उसके बाद पकड़ी हुई लकड़ी कहां चली गई? वह केस कहां पर चला गया? अगर हम ढुल-मुल रवैया अख्तियार करेंगे तो हम जंगलों को बचा नहीं पायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि जो प्राइवेट लैंड है उसके ऊपर जैसे ध्वाला जी ने कहा वहां पर भी चन्दन की पेड़ हो रहे हैं। वहां पर खैर के पेड़ हो रहे हैं। लोग उनका पालन-पोषण करते हैं। अगर किसी के बच्ची है तो वे प्लान करते हैं कि जब उसकी शादी होनी है तो 10 साल के बाद पेड़ काटकर उससे करेंगे। इसी प्रकार इससे मकान बनाना प्लान करते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि इन दोनों को अलग-अलग से रखा जाए और सरकार अगर कर सकती है मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में केस पुराना है जिसमें हमारे को रिलीफ दिया गया था कि दो जगह से आप फैलिंग करके देखें कि क्या होता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो अध्यक्ष महोदय मैं आपसे नैनादेवी फॉरैस्ट की बात करना चाहता हूं जिसमें 25-25, 30-30 सालों के खैर पड़े थे। पिछले दिनों वे सारे-के-सारे साफ हो गए हैं और सारी लकड़ी पंजाब में चली गई। पंजाब में कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री जी कोई ऐसा तरीका अख्तियार करें कि ये जो वन काटू हैं इनके ऊपर अंकुश लगे। वन काटुओं के साथ-साथ जो रात को जमीन काटकर पत्थर और रोड़ी निकाल रहे हैं इससे भी हमारे जंगल तबाह हो रहे हैं। हमारे को यह भी पता लगना चाहिए कि अगर मान लो पी0डब्ल्यू0डी0 का काम चला तो उसकी जहां पर डम्पिंग हो रही है

जारी श्रीमती के0एस0

10.09.2020/1235/केएस/एएस/1

श्री राम लाल ठाकुर जारी---

पहले डम्पिंग साइट का पता लगना चाहिए कि यह कहां पर है। हो यह रहा है कि जंगल खत्म होते जा रहे हैं, हमारी जमीन का कटाव हो रहा है और जितने भी माइनिंग वाले हैं, जंगल के अंदर तक माइनिंग कर रहे हैं जिसका प्रभाव हमारी वन सम्पदा पर पड़ रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया जो चंदन की तस्करी हो रही है, इसको रोकने के लिए फोरैस्ट डिपार्टमैंट का कोई स्क्वॉड बनना चाहिए और विशेषतौर चन्दन की तस्करी पर उनको नज़र रखनी चाहिए।

जहां तक खैर की बात है, मैं कहूंगा कि उसमें तो कोर्ट में भी जाना चाहिए। अगर बड़ा खैर हो जाता है, मंत्री जी, आपको तो मालूम है, आपके और मेरे एरिया में बहुत ज्यादा खैर के पेड़ हैं। 20-25 साल के बाद खैर का पेड़ अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर से जो कत्था निकलता है, अंदर से उसको कीड़ा खा लेता है और पेड़ खड़ा-खड़ा सूख जाता है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी यह बताएं कि यह हमारी सम्पदा है और इससे हिमाचल प्रदेश के लिए इन्कम आएगी। ये जो बड़े पेड़ हैं, जिनको काटने के लिए एक ही अम्ब्रेला के नीचे डाला जाता है कि खैर के पेड़ नहीं कटेंगे और ग्रीन फैलिंग नहीं होगी, इसको अलग करके अलग से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए कि जंगलों में जितने हमारे खैर हैं, इनको काटने के लिए बोली लगाकर फोरैस्ट कॉर्पोरेशन या प्राइवेट किसी को भी दिया जाए क्योंकि उससे हिमाचल प्रदेश की इन्कम में बढ़ौत्तरी होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि फोरैस्ट डिपार्टमैंट कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन वह रात को वहां जंगल में बन्दूक ले कर नहीं बैठेगा। रात को तस्कर आ जाते हैं और सुबह अख़बार में आ जाता है कि पुलिस गई, साथ में रेंजर नहीं गया, तस्कर भाग गए और लकड़ी वहां पर छोड़ गए। पता ही नहीं लगता कि वे कहां चले गए । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि फोरैस्ट विभाग को इसके लिए मदद मिलनी

10.09.2020/1235/केएस/एएस/2

चाहिए और हमारी जो सम्पदा है, यह और ज्यादा कैसे बढ़े, यह देखा जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि दिल्ली में भी हम लोगों को देखना चाहिए कि जब हम ग्रीन फैलिंग पर बैन लगा रहे हैं और हिमाचल को फोरैस्ट से जो इन्कम होती थी, वह बंद हो गई तो उसकी एवज में सैंटर गवर्नमैंट पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पहाड़ी प्रदेशों को क्या दे रही है, उसके ऊपर भी हमें ज़ोर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं वन मंत्री जी से चाहूंगा कि कृपया जिन बिन्दुओं पर मैंने आज बात की है, मैं बाद में भी आपसे डिस्कस करुंगा । इस सम्पदा के लिए जो भी अच्छा हो पाएगा, हम अपने विचार आपको देंगे। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10.09.2020/1235/केएस/एएस/3

अध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री अर्जुन सिंह जी भाग लेंगे।

श्री अर्जुन सिंह (ज्वाली): आदरणीय अध्यक्ष जी, जो विषय माननीय सदस्य श्री रमेश ध्वाला जी ने खैर और चन्दन के बारे में रखा है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिला कांगड़ा, ऊना,हमीरपुर और बिलासपुर में खैर किसान की आय का मुख्य साधन है। जिला कांगड़ा में जहां तक हमारे नूरपुर क्षेत्र की बात है, मुझे गर्व है कि हमारे नूरपुर से ही आदरणीय श्री राकेश पठानिया जी वन मंत्री बने हैं। खैरों की तस्करी की यहां बात की गई, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जब भी किसी जंगल में खैरों की बोली होती है, उन्हें काटा जाता है तो वहां जो निशानदेही करने के लिए लोग जाते हैं, स्थानीय कानूनगो और पटवारी होते हैं और उनके साथ स्थानीय ठेकेदार होते हैं जो ठेकेदार के साथ अवैध ढंग से किसानों के खैरों को भी अपने हिस्से में डाल देते हैं। मैं इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भी जंगल में खैर काटने का काम किया जाता है, वहां कम से कम ऐसी कमेटी बने जो निष्पक्ष रूप से उस जगह की निशानदेही करें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.9.2020/1240/av/hk/1

श्री अर्जुन सिंह-------- जारी

प्रदेश के दूसरे मण्डलों में यदि किसानों के निजी खैर के पेड़ सूख जाते हैं तो उनको काटने की अनुमति दी जाती है। इस बारे में मैं आज सुबह ही एक अधिकारी से बात कर रहा था तथा उन्होंने मुझे बताया कि मैंने नूरपुर सहित प्रदेश के दूसरे कई मण्डलों में नौकरी की है। लेकिन प्रदेश के दूसरे मण्डलों में निजी खैर के सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाती है मगर नूरपुर मण्डल में नहीं दी जाती। मुझे आज सुबह ही एक ठेकेदार व एक पार्टी कार्यकर्ता बता रहे थे कि हमारे यहां अगर निजी भूमि पर कोई खैर का पेड़ सूख जाता है तो हम उसको काटकर ईंधन के लिए उपयोग करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों के निजी खैर के पेड़ जो सूख जाते हैं उनको भी काटने की अनुमति मिलनी चाहिए। जहां तक चोरी की बात है तो मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मगर मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक रेंज में पिछली सरकार के कार्यकाल में खैर के इतने ज्यादा पेड़ काटे गये जिसका मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता। मैंने उस बारे में विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी। लेकिन ठेकेदार खैर के पेड़ों के साथ-साथ जे0सी0बी0 के माध्यम से उन पेड़ों की मुंडियां भी ले गया। यहां पर राम लाल ठाकुर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे वन मंत्री जी बहुत कर्मठ व संघर्षशील हैं तथा मुझे आशा है कि इस तरह के कुकृत्य बारे ये जरूर कोई-न-कोई नीति बनायेंगे। जहां तक चंदन के पेड़ों की बात है तो यह बिलासपुर तथा ज्वालामुखी में होता है परंतु मैंने नूरपुर के एक पहाड़ी के ऊपर चंदन के पेड़ देखे हैं। वन मंत्री जी नूरपुर के स्थानीय विधायक होने के साथ-साथ संबंधित विभाग के मंत्री भी हैं। वन विभाग पूरे प्रदेश में सम्पदा व पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा महकमा है। नूरपुर में एक जगह आश्रम है, मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि वहां चंदन के एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे असंख्य चंदन के पौधे पैदा हुए हैं। अतः मैं मंत्री जी से विशेष आग्रह करूंगा कि नूरपुर जो माननीय मंत्री जी का

निर्वाचन क्षेत्र भी है वहां पर चंदन की नर्सरी लगाई जाए ताकि हमारे किसान वहां पर ज्यादा-से-ज्यादा चंदन के पौधे तैयार कर सकें। इसके

10.9.2020/1240/av/hk/2

अतिरिक्त मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा, जिस तरह से वन काटू रात को चोरी करते हैं तो उसके बारे में हम संबंधित अधिकारी व पुलिस को शिकायत करते हैं। हमारा निर्वाचन क्षेत्र पंजाब की सीमा के साथ लगता है। इसलिए कोई ऐसी नीति बनाई जाए जिससे इन वन काटुओं पर प्रतिबंध लग सके और हमारी बहुमूल्य वन सम्पदा बच सके। मैं ज्यादा न बोलता हुआ वन मंत्री जी से एक बार और अनुरोध करूंगा कि नूरपुर मण्डल में भी किसानों को निजी भूमि पर सूखे हुए खैर के पेड़ों को काटने की स्वीकृति मिलनी चाहिए ताकि वे भी अपना जीवनयापन ठीक से कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10.9.2020/1240/av/hk/3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणा : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी संकल्प लेकर आए हैं कि

श्री टी सी द्वारा जारी

10.09.2020/1245/टी.सी.वी./एच0.के.-1

श्री राजेन्द्र राणा... जारी

'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में खैर व चन्दन वृक्ष काटने व विक्रय करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे।'' श्री ध्वाला जी ने काफी लम्बी चर्चा की है और बहुत

अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिए हैं। ये प्राक्कलन समिति के सभापति हैं और वहां भी खैरों की चर्चा करते रहते हैं। श्री राकेश पठानिया जी अभी नये-नये मंत्री बने हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सुझाव आ रहे हैं; ये उन पर अमल भी करेंगे तथा इनको इम्प्लीमैंट करवाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। जहां तक हिमाचल प्रदेश में वन सम्पदा का प्रश्न है; हिमाचल प्रदेश का अधिकतर क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। यहां बहुत सारे वन हैं जिनसे हिमाचल प्रदेश विश्व व पूरे देश को शुद्ध वातावरण प्रदान करता है। वन काटने के लिए माननीय न्यायालय और केन्द्र सरकार की भी कई रिस्ट्रिक्शन्ज हैं। यह सही है कि आज हमारी सरकार की वित्तीय स्थिति दिन-प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या-क्या कदम उठाएं और क्या-क्या कार्य करें ताकि सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जा सके। श्री ध्वाला जी ने ठीक कहा कि कांगड़ा,बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले में इतने खैर के पेड़ हैं; यदि सरकार केन्द्र सरकार के साथ मिलकर ठीक ढंग से नीति बनाए और उसको इम्प्लीमैंट करें तो प्रदेश को बहुत फायदा हो सकता है। जैसे कि कहा गया है कि खैर के पेड़ की उम्र ज्यादा हो गई है; वह सूख रहे हैं, उनको काटने की व्यवस्था की जाए। इससे सरकार को पैसा आएगा और यदि आप एक खैर काटते हैं तो आप चार खैर और लगाइये। आप इस बात के लिए केन्द्र सरकार व न्यायालय को आश्वस्त करें और इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। खैरों पर हमारे बहुत-सारे किसान निर्भर कर रहे हैं; उनके लिए सरकार कोई अच्छी नीति बनाएं। यहां सदन में चर्चा हुई कि जो वन-काटू हैं वे खैरों को चोरी करते हैं क्योंकि जिसने चोरी करनी है, वह तो किसी-न-किसी तरीके से करेगा। इसलिए उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाये। यह ठीक है कि हमारा वन विभाग जंगलों के हर कोने पर फॉरेस्ट गार्ड खड़ा नहीं कर सकता है; फिर भी इसके लिए सरकार की

10.09.2020/1245/टी.सी.वी./एच0.के.-2

ओर से सख्त निर्देश दिए जाएं कि जो वन में वन काट रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ये सिस्टम बड़े वर्षों से चल रहा है, ये कोई नया काम नहीं है। पिछले कई वर्षों से वन

काटने की शिकायतें आती रहीं हैं। अगर ऐसा कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाये। सरकार इसके लिए कोई नीति बनाएं ताकि जो पेड़ सुख रहे हैं, गिर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उससे सरकार को भी आमदन आए और वहां नये पेड़ लगाए जाएं ताकि वहां हरियाली कायम रहे।

दूसरा, जो हमारे किसानों से खैर खरीदे जाते हैं; उसमें ठेकेदार खैरों को जड़ों से उखाड़ कर ले जाते हैं। जिसके कारण वहां पर खैर दोबारा से पैदा नहीं होता है। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर चन्दन के पेड़ पर भी चर्चा हुई है। चन्दन के पेड़ भी लगने चाहिए क्योंकि यह बहुत महंगा है। इससे किसानों की आमदन बढ़ेगी। इसलिए इसके लिए नीति निर्धारित की जाए कि कितने सालों के बाद पेड़ को काटना है। वनों में जहां चन्दन के पेड़ लगे हुए हैं, उनको भी काटने की व्यवस्था हो। ग्रीन फैलिंग के लिए और क्या-क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार की कई तरह की गाइडलाइन्ज हैं।

श्री आर.के.एस. द्वारा ... जारी

10.09.2020/1250/RKS/YK-1

श्री राजेन्द्र राणा... जारी

क्योंकि जंगलों को काटने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसमें लोगों को क्या-क्या रिलैक्सेशन मिल सकती हैं, उसके लिए फोरैस्ट के अधिकारियों के साथ विचार किया जाए और इस पर कोई निर्णय लिया जाए। जो भारत सरकार व न्यायालयों में इस तरह के मामले लंबित पड़े हैं उन्हें भी सरकार को परस्यू करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। माननीय रमेश चंद ध्वाला जी ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ध्वाला जी एक किसान हैं और यह प्रैक्टिकल तौर पर देखते रहते हैं कि कहां क्या हो रहा है? इस विषय पर इन्होंने कई बार विधान सभा की समितियों की बैठक में भी चर्चा की

है कि यदि सरकार इस दिशा में कोई नई नीति बनाएं तो जो प्रदेश में लगातार कर्ज बढ़ रहा है उसमें हम थोड़ा-बहुत विराम लगा सकते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जो-जो सुझाव आपके पास आए हैं उनके ऊपर विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा करें ताकि हमारा प्रदेश आगे बढ़े और हरा-भरा भी रहें। ऐसा करने से हमारी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। धन्यवाद।

10.09.2020/1250/RKS/YK-2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

Shri Hoshyar Singh (Dehra): Hon'ble Speaker, Sir, thank you for allowing me to participate in the discussion moved by Shri Ramesh Chand Dhawalaji.

Speaker, Sir, I would like to inform you that my village is known as Kharian and it is known because the main product of my village is Khair. वहां सप्पड़ में भी खैर का पौधा उगाओ तो वह उग जाता है। यहां पर प्लांटेशन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई ठेकेदार लोगों के पास खैर खरीदने जाता है तो वह इन खैरों के पौधों को फुट बेसिज पर खरीदता है। वह एक सर्कल में फीता लगाता है और एक फुट का चार सौ रुपये और दो फुट का 800 रुपये रेट बताता है। कई बार ठेकेदार किसान को 3 फुट का 1000 या 1200 रुपये भी देते हैं। खैर के एक पेड़ में लगभग 1 क्विंटल से अधिक मात्रा में कत्था निकलता है। आज मार्किट में कत्थे की कीमत 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यह कत्था किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है और ठेकेदार लोग इन पेड़ों को फुट के हिसाब से खरीदते हैं। इस तरह हमारे किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल रहा है। खैर का पेड़ किलोग्राम के हिसाब से बिकना चाहिए या फुट के आधार पर इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि हमारे किसानों को ज्यादा-से-ज्यादा पैसा मिले और सरकार को भी सही राजस्व प्राप्त हो। जिस तरह कोर्पोरेशन द्वारा रोजेन की फैक्टरी स्थापित की गई है उसी तरह सरकार को कत्था फैक्टरी भी स्थापित करनी चाहिए ताकि जो सरकारी भूमि पर खैर के पौधे उगे हुए हैं उन्हें सरकार खुद प्रोसैस करें। इसे स्थापित करने की बहुत साधारण-सी टैक्नोलॉजी है और इसमें ज्यादा इन्वैस्टमैंट भी नहीं है। यदि सरकार खुद उद्योग स्थापित करती है तो सरकार

कत्थे को प्रोड्यूस करके मार्किट में बेच सकती है। इससे हमारे राज्य को भी अच्छा रेवेन्यू अर्जित होगा। माननीय मंत्री जी यदि आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करें तो मैं आपको 5-5, 6-6 फुट के कई ऐसे खैर के पेड़ दिखाउंगा जिनकी सन् 1970 से लेकर अभी तक कटाई नहीं हुई हैं। ये पेड़ फोरैस्ट लैंड में लगे हुए हैं। ये पेड़ सूखते जा रहे हैं और इस तरह हम करोड़ों रुपये की संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर कोई नीति बनाई जाए ताकि हम अपनी संपदा को नुकसान होने से बचा सके ।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

10.09.2020/1255/बी0एस0/वाई0के0/-1

श्री होशयार सिंह जारी...

सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव दिया गया और जैसा कि हमारे माननीय सदस्य, श्री राम लाल ठाकुर जी व अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करें कि जो सूखे हुए खैर के पेड़ हैं उनको तुरंत काटा जाए और इसका प्रोसैस किया जाए। हमारे कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर की क्लाइमेट कंडीशन चंदन के लिए बहुत उपयोगी है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि हाल ही में विभाग द्वारा जो 10-10 पौधे लोगों को बांटे हैं ये बहुत कम हैं। मैं चाहता हूं कि जो पौधे बांटे गये उनकी मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिए और हर किसान को लगभग 50-50 पौधे दिये जाने चाहिए ताकि आने वाले समय में उनकी आमदनी बढ़े। यह मेरा छोटा सा सुझाव था, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिस तरह खैर फुट के हिसाब से बिकता है उसी तरह से बालन भी फुट के हिसाब से बिकता है। जिसमें हमारी सरकार को बहुत बड़ा घाटा है। एक बैंबू हमारे यहां पांच रुपए में बिकता है और वही बैंबू होशियारपुर में 250 रुपए का बिकता है। इस पर सरकार गौर करे और इसका रेट फिक्स करे। हमारे यहां वन से बहुत बधिक आय होती है। जो वनों से संबंधित उद्योग हैं उन उद्योगों को आप प्रदेश में आमंत्रित करिए। उनमें चाहे प्लाइबुड उद्योग हों, चाहे बुड इन्डस्ट्री के उद्योग हों और चाहे वह पेपर बोर्ड उद्योग हों। हमारे यहां से अवैध रूप से जितना बालन होशियारपुर में जाता है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। हमारे यहां जो बेस्ट बुड है चाहे वह बैंबू का है, चाहे बालन का बेस्ट है उस

बेस्ट से हम यहां पर इन्डस्ट्री स्थापित करें। हमारे लोगों को नौकरियां मिले, हमें इससे आय हो और जी0एस0टी0 मिले। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : एक बजने वाला है, यदि सदन की अनुमति हो तो क्या भोजन अवकाश के बाद ही चर्चा शुरू की जाए?

माननीय सदस्यगण : जी हां ।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 02:00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

10-09-2020/1405/ए.जी.-एन.जी./1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के उपरान्त अपराह्न 02.05 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी द्वारा आरम्भ की गई चर्चा में अब माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, नियम-101 के तहत माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने जो प्रस्ताव यहां पर लाया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव की मंशा बहुत अच्छी है। माननीय सदस्य कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिसमें वह इस प्रस्ताव को माननीय सदन में न लाते हों। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में खैर का जंगल बहुत है और किस प्रकार इसे कमर्शियली एक्सप्लॉयड करके राजस्व प्राप्त किया जा सके इस बारे में हमारे अनेक साथियों ने अपने विचार यहां पर रखे हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं सरकार से केवल इतना जानना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज एक केस में हिमाचल प्रदेश को पार्टी बनाया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें थोड़े से ऐरिया में सिल्वीकल्चर के

लिए अनुमति दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी ठीक प्रकार से नहीं की जा रही है। हमारे अटोर्नी जनरल हिमाचल प्रदेश की तरफ से पैरवी ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। जिस कारण वहां डेट पर डेट पड़ती जा रही है। यहां पर जुमले तो बहुत बड़े-बड़े रखे जाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में से एक इंजन आधे में ही हांफ गया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या किन्नौर में भी चन्दन और खैर के पेड़ होते हैं?

10-09-2020/1405/ए.जी.-एन.जी./2

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, यदि आपका आशीर्वाद होगा तो किन्नौर में भी खैर व चंदन हो जाएगा। हम वहां के इलाके को भी गर्म कर देंगे फिर हो जाएगा। यहां पर जो डबल इंजन की बात हो रही है तो

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

10/09/2020/1410/MS/AG/1

श्री जगत सिंह नेगी जारी-----

पहली बार पूरे देश में केवल हिमाचल प्रदेश को एफ.आर.ए. और एफ.सी.ए. के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुमति मांगनी पड़ रही है। यह किस किस्म का कानून है? देश में दो किस्म के कानून नहीं हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से कानून है और बाकी राज्यों के लिए अलग से कानून है। अब एफ.सी.ए. में आप पहले केस यहां से तैयार करेंगे, फिर उच्चतम न्यायालय में देंगे और फिर उच्चतम न्यायालय कहे कि हां, इतने केसों पर अब आप आगे कार्रवाई कीजिए। इसमें हमारा बहुत समय व्यर्थ जा रहा है। एफ.आर.ए. में हमने एक पैसा ख़र्च नहीं करना है और एन.पी.वी. भी नहीं देना है लेकिन फिर भी केस वहां पड़ा है। मेरा केवल यही कहना है कि जो केस माननीय उच्चतम न्यायालय में है उसकी सरकार गंभीरता के साथ पैरवी करे। वहां एटॉर्नी जनरल को हर पेशी में इस हेतु निवेदन कीजिए। इसके लिए चाहे आप दिल्ली जाएं या जैसे ध्वाला जी कह रहे थे कि वहां मंत्री जी से मिलें या एटॉर्नी जनरल से मिलें। यदि दमदार तरीके से हम इस केस की वहां पैरवी करेंगे, तभी हम इस पर नीति बनाने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर

तो आप जो मर्ज़ी नीति बना लीजिए लेकिन जब तक उच्चतम न्यायालय का डण्डा आपके ऊपर खड़ा है, तब तक मुश्किल है। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो वहां पर अलग से ऑर्डर या फ़ैसला हुआ है, वह न्याय-संगत नहीं है। अफ़सोस तो इस बात का है कि इस अन्याय के ख़िलाफ आप वहां पर रिवीजन में भी नहीं जा रहे हैं और इस बात का भी अफ़सोस है कि उच्चतम न्यायालय में ऑर्डर पर ऑर्डर पास हो रहे हैं और पता नहीं कितने सारे ऑर्डर पास हो गए लेकिन एक भी ऑर्डर में सरकार रिवीजन में नहीं गई है। इससे बदत्तर क्या हालात हो सकते हैं? हम यहां पर क्या नीति बनाएंगे? नीति बनाकर हमारा यहां पर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पहले सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और एफ.आर.ए., एफ.सी.ए. और सिल्वीकल्चर जो तीन मुद्दे हैं, इनके बारे में सोचें। यदि आप डबल इंजन को तेजी से बुलेट ट्रेन की तरह चलाना चाहते हैं तो पहले आप इन इंजनों में पेट्रोल या डीज़ल ठीक से डालें। धन्यवाद।

10/09/2020/1410/MS/AG/2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघा(ठियोग) : अध्यक्ष महोदय, रमेश चंद ध्वाला जी ने जो इस सदन में संकल्प पेश किया है कि यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि प्रदेश में खैर व चन्दन वृक्ष काटने व विक्रय करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे, के ऊपर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मैं न केवल ध्वाला जी के साथ इस विषय को लेकर एकजुटता दिखाना चाहता हूं बल्कि हिमाचल प्रदेश के तीन चौथाई एरिया यानी जो सारी हमारी शिवालिक पहाड़ियां हैं, जिनका इस खैर से जीवन-यापन बेहतर हो सकता है, उनके साथ भी मैं आज एकजुटता पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय ध्वाला जी ने आज इस सदन में रखा है। पिछले कल जिस समय कृषि मंत्री महोदय यहां पर अपना वक्तव्य दे रहे थे, इन्होंने बिल्कुल सही आंकड़े पेश किए और हिमाचल की जो तस्वीर है, उसको पेश करने की कोशिश की। यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश में जो कृषि करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी है लेकिन जो होल्डिंग उसके पास है, वह बहुत छोटी है और वह अभी भी लाभदायक नहीं है। अगर मैं आंकड़े सही रख रहा हूं तो 68 परसेंट कृषक ऐसे हैं जिनके पास पांच या पांच बीघा से कम भूमि है। पांच बीघा भूमि लाभदायक संभव

नहीं है। आप आधुनिक-से-आधुनिक खेती कर लें। आप उसमें पानी का प्रबंध कर लें हालांकि हम जो सिंचाई करते हैं, प्रोबेबली वह भूमि 18 परसेंट है और संभव नहीं है कि हम उसको लाभदायक बनाएं। इसलिए लाभदायक बनाने के लिए कृषक को अन्य व्यवसाय करने हैं और अन्य व्यवसाय के साथ जो एक अच्छा कैश क्रॉप,

जारी जे0के0 द्वारा-----

10.09.2020/1415/JK/AS/1

श्री राकेश सिंघाः------जारी--------

और बाकी व्यवसायों के साथ एक अच्छा कैश क्रॉप लोगों की जिन्दगी को बेहतर बना सकता है तो वह खैर व चन्दन की लकड़ी है। हिमाचल प्रदेश सरकार को इसे बहुत गम्भीरता से लेना है कि इसमें किस प्रकार की नीति बन सकती है। तीन चौथाई आबादी जो हिमाचल प्रदेश की है, उसका जीवन-यापन कैसे बेहतर हो सकता है? इस बात का भी जिक्र यहां पर जरूर करना है कि जो फोरैस्ट कवर्ड है वह यह अपने आपमें एक ऐसी बाधा बन जाती है, अगर इसमें जो पैदावार पैदा होती है, अगर उस पैदावार की आय अगर किसान इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो यह नुक्सान पूरी अर्थव्यवस्था के लिए और उस किसान के लिए होता है, इसलिए इस विषय को उस सन्दर्भ में देखने की ज़रूरत है। मुझे इस बात का ज़िक्र भी यहां पर जरूर करना है कि जो 1980 का फोरैस्ट कंज़र्वेशन एक्ट आया, मैं आज महसूस करता हूं कि जो फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट के पीछे मंशा थी, उस मंशा को आज लागू नहीं किया जा रहा है लेकिन उस एक्ट को मैकेनिकली इम्प्लिमैंट किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश की आय के लिए और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले किसान के लिए है, जिसका ज़िक्र माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी ने भी यहां पर किया है। जो खैर की लकड़ी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक रेंजिज़ मैं पैदा होती है, उसकी जो क्वालिटी है, वह बहुत ही अच्छी है इसलिए उसकी मैडिसिनल के रूप में भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। चन्दन तो आप जानते ही हैं कि चन्दन की वैल्यू पूरे समाज के लिए बहुत ज्यादा है। इसको मध्यनज़र रखते हुए श्री रमेश चन्द ध्वाला जी ने जो सदन के

अन्दर प्रस्ताव लाया है, इस प्रस्ताव को गम्भीरता से सरकार लें और उसमें सबसे गम्भीर मसला यह है कि आज सिल्वीकल्चर की आड़ में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रुकावट पैदा कर दी है, उस रुकावट को हटाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। जो उसके तौर-तरीके होने चाहिए थे, उसमें कुछ कमी-पेशी रह गई है,जिसके चलते पूरा ग्रहण सिर्फ खैर के

10.09.2020/1415/JK/AS/2

जंगलों पर लगा है, उससे जो आय किसानों को होनी थी, जो उसमें फायदा हो सकता था, उस ग्रहण को हटाने के काम में हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी तक विफल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मैकेनिकली उसमें काम कर रहा है। मैं उन लोगों से भी सहमत हूं जिन्होंने यहां पर इस विषय पर चर्चा की । असल में खैर किसान की आय को बढ़ाने का मुद्दा नहीं रह गया है या उसके हाथ में एक means of livelihood को बढ़िया बनाने का विषय नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत सा माफिया ऑपरेट करता है, उस माफिया को चैक करने में सरकार का पूरा तंत्र, कहीं-न-कहीं उस तंत्र के साथ शामिल हो जाता है। जिससे किसान को जो छोटी-मोटी आय आ सकती थी, उससे वह वंचित हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस विषय को लेकर भी सरकार को गम्भीर होना चाहिए। अगर सरकार की मंशा हो तो जो इस प्रकार के माफिया हैं, जो जंगलों में ऑपरेट करते हैं और जो जंगलों का नॉन साइंटिफिक तरीके से कटान करते हैं, उनको भी अलग-थलग किया जा सकता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

10.09.2020/1420/SS-AS/1

श्री राकेश सिंघा क्रमागत :

उसको भी अलग-थलग किया जा सकता है। अगर सरकार की मंशा रहेगी तो मैं समझता हूं कि ऐसे माफिया ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। आप देख रहे हैं और अखबारों में भी चर्चा

होती रहती है, इस सदन के अंदर भी चर्चा होती रहती है कि इस प्रकार के बहुत से माफिया अपने पांव आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वे सिर्फ जंगलों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि उससे आगे भी चले गए हैं। वे खनन भी कर रहे हैं। वह इससे जुड़ा हुआ एक मसला है। अगर हम खैर को वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वह इरोजन को भी रोकता है। लेकिन वह वैज्ञानिक तौर-तरीका और उसकी नीति हिमाचल प्रदेश सरकार को समय-समय पर बनाने की ज़रूरत है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं ध्वाला जी से बिल्कुल सहमत हूं कि इस प्रकार की नीति हिमाचल प्रदेश सरकार को बनानी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

10.09.2020/1420/SS-AS/2

अध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा लगभग पूरी हो गई है। क्या श्री सतपाल सिंह रायजादा जी भी बोलेंगे? ठीक है, अब माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह रायजादा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सतपाल सिंह रायजादा (ऊना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री रमेश चंद ध्वाला जी द्वारा जो सदन में सरकार से सिफारिश की है कि प्रदेश मे खैर व चन्दन के वृक्ष काटने व विक्रय करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें, उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहता हूं कि खैर के साथ-साथ हमारे ऊना में जो बड़े-बड़े आम के पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है। ...(व्यवधान)... उनका भी अवैध कटान हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी आप ध्यान दें क्योंकि खास करके आम के बड़े-बड़े पेड़ जो गैर-कानूनी तरीके से काटे जा रहे हैं और यह देखने में आया है कि इसका कटान होकर पंजाब में लकड़ी जा रही है। खास करके हमारे ऊना एरिया में कांगड़ा की तरह बहुत सारा खैर है उसका भी अवैध कटान हो रहा है। अगर समय-समय पर सरकार द्वारा इसका कटान किया जाता है, इसके ऊपर नीति बनाई जाती है तो इसका लाभ वहां के जमींदारों को मिलेगा। कटान के साथ-साथ नयी पौध लगानी भी ज़रूरी है। क्योंकि जितना कटान हम करते हैं अगर उससे ज्यादा लगाने की हम कोशिश करेंगे तो आने वाले दिनों में वह पौध तैयार होगी। मेरी मंत्री महोदय से यह

गुजारिश रहेगी कि मैंने सबसे पहले जो आम के पेड़ का मुद्दा उठाया था इसके साथ-साथ खैर की बात दो मिनट के लिए की है तो मैं रमेश चंद ध्वाला जी के प्रस्ताव के हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इसके ऊपर नीति बनाने की ज़रूरत है। धन्यवाद, जय हिन्द।

10.09.2020/1420/SS-AS/3

अध्यक्ष : अब इस प्रस्ताव पर जो विस्तार में चर्चा हुई है, माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, इस पर माननीय वन मंत्री उत्तर देंगे।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो मुझे जवाब देने के लिए अनुमति दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं श्री रमेश चंद ध्वाला जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, ये मेरे बड़े भाई हैं और हम एक ही जिला से संबंध रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विषय वाकई बड़ा गम्भीर है और बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी रोजी-रोटी और प्रदेश के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मसला है। अभी राम लाल ठाकुर जी यहां पर नहीं हैं, इन्होंने भी इस मुद्दे पर बहुत बढ़िया बोला। इन्होंने जो एक बात बोली थी कि

जारी श्रीमती के0एस0

10.09.2020/1425/केएस/डीसी/1

वन मंत्री जारी---

हमारे जमींदार की जो 10 साल की कार्यशैली है, बेटे या बेटी की शादी कब करनी है, घर कब बनाना है, वह इस टैन ईयर फैलिंग प्रोग्राम को ध्यान में रखकर अपना काम करता है। कि जब मेरी बारी आएगी, मेरा खैर खुलेगा तो मैं मकान बनाऊंगा या बच्चों की शादी करुंगा या घर में कुछ भी बड़ा काम होगा, उसको जमींदार इसी के हिसाब से प्लैन करता है। आप सभी को पता है कि यह मैटर सब ज्यूडिस है । वर्ष 1994 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब ग्रीन फैलिंग पर बिल्कुल बैन लगा था और वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट में भी यह केस आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन फैलिंग पर टोटल बैन लगा दिया। अब लगभग 30 साल से ज्यादा का समय हो गया और जैसे ध्वाला जी ने कहा कि सरकारी भूमि

पर जो खैर के पेड़ हैं, 20 साल के बाद वे लगभग खत्म हो जाते हैं। जितने सदस्य यहां पर इस सम्बन्ध में आज बोले जिनमें राम लाल ठाकुर जी, अर्जुन सिंह, राजेन्द्र राणा, होशियार सिंह, जगत सिंह नेगी, राकेश सिंघा और सतपाल सिंह रायजादा जी बोले, मन्शा सभी की एक ही है। जिस मन्शा के साथ आपने इस बात को रखा, मैं भी आपके साथ सहमत हूं। मन्शा हम सभी की एक है कि हमारे किसान का कैसे फायदा हो, उसको इसका लाभ कैसे पहुंचे?

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने अब 3 स्थानों पर सिल्विकल्चर की पर्मिशन दी है। जैसे होशयार सिंह जी कह रहे थे कि पेड़ लगाने पड़ेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि इसकी री-जनरेशन खुद होती है। जहां पर खैर कटता है वहां पर तीन-चार पेड़ अपने आप निकल आते हैं। सिल्विकल्चर के दो जंगलों में अभी कुछ दिन पहले जाने का मुझे भी मौका मिला । मैं वहां देखकर आया कि जहां-जहां सिल्विकल्चर हुई है, जहां-जहां खैर रिमूव हुआ है, वहां पर तीन-तीन, चार-चार खैर अपने आप तैयार हो रहे हैं यानि रीजनरेशन का सिस्टम नैचुरल है, इसको लगाना नहीं पड़ता। जब अपने आप खैर निकल आता है तो उसकी प्लांटेशन लगभग डबल हो जाती है। परन्तु

10.09.2020/1425/केएस/डीसी/2

विषय यह है कि 10 साल का एक विशेष सर्कल तो है परन्तु सरकारी भूमि पर जो करोड़ों-अरबों रुपये का खैर खड़ा है, उसका क्या किया जाए? वहीं पर ही यह चोरी शुरू होती है और यह विषय हमारे ध्यान में है। विभाग के भी और मेरे ध्यान में भी यह विषय है क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में तो सबसे बड़ा आमदनी का ज़रिया खैर ही है। खैर के बाद भट्टियां हैं जिन्हें हम बचपन से देखते आए हैं। अभी जो नया सिस्टम, जैसे अभी होशयार सिंह जी ने कहा कि बॉयलर्ज़ लगाकर गवर्नमैंट उसको खुद तैयार करें। होशयार सिंह जी, बॉयलर्ज़ के लिए हाई लैवल की केपेसिटी चाहिए नहीं तो खैर की भट्ठी का रेट ज्यादा है। उसकी वैल्यू भी ज्यादा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी मानी जाती है। इस करके भट्ठियां लगती हैं लेकिन उनसे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। यह बहुत बड़ा सर्कल है जिसके बारे में

सरकार भी ध्यान कर रही है और सिल्विकल्चर का जो हमने अपने क्षेत्र में प्रोग्राम किया, क्योंकि यह खैर का नूरपुर में, चील का बिलासपुर में और साल का पांवटा में हो रहा है। तीन जगह पर एक्सपैरिमैंटल बेसिज़ पर किया गया और हमने देखा कि इसमें लगभग 30 करोड़ के करीब रेवन्यू जनरेट हुआ है। अगर हम इसको पूरे प्रदेश में अडॉप्ट करते हैं तो यह लगभग 60-70 करोड़ के करीब राशि बनती है जिसको हमने कैल्कुलेट किया है और इसी महीने की 7 तारीख को ही हमने रिव्यू पटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है और मुझ उम्मीद है कि आज जिन माननीय सदस्यों ने इस तरफ ध्यान दिलाया, ध्वाला जी ने जेसे कहा कि मेरे दफ्तर के नीचे पेड़ सूखे पड़े हैं । बिल्कुल ठीक कहा, जिस दिन मैं मंत्री बना था उसके तीसरे दिन हमने आदेश इशू कर दिए थे कि जितने भी जंगलों में हमारे डी.एफ.ओज़ हैं , उनकी टीम बनाकर हमने जो सूखे हुए पेड़ हैं, उनकी मार्किंग करनी शुरू कर दी थी और उम्मीद है कि सितम्बर के अन्त या अक्तूबर 15 तक हम यह पूरा का पूरा प्रोग्राम कर लेंगे और जहां ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ पड़ती है, उनमें हम दिसम्बर तक यह कर देंगें। यह करोड़ों-अरबों रुपये की लकड़ी हम कॉर्पोरेशन और फोरैस्ट डिपार्टमैंट के माध्यम से अपने डिपुओं में ले आएंगें और आगे उसका जो वितरीकरण होगा, कमर्शियलाइजेशन पर हम काम शुरू करेंगें। माननीय सदस्यों ने जो-जो बात रखी है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.9.2020/1430/av/dc/1

वन मंत्री-------- जारी

हमारे बहुत सारे मित्रों ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैलिंग पर बैन लगाया हुआ है तो भारत सरकार से आपको उसका मुआवज़ा कैसे मिलेगा। 15वें वित्तायोग के समक्ष भारत सरकार ने इसको बहुत जोर-शोर से रखा है कि ग्रीन कवर को जो हम बिल्कुल टच नहीं कर पाते। फैलिंग पर बैन लगा रखा है, इसमें 15 प्रतिशत तो कोर एरिया है जिसको हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें कंपनसेट्री ग्रांट दी जाए; इस बारे में हम

केंद्र सरकार के साथ केस प्लीड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कुछ-न-कुछ प्राप्त कर पायेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में यह केस दिनांक 7.9.2020 को किया है। यहां पर माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी सहित मेरे कई मित्र यह कह रहे थे कि हम इस मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसके लिए दिल्ली में बैस्ट लीगल हैल्प ले रहे हैं और इसके लिए अच्छे वकीलों की टीम को खड़ा करने वाले हैं। The Government is very serious on this issue. I promise you that इसको हम बहुत ही सीरियसली लागू करेंगे क्योंकि यह हमारी रोजी-रोटी व भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ध्वाला साहब, आपको याद होगा; पिछली बार भी आपने जब यह विषय उठाया था तो तत्कालीन वन मंत्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी ने आपको विश्वास दिलाया था कि हम इसके लिए रिव्यू पीटिशन फाइल करेंगे। हमारी वह रिव्यू पीटिशन फाइल हो चुकी है और प्रदेश सरकार उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। यहां पर तस्करी की बात भी गई कि कहां-कहां और कैसे-कैसे चोरी हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर अभी राम लाल ठाकुर जी नहीं बैठे हैं। हमारे पास वर्तमान में 62 चैक पोस्ट्स हैं जिसमें से 6 चैक पोस्ट बिलासपुर सर्कल में, 2 बिलासपुर डिविजन और 4 नालागढ़ डिविजन में हैं। हमारे पास जो 2026 बीटें हैं उसके अंदर ये पूरा तंत्र इनप्लेस किया गया है। यहां पर सतपाल जी ने आम के पेड़ों की तरफ ध्यान दिलाया है तो उसके बारे में मैं आपको अलग से पूरा जवाब बनाकर दे दूंगा कि इसके बारे में क्या किया जा रहा है। आज फिलहाल चंदन और खैर के पेड़ों के बारे में विषय आया है। ध्वाला जी ने चंदन के बारे में बड़े विस्तार से बात की और इसमें कोई शक नहीं है कि चंदन हमारी ज़िन्दगी

10.9.2020/1430/av/dc/2

बदल सकता है। चंदन हमारी ज़िन्दगी का एक ऐसा इंवैस्टमैंट प्लान बन सकता है जो एक गरीब आदमी को अच्छे दिन देखने का स्वप्न बन सकता है। लेकिन इसमें तस्करी बहुत ज्यादा है और लोग एक छोटा-सा पेड़ भी नहीं छोड़ते। इसको जंगल में लगाना तो लगभग-लगभग असम्भव होगा क्योंकि इसकी राखी नहीं की जा सकती। वहां पर इसको बचाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक ऑर्ग्रेनाइज्ड क्राइम किया जाता है और सरकार व

विभाग इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम कर रहा है। इसकी चोरी पर रोक लगाने के लिए एक मैकेनिज्म डवलप किया जा रहा है जिसको आज मैं स्पैल आउट नहीं कर सकता। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी पिछली बजट स्पीच में यह घोषणा की थी कि हम चंदन के ज्यादा-से-ज्यादा पेड़ लगायेंगे। आज मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्य मंत्री जी ने जो 50,000 पेड़ों की घोषणा की थी तो हमने नर्सरीज के माध्यम से 60,000 पौधे तैयार किए हैं और उनको हम प्राइवेट ज़मींदारों को बांटेंगे। यहां पर जैसे होशयार जी और राजेन्द्र राणा जी ने कहा कि ज्यादा-से-ज्याद पेड़ दिए जाएं तो आज हम उस कैपेसिटी में हैं। उसके लिए आपको एक पूरा प्रोग्राम स्पैल आउट करना पड़ेगा कि इसको कैसे लगाना है। यह बेसिकली सब-ट्रोपिकल एरिया की क्रोप है तथा इसकी मैडिसिनल और ऑयल वॅल्यू बहुत ज्यादा है। ध्वाला जी ने बिल्कुल सही कहा कि यह मार्किट में 7-8 हजार रुपये के हिसाब से बिकता है इसलिए इसकी तस्करी बहुत ज्यादा होती है। खासकर इनके ज्वाला जी के क्षेत्र में तो यही समझ नहीं आता कि कब-कहां से ये लोग आते हैं और कैसे तस्करी करते हैं। लेकिन विभाग इसके लिए एक प्लान आउट बना रहा है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम अपने ज़मींदारों को इसमें काफी राहत प्रदान कर पायेंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि चंदन के माध्यम से हमारे ज़मींदारों का एक अच्छा भविष्य बन सकता है और उसके लिए सरकार ने पहली बार कोई कदम उठाया है जो ये 60,000 से ज्यादा पौधे तैयार किए हैं। इनको हम प्राइवेट ज़मींदारों को बांटेंगे ताकि वे इनके माध्यम अपने लिए एक अच्छी इनकम तैयार कर सकें, इस बारे में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। यहां पर लगभग सभी माननीय सदस्यों ने एफ0आर0ए0 और एफ0सी0ए0 के बारे में बार-बार कहा और यह बात मार्किट में भी आई है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूं कि

श्री टी सी द्वारा जारी

10.09.2020/1435/टी.सी.वी./एच0.के.-1

वन मंत्री... जारी

उनके प्रयासों के माध्यम से आज वह दिन आया है कि पहली अक्तूबर को हिमाचल प्रदेश का एफ.आर.एफ.; सी.ए. का अपना दफ्तर खुल रहा है। पहली अक्तूबर के बाद 40

हेक्टेयर की परमिशन लेने के लिए हमें देहरादून, चण्डीगढ़ या दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। माननीय मुख्य मंत्री और हमारी सरकार के प्रयासों के कारण अब यह संभव हो गया है कि उसका कार्यालय पहली अक्तूबर से शिमला में खुल रहा है। मैं सदन में एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहूंगा कि as a Forest Minister मैं इस बात के लिए दृढ़ संकल्प तथा वचनबद्ध हूं कि हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना व बढ़ाना है। हमारा फॉरेस्ट विकास में बाधा न बने, इसके लिए भी मैं आपको इन्श्योर करना चाहूंगा। हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से विकास भी हो और जंगल भी बढ़ें। श्री सिंघा जी ने ठीक कहा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर वन विभाग की 68.8 प्रतिशत जगह है लेकिन वन सिर्फ 27.2 प्रतिशत में ही हैं। इसको हमने 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। मैं मण्डी और चम्बा क्षेत्र में गया था वहां पर तो वन ही सबसे बड़ी सम्पत्ति है। प्रदेश की इस सबसे बड़ी सम्पत्ति को हमें कैसे बचाना है, कैसे पालना है और इस वन सम्पदा के माध्यम से प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बात को हमें अपनी पब्लिक लाइफ में इम्प्लीमैंट भी करना होगा। भारत सरकार की ओर से हमने एक प्रोग्राम लांच किया है जिसके माध्यम से हर विद्यार्थी से तीन पेड़ की नर्सरी तैयार करवाएंगे और उसके बाद हर विद्यार्थी उन पेड़ों को घर के पास लगाएगा। जब वह उस पेड़ को लगाकर पालेगा तो वह बड़ी छोटी उम्र में इन्वायरनमैंट फ्रैंडली बन जाएगा। हम सभी स्कूलों में नवग्रह वाटिका लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली नवग्रह वाटिका मैंने अपने घर में लगाकर यह प्रयास शुरू किया। अब यह हर स्कूल और पंचायत में लगाई जाएगी। मैंने ग्रामीण विकास एव पंचायतीराज मंत्री जी से भी आग्रह किया है कि हम ग्रामीण विकास व मनरेगा के माध्यम से भी इसको लगाने का प्रयास करेंगे। जितनी भी पंचवटी इन्होंने बनाई हैं, उनको हम प्लांट्स देंगे। वन विभाग हर पंचायत को एक नवग्रह वाटिका लगाकर देगा।

10.09.2020/1435/टी.सी.वी./एच0.के.-2

अध्यक्ष महोदय, जितने भी सदस्य यहां पर बोले हैं, इनका स्वभाव बड़ा साधारण था; स्पष्ट और बड़ा स्ट्रोंग था। श्री ध्वाला जी, आपको याद होगा, मैं मंत्री बनने के बाद आपके पास ज्वाला जी भी आया था और मैं स्पेशियली आपके पास गया था क्योंकि मैं कई सालों से इस बारे में विधान सभा के अंदर आपका विज़न देख रहा हूं। आप बार-बार इस बात को यहां सदन में रखते हैं। ये मेरे बड़े भाई है; मैं इनके पास गया था और इनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया था। मैंने इसके बारे में इनसे सुझाव भी लिए थे। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट से हमें अनुमति नहीं मिलेगी तब तक हम इसे खोल नहीं पाएंगे। माननीय सदस्य, श्री नेगी जी, श्री सतपाल सिंह रायजाद, श्री राकेश सिंघा जी और आप सब ने जो अपना कंसर्न यहां रखा, आप सभी इस बारे में सीरियस हैं। जैसे श्री अर्जून सिंह जी ने पूछा था कि नूरपुर डिवीजन में ten years felling के तहत जो सूखे पेड़ हैं, उनको काटने की अनुमति कैसे दी जाएगी? हमने विभाग के साथ इस बारे में चर्चा की है, इसके बारे में भी हम एक फॉर्मूला वर्कआउट करेंगे। श्री होश्यार सिंह जी ने जो बात रखी,उस पर भी हम काम कर रहे हैं और कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीजनिंग यूनिट्स लगाने जा रहे हैं। हमारे कॉर्पोरेशन में लकड़ी ऑक्शन होती है और करोड़ों रुपये की लकड़ी बिकती है। लेकिन करोड़ों रुपये से ज्यादा में हमारे लोग उन्हीं लकड़ियों को होशियारपुर या पठानकोट से लेकर आते हैं। उन्हीं लकड़ियों को हम खुद भी प्रोसैस कर सकते हैं। श्री राम लाल ठाकुर जी अभी यहां नहीं है, हमने लोक उपक्रम समिति के साथ दो बार फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का एग्जामिनेशन भी किया था, उसमें हमारी पूरी टीम साथ थी। उसमें हमने दो बार यह विषय रखा। मैं उस विषय से सहमत हूं, गम्भीर हूं और उसको इम्प्लीमैंट करेंगे। श्री ध्वाला जी की मंशा बिल्कुल सही है और हम आपके साथ हैं। जैसे ही हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, हमारे आदरणीय सदस्यों ने जो विचार रखें हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करते हुए, हम एक पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं। हम इसको इम्प्लीमैंट करेंगे और आपने जो सलाह दी है इसके माध्यम से करोड़ रुपये का रेवैन्यू प्रदेश को दिलाएंगे। इस बात के लिए सरकार वचनबद्ध है। इसी के साथ श्री रमेश चंद ध्वाला जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना संकल्प वापिस लें।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी .....

10.09.2020/1440/RKS/HK-1

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जैसे सफेदा, पॉपलर और अन्य पौधों को बेचने के लिए नीति बनाई गई है, क्या इस प्रकार की नीति चंदन के पौधों को क्रय या विक्रय करने के लिए भी बनाई जाएगी?

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम चंदन के पौधों को विक्रय करने के लिए अवश्य नीति बनाएंगे। बजट में भी इस बात की घोषणा की गई थी। विभाग द्वारा पहली बार 60 हजार चंदन के पौधें तैयार किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अगली वर्ष 1 लाख चंदन के पौधे तैयार करें। जब ये पेड़ तैयार होंगे तो इन्हें मार्किट में बेचा जाएगा। इन पेड़ों का life of process लंबा है, हम इसके बारे में भी अगले वर्ष तक कोई नीति spell out करके देंगे।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय मंत्री जी यदि आपको इस बारे में हमारी मदद की आवश्यकता होगी तो हम आपका साथ देंगे। आप जब भी सुप्रीम कोर्ट या किसी केंद्रीय मंत्री के पास जाने के लिए कहेंगे तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदस्य, श्री रमेश चंद ध्वाला जी माननीय मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प लेने को तैयार हैं?

श्री रमेश चंद ध्वालाः जी, हां।

क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए।

संकल्प वापिस हुआ।

10.09.2020/1440/RKS/HK-2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार से हैः- "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में

Interlocking tiles के इस्तेमाल में निरन्तर बढ़ोतरी के कारण इनके निर्माण की गुणवत्ता, आकार, रंग, मूल्य नियन्त्रण तथा इन्हे बिछाने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।"

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि " प्रदेश में Interlocking tiles के इस्तेमाल में निरन्तर बढ़ोतरी के कारण इनके निर्माण की गुणवत्ता, आकार, रंग, मूल्य नियन्त्रण तथा इन्हे बिछाने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।" मैं माननीय सदस्यों से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि जिस माननीय सदस्य द्वारा संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा उसे 15 मिनट और जो माननीय सदस्य इस संकल्प पर चर्चा करेंगे उन्हें 8-10 मिनट तक बोलने का समय दिया जाएगा। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी अब आप अपना विषय रखिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री, जिनके पास लोक निर्माण विभाग है और माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आज इंटरलॉकिंग टाइल्स का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप पंचायतों में सीमेंट व ईंट की गलियां गायब होती जा रही है और अधिकतर जगह इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जा रही हैं।

(माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

आजकल हर पंचायत नगर-निगम और यहां तक कि पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत बनाई जाने वाली सड़कों में भी पी.डब्ल्यू.डी. ने इन टाइल्स को लगाने की अनुमति दी है। इन टाइल्स को स्थापित करने में करोड़ों रुपये लग रहे हैं।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

10.09.2020/1445/बी0एस0/वाई0के0/-1
श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी...

ऐसे में जबकि करोड़ों रुपया इसमें लग रहा है। हमारी बहुत सारी पंचायतें हैं और वहां पर 20-25 हजार के पेवल्स लग रहे हैं बहुत ज्यादा यह राशि बन जाती है। अब समय आ गया है कि इस बारे में कोई नीति निर्धारित की जाए। उद्योग मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं। जिस भी पंचायत में भी हम जाते हैं, चाहे वह विधायक निधि का पैसा हो, चाहे सांसद निधि का पैसा हो, एस0डी0पी का हो या फिर रिलीफ का पैसा हो उनसे यह इन्टर लॉकिंग टाइल्स ही लग रही हैं। आज गांव-गांव और गली-गली में कारखाने लगे हैं। पंचायतें इन कारखानों से इन टाइल्स को ले रही हैं। आज की तारीख में कोटेशन बेस पर ये टाइल्स ली जा रही हैं। इनमें तीन कोटेशन्स ले ली जाती हैं और अपने हिसाब से फैला कर लिया जाता है कि किस से यह टाइल्स लेनी है। ऐसे में जब सरकार का करोड़ों रुपया इस पर लग रहा सरकार के पास हर चीज की खरीद की नीति है कि अगर कहीं भी ज्यादा खरीद होनी है वहां पर आपके पास रेट कन्ट्रोल करने के लिए पूरा सिस्टम है कि उसका रेट तय किया जाए। इसलिए मैं यह मसला आपके ध्यान में लाया हूं। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई अभी जब मैंने एक कैसेट को सुना जिसमें एक पंचायत सचिव कारखानेदार से कह रहा है कि "अब मैंने तेरे सारे पेबल्स लवा दिए हैं अब तू मेरे 50 हजार रुपए पहुंचा जा" ऐसे भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा क्योंकि अब तो इसमें करोड़ो रुपया खर्च हो रहा और अगर लोक निर्माण विभाग इसमें पैसा खर्च कर रहा है तो यह अरबों में खर्च हो रहा है। इसकी तरह-तरह की 40-80 मिलीमीटर की टाइल्स जो 12-18 रुपए की आ रही है। पंचायत स्तर पर इनके रेट्स प्रधान और पंचायत सचिव तय करते हैं और लोक निर्माण विभाग के स्तर पर भी एस0डी0ओज0 तय करते हैं। अगर रंग वाली टाइल्स लगानी है तो उसका एक-दो रुपया अतिरिक्त लगता है। इसकी सट्रेंथ चैक करने के लिए, क्या कारखाने के पास आई.एस.आई मार्क है या नहीं? आज जितने भी कारखाने इसे बना रहे हैं इन सब में आप कोई स्ट्रेंथ चैक करने का सिस्टम लगवाएं और आप टाइम बाउंड तरीके से उन्हें आदेश करें। मुझे लगता है कि कंवर साहब ने इसे बीच में करवया है अभी कुछ के पास वह भी नहीं है। लेकिन इन सारे कारखानों में

आई.एस.आई. मार्क तय करवाएं तो अच्छा रहेगा साथ ही उद्योग विभाग इसका रेट कॉन्ट्रेक्ट तय करें और पूरे प्रदेश में एक समान नीति बन जाए। जिसने भी इन्हें खरीदना है वह इन्हें निर्धारित दरों पर ही खरीदेगा। मुझे लगता है कि इसमें काफी पारदर्शिता आ सकती है। इसमें भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है और जगह-जगह जो दुकानें खुल गई हैं। आज हर पंचायत और हर स्थान पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। विभागीय सचिव यहां पर बैठे हैं इन्हें मालूम होगा कि लोक निर्माण विभाग की पी0एम0जी0एस0वाई0 की जो सड़के हैं, अब तक तो यह माना जाता था कि सीमेंट की सड़क अच्छी रहेगी जहां भी कोई दिक्कत रहती है और यदि आपने इसे अलाऊ कर दिया और कहते हैं कि आपने किलोमीटरों में इसमें अलाऊ कर दिया है। अब तो कई-कई किलोमीटर तक ये टाइल्स लगेंगी तो क्या टीपर के भार को यह झेल पाएगी? यह निर्णय अधिकारियों ने अपने स्तर पर शुरू कर दिया है या आपने इसे निर्धारित किया है, या आपकी गाइड-लाइन में आपने इसे शामिल कर लिया है?

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

10-09-2020/1450/वाई.के.-एन.जी./1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी.....

इसकी स्ट्रैन्थ को लेकर आपने क्या मापदंड तय किए हैं? ये सब बातें मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से शेयर करना चाहता हूं कि आप कोटेशन सिस्टम को इसमें से हटाओ। इस के लिए करोड़ों रुपये की खरीद हो रही है और इसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट और आई.एस.आई. मार्क को भी बीच में लेकर आओ। इसके अलावा स्ट्रैन्थ चैकिंग के लिए भी कोई सिस्टम बनाना चाहिए। अनेक स्थानों पर छोटे-छोटे कारखाने लगे हुए हैं और सभी को काम मिलना चाहिए। रेट कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि पूरे प्रदेश में तय कर दिया जाए कि इस रेट पर इस स्ट्रैन्थ की इंटरलॉक टाइल्स मिलेगी। सरकारी स्तर पर इसका अध्ययन करवा देंगे तो आने वाले समय में जो करोड़ों रुपये खर्च होगा उसका सही प्रकार

से उपयोग हो पाएगा। यदि स्ट्रैन्थ ठीक नहीं होगी तो जगह-जगह आपको टूटी हुई टाइल्स नजर आने लगेंगी। मेरी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि छोटे कारखाने वालों को भी काम मिले लेकिन इसमें सारा सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए। रेट कॉन्ट्रैक्ट व आई.एस.आई. मार्क आदी का प्रावधान कर दिया जाए तो यह टाइल्स लम्बे समय तक टिक पाएंगी। अन्यथा जगह-जगह लोग पंचायत के प्रधानों को और अन्य जन प्रतिनिधियों को तंग करेंगे। लोक निर्माण विभाग का तो आप ही बता पाएंगे कि इनके सिस्टम में आपने क्यों लिया है कि कईं किलोमीटर्स तक टाइल्स लगाई जा रही हैं। मैं आपके ध्यान में यही बात लाना चाहता था कि यदि आप इसके लिए कोई नीति बनाते हैं तो आपका बहुत आभार होगा।

10-09-2020/1450/वाई.के.-एन.जी./2

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी भाग लेंगे।

श्री राकेश जम्वाल (सुन्दरनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो संकल्प इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। Interlocking tiles को आज हम पंचायत स्तर से लेकर लोक निर्माण विभाग की सड़कों तक में देख रहे हैं। स्वभाविक तौर पर इन Interlocking tiles को लगाने के कार्यों में इनके निर्माण की गुणवता, आकार, रंग, मुल्य नियन्त्रण आदी सारी चीजों पर विचार होना चाहिए। हम बहुत स्थानों पर देखते हैं कि पंचायतों में जो रास्ते बनाए जा रहे हैं वहां पर भी इंटरलॉक टाइल्स लगाई जा रही हैं। दूसरे रास्तों की अपेक्षा इंटरलॉक टाइल्स वाले रास्तों की गुणवत्ता और अवधि ज्यादा रहती है। वह रास्ता सुन्दर भी लगता है और लम्बे समय तक पक्का भी रहता है। लोक निर्माण विभाग की सड़कें हों या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कें हों, उनमें जब मैटलिंग-टारिंग का कार्य किया जाता था तो कईं स्थानों पर अधिक पानी होने के कारण वह सड़क 4-6 महीनों में ही उख़ड़ जाती थी। लोक निर्माण विभाग ने इंटरलॉक टाइल्स लगाने का जो निर्णय लिया है वह बहुत अच्छा निर्णय है। जिससे जहां पर ज्यादा पानी आता था वह हिस्सा पक्का रहता है। इसके अलावा नैश्नल हाईवे के किनारे पर भी इंटरलॉक टाइल्स लगाई जा रही हैं। सड़कों के किनारे धूल-मिट्टी होती है और जब कोई वाहन मैटल्ड सड़क से उतर कर उस किनारे से गुजरता है तो वहां

से डस्ट उड़ती है और उसके कारण शहरों में प्रदूषण भी फैलता है। इस बात को बहुत सारे स्थानों पर एन.जी.टी. ने भी मोनिटर किया है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो सुन्दर नगर शहर में भी अनेक स्थानों पर सड़क किनारे इंटरलॉक टाइल्स लगाई जा रही है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इंटरलॉक टाइल्स लगाने से जहां एक तरफ सड़क की गुणवत्ता भी ठीक होगी और प्रदूषण नियंत्रण भी होगा। इसके अलावा युवाओं के लिए रोज़गार के साधन भी उपलब्ध हो सकते हैं। मैं अपने मण्डी जिला में ही देख रहा हूं कि बहुत से बेरोज़गार युवाओं ने इंटरलॉक टाइल्स बनाने के लिए लघु उद्योग लगाए हैं। पंचायतों के, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग के ठेकेदारों के माध्यम से उनको खुद को भी रोज़गार मिला हुआ है

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

10/09/2020/1455/MS/AG/1

श्री राकेश जम्वाल जारी-----

और उसके साथ-साथ वे अन्य लोगों को भी वहां पर रोज़गार दे रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने जो "मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना" चलाई है उसके अंतर्गत मुझे लगता है कि बेरोज़गार युवाओं के लिए इंटरलॉकिंग टाइल्ज लगाने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध हो सकता है। जब वह प्रोजैक्ट वहां पर लगेगा तो वहां पर नज़दीक की पंचायतों में अगर ये टाइल्ज लगनी हैं तो उसका रेट कम होगा। अगर कोई बड़ी कम्पनी उनको बनाए और वहां से लाने और ले जाने का ही उसका ख़र्चा ज्यादा हो जाए तो लोकल स्तर पर जो ये टाइल्ज बनाई जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो आदरणीय मुकेश जी ने चिन्ता ज़ाहिर की है, वह भी वाज़िब है। यदि उनकी गुणवत्ता ठीक होगी तो हमारे वहां पर जो रास्ते और सड़कें बन रही हैं, उनका निर्माण ठीक प्रकार से होगा। इसके लिए मेरा तो मुख्य मंत्री जी से इतना निवेदन रहेगा कि जो ये इंटरलॉकिंग टाइल्ज लगाई जा रही हैं, इनके लिए ठीक प्रकार से नीति बन जाए ताकि आने वाले समय में और भी युवा इस प्रोजैक्ट को लगा सकें तथा उनको रोज़गार भी उपलब्ध हो सके। जो पानी की जगहों पर हमारी सड़कें या रास्ते हैं चाहे वे अर्बन एरियाज में हैं वहां हमने देखा है कि नगर परिषद और नगर पंचायतों में भी ये टाइल्ज लगाई जा रही हैं। ये इंटरलॉकिंग टाइल्ज लगाने से जहां सुन्दरता बढ़ेगी, वहीं इनसे सड़क भी पक्की बनती है। हमने देखा है कि जिन सड़कों

पर पानी रहता है, वे सड़कें चाहे पी.एम.जी.एस.वाई. की थी या जैसे शिमला से घाघस की अगर हम बात करें तो बीच में सड़कों पर कंकरीट बिछाई गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। अगर अच्छी क्वालिटी की इंटरलॉकिंग टाइल्ज लगेंगी तो मुझे लगता है कि सड़कें पक्की रहेंगी और लम्बे समय तक सड़कें चलेंगी। इसलिए इस पर अगर कोई अच्छी नीति बन जाए तो मुझे लगता है कि यह प्रदेशहित में रहेगा। धन्यवाद।

10/09/2020/1455/MS/AG/2

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, राजेन्द्र राणा जी भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणा : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा जो यह संकल्प लाया गया है कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में इंटरलॉकिंग टाइल्ज के इस्तेमाल में निरन्तर बढ़ोतरी के कारण इनके निर्माण की गुणवत्ता, आकार, रंग, मूल्य नियन्त्रण तथा इन्हें बिछाने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।" मुझे लग रहा है कि संकल्प में भी बहुत कुछ कहा गया है। इस पर बहुत सी बातें मुकेश जी और राकेश जी ने कह दी हैं। यह ठीक है कि आज चाहे पंचायतों की बात हो, चाहे लोक निर्माण विभाग में सड़कों के निर्माण की बात हो, सब जगह ये टाइल्ज इस्तेमाल हो रही हैं। मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। यह जो क्वालिटी की बात कही गई है कि जो पंचायतों में टाइल्ज लग रही हैं उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाए और जो मुकेश जी ने बात कही है कि इसके लिए ये जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है इसको सरकार बनाए, यह इन्होंने सही कहा। क्योंकि दिन-प्रतिदिन इन टाइल्ज की खपत बढ़ती जा रही है। चाहे पंचायतों की बात हो या लोक निर्माण विभाग की बात हो, मैंने देखा है कि जहां सड़कें पानी खड़ा रहने की वजह से टूट रही हैं वहां पर इंटरलॉकिंग टाइल्ज लगाई जा रही हैं और वहां सड़कें काफी लम्बे समय तक सुरक्षित रह रही हैं क्योंकि पानी की वजह से ही सड़क उखड़ती है। यानी ये टाइल्ज सार्थक सिद्ध हो रही हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग पंचायतों में ऐसे छोटे-छोटे प्रोजैक्ट लगा रखे हैं जिनसे उनको रोज़गार मिला है और लोगों को मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत सब्सिडी भी मिल रही है। मुझे जानकारी मिली है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और नाबार्ड के तहत जो सड़कें बन रही हैं, इनमें जब टैण्डर होता है तो एक कण्डीशन लगाई जाती है कि चण्डीगढ़ में एक एम.टी.सी. कम्पनी है और जो टाइल्ज लगेगी वह इसी कम्पनी की लगेगी। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब हमारे प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रोजैक्ट्स

लगाकर रखे हैं और उनको इनसे रोज़गार मिल रहा है परन्तु सब्जैक्ट टू कण्डीशन कि शर्त यह है कि जो ये टाइल्ज तैयार कर रहे हैं, उसमें कोई क्वालिटी में कम्प्रोमाइज न हो। आज पंचायतों में रास्तों का जो निर्माण हो रहा है उसमें इंटरलॉकिंग टाइल्ज लग रही हैं और दूसरा प्रदेश के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है।

जारी जे0के द्वारा------

10.09.2020/1500/JK/AG/1

श्री राजेन्द्र राणाः-------जारी-------

मैं इसमें यही सुझाव देना चाहता हूं कि जो लोकल लोगों ने प्रोजैक्ट लगा रखे हैं इसमें पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग और ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए कमेटी का गठन करें। विभाग इसमें क्वालिटी कंट्रोल को लेकर एक कमेटी बना कर उसमें सुनिश्चित करें । दूसरे, रेट कांट्रेक्ट होना चाहिए ताकि सभी लोगों को रोजगार मिले। जगह-जगह से लोग जो एप्रोच करते हैं, रेट कोटेशन्ज़ लेते हैं, कोटेशन्ज़ में कई जगह गड़बड़ी की जो आशंका रहती है, उससे वे भी सारी चीजें दूर होंगी। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर हैं और महत्वपूर्ण बात है। जहां आज हमारे नेशनल हाई-वेज़ उखड़ गए हैं और आज आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरफ जा कर देख लीजिए बहुत सारी सड़कें बुरी तरह से उखड़ चुकी हैं और उससे लोगों को परेशानी हो रही है। उन सड़कों की मुरम्मत के लिए, उनमें जहां पानी खड़ा हो रहा है, वहां पर टाइल का इस्तेमाल किया जाए। अभी-अभी मुझे बड़ी दुखद सुचना मिली है कि कांगड़ा जिला में परोर पुल के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा था और कई बार समाचार-पत्रों में छपा कि बहुत बड़ा गड्ढा परोर पुल के पास है। जब वहां से गाड़ियां निकलती हैं तो वे एक तरफ से निकलती हैं और दूसरी तरफ से जो गाड़ियां आती हैं, वे भी वहीं से निकलती है। प्रातः 9.00 व 10.00 बजे के बीच में एक घटना हुई। एक लड़का जोगिन्द्रनगर की तरफ से कांगड़ा की ओर जा रहा था और वह मोटर साइकिल पर था। दूसरी ओर से गाड़ी आई और उसका एक्सिडैंट हो गया और उस 25-30 साल के नौज़वान की वहां पर मौत हो गई।

माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जहां बार-बार यह समाचार छप रहे हैं कि सड़कों की हालत खराब है और जहां पर एक्सिडैंट्स हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए विभाग तुरन्त कदम उठाए। एक नौज़वान की डैथ हो गई, एक चिराग किसी घर का बुझ गया, बार-बार जब समाचार-पत्रों में छप रहा था तो विभाग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसलिए जहां पर भी इस तरह से सड़कों की हालत हो चुकी है, वहां विभाग यह सुनिशिचत करें कि यहां पर लोगों की जान-माल का

10.09.2020/1500/JK/AG/2

नुकसान हो सकता है और लोगों की जान को यहां पर खतरा है तो वहां पर इसको सुनिश्चित किया जाए। जहां तक इस संकल्प का प्रश्न है, यह बहुत अच्छा सुझाव है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। यह प्रदेश हित में है। इसलिए सरकार इसमें विचार करें और यहां पर जो सुझाव हमारे साथियों ने दिए हैं, इन पर सरकार सकारात्मक कदम उठाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

10.09.2020/1500/JK/AG/3

उपाध्यक्षः अब कर्नल इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंहः(सरकाघाट)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव नियम-101 के तहत माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने सदन में लाया है, मैं उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इशू सामायिक है क्योंकि जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आजकल टाइल का इस्तेमाल लार्ज स्केल पर हो रहा है। चाहे पंचायतें लगा रही हैं, चाहे पी0डब्ल्यू0डी0 लगा रहा है। पी0डब्ल्यू0डी0 तो मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में देखा है कि वह वहां लगा रहा है जहां पर वाटर लॉकिंग हो रही है। जहां पर संकरी सड़कें हैं वहां पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं हो रहा है। वहां पर पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। वे अच्छे लगते

हैं, जैसे कि यहां पर भी कहा गया। जहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है वहां पर एकमात्र साधन सड़कों को पक्का करने के लिए पेवर ब्लॉक लगाना ही जरूरी हो गया है। अब कुछ प्रश्न उठते हैं कि पेवर ब्लॉक लगना चाहिए या पी.सी.सी. लगना चाहिए। दोनों की कीमत बराबर है। हमने पी0डब्ल्यू0डी0 से पता किया कि दोनों की कीमत बराबर है। अगर आप पी.सी.सी. लगाएं तो उसमें क्योरिंग टाइम ज्यादा लगता है। 14-15 दिन तक रोड़ बन्द रहता है और यदि क्योरिंग प्रॉपर न हो तो उखड़ जाता है, जैसा कि अक्सर देखने को भी मिलता है। लेकिन जो पेवर ब्लॉक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें एक लेयर नीचे कंकरीट की लगानी होती है और बीच में रेत बिछाना है

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

10.09.2020/1505/SS-AS/1

कर्नल इन्द्र सिंह क्रमागत :

ऊपर से पेवर ब्लॉक लगाने हैं और जल्दी ही जनता के यूज के लिए रोड तैयार हो जाती है। लेकिन पेवर ब्लॉक की जो लाइफ व गुणवत्ता है अगर वे ठीक ढंग से लगाए हैं तो वे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी डयूरेबिलिटी भी पी0सी0सी0 के बजाय ज्यादा होती है। मैं ऐसा समझता हूं। ये कहां-कहां लगते हैं? जैसे पार्क्स में लगते हैं वहां पर लोड कम होता है। आप इनको फिर कार पार्किंग में लगा सकते हैं। रास्तों में भी लग रहे हैं जहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जहां हाईवे पर लगने हैं वहां पर पेवर ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन अलग टाइप की होती है। इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। लेकिन जो इश्यु माननीय अग्निहोत्री जी ने उठाए हैं, your issue is mainly based on that there should be no corruption in the system, which is very obvious. अगर क्वालिटी ब्लॉक नहीं लगे तो फिर जैसा कहा गया कि मशरूमिंग है, जगह-जगह पेवर ब्लॉक बन रहे हैं, उनकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिटी चैक नहीं है, कोई आई0एस0ओ0 मार्क नहीं है than the whole system gets into corruption. वह नहीं होना चाहिए। जगह-जगह पर जो क्वालिटी कम्प्रोमाइज होती है वह नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। ये पेवर ब्लॉक सीमेंट-कंक्रीट के बनाए जाते हैं और इनकी compressive strength and thickness is

of paramount importance. वह मैनुफैक्चरर की तरफ से ठीक होनी चाहिए। अगर रास्ते पर लगाने हैं तो 50 mm is enough, क्योंकि वहां पर लोड नहीं होगा। लाइट ट्रैफिक जहां है वह 60 मिलीमीटर की थिकनैस होनी चाहिए। जहां मीडियम ट्रैफिक है वहां 80 मिलीमीटर और जहां हैवी ट्रैफिक है वहां 100 मिलीमीटर की थिकनैस होनी चाहिए। जहां पर बहुत ही हैवी ट्रैफिक है वहां 120 मिलीमीटर की थिकनैस गुणवत्ता के हिसाब से आनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं। जो टाइल आई है आप उसकी गुणवत्ता फिजीकली भी चैक कर सकते हैं। उसमें आप विचुअली देख सकते हैं कि इसमें कोई क्रैक तो नहीं है या उसमें चैम्बर ठीक बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, इसकी डायमैंशन ठीक हैं या नहीं we can check them physically एक वाटर अब्ज़ॉर्प्शन कंटैंट होता है कि यह पानी कितनी अब्ज़ोर्ब करता है। अगर बाई मास यह 6 परसैंट से ज्यादा पानी कंज्यूम करता है तो you can outrightly reject it. हम इसकी कम्प्रैसिव स्ट्रैंथ भी देख सकते हैं और उसे देखने के लिए पी0डब्ल्यू0डी0 में जोनल लेवल पर या फिर सर्कल लेवल पर भी इक्विपमैंट होता है one can get the sample tested there. यह सुविधा है and I think that PWD can

10.09.2020/1505/SS- AS/2

very effectively do this. आपने इसमें मूल्य नियंत्रण की बात कही है। एक्चुअली मूल्य नियंत्रण के लिए इसमें ऑलरेडी पी0डब्ल्यू0डी0 की तरफ से शिडयूल बना हुआ है। वह 2009 का शिडयूल है, उसमें सारे रेट्स लिखे होते हैं। हां अगर फ्लक्चुऐशन हो गई because of inflation तो फिर the local authority is competent enough to increase the rates. इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। पी0डब्ल्यू0डी0 में ज्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि हम पी0डब्ल्यू0डी0 का चैक करते रहते हैं। हमारा मेन कंसर्न यह है कि बी0डी0ओ0 के अंडर जो पंचायतों में काम हो रहा है वहां पर क्वालिटी चैक करने की बड़ी गुंजाइश है। वहां पर हमें शक होता है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव में एक और चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। जो रेत और बजरी पंचायतों को जाती है वहां पर बड़े लार्ज स्केल पर धांधली होती है। पंचायत प्रधान अपनी मर्जी का रेट लगाता है। वह भी इसमें शामिल होना चाहिए। पी0डब्ल्यू0डी0 में भी ब्रिक्स और रेत लगती है। वह किस स्टैंडर्ड का लगता है उसकी भी क्वालिटी चैक होनी चाहिए। उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है, otherwise, I don't think there is much to say on this.

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें और ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है इसलिए मैं समझता हूं कि मूल्य नियंत्रण भी हो जायेगा लेकिन हमें क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि पी0डब्ल्यू0डी0 प्रॉपर सैम्पल चैकिंग करे। हालांकि मैनुफैक्चरर क्वालिटी का एक सर्टिफिकेट देता है। यह सर्टिफिकेट सब जगह आता है जहां से आप इसे खरीदते हैं

जारी श्रीमती के0एस0

10.09.2020/1510/केएस/एएस/1

कर्नल इन्द्र सिंह जारी---

जहां से आप खरीदते हैं लेकिन क्वालिटी चैक हो, पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सैम्पल चैक ज़रूर करना चाहिए जो कि पी.डब्ल्यू.डी. नहीं कर रही है, मैं ऐसा समझता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

10.09.2020/1510/केएस/एएस/2

उपाध्यक्षः अब चर्चा में श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी भाग लेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो नियम-101 के तहत संकल्प लाया है, इंटरलॉकिंग टाइल्ज़ से सम्बन्धित, मैं उस सम्बन्ध में कुछ विषय माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इंटरलॉकिंग टाइल्ज़ केवल सड़कों पर ही नहीं लग रही हैं, चार-पांच विभाग इसको लगा रहे हैं। पी.डब्ल्यू.डी., यू.डी., आई.पी.एच., मार्किटिंग बोर्ड और पंचायती राज विभाग इसको लगा रहे हैं लेकिन किस प्रकार की क्वालिटी लगे यह तय नहीं है। पंचायती राज में हमारे गाड़ी चलने वाले रास्ते नहीं होते, छोटे-छोटे रास्ते होते हैं,उन पर यह टाइल्ज़ लगती हैं तो सुन्दर लगती हैं। किस क्वालिटी की लगे वह तय नहीं है। उसी प्रकार पार्क में किस क्वालिटी की लगे, वह भी तय नहीं है। कंडिशन्ज़ क्या लगा दी जाती है, अब मेन जो बात आ रही है जो पी.डब्ल्यू.डी. के स्टेट रोड़ हैं, रूरल रोड़ हैं या नेशनल हाई-वे हैं, उन पर ये

टाइलें लगाई जा रही हैं। गुणवत्ता और इसके जो कलर की बात कही है, मुकेश अग्निहोत्री जी ने वे प्वाइंट्स आपके सामने रख दिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। जो डी.पी.आर्ज़ पी.डब्ल्यू.डी. में भी बन रही हैं, उसमें इंटरलॉकिंग टाइल्ज़ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं और तकरीबन माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इस काम को करवाने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में, विधायक निधि से नाबार्ड से साढ़े सात करोड़ की इंटरलॉकिंग टाइल्ज़ का टैंडर हुआ। ठीक है, टैंडर कोई एक रोड़ का नहीं है। पैच वाइज़ बना दिया गया, एक किलोमीटर, कहीं पांच सौ मीटर, कहीं सात सौ मीटर लेकिन टाइल्ज़ की क्वालिटी का हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होगा। मैं इस माननीय सदन में यह बात इसलिए रखना चाहता हूं कि अगर एक करोड़ की टाइल्ज़ लगनी हैं तो 50 लाख रुपया कम से कम ठेकेदार की जेब में जाता है। मैं ठेकेदारों पर आरोप नहीं लगाना चाहता । साढ़े सात करोड़ के टैंडर में आप अन्दाज़ा लगाएं, या तो पूरे रोड़ पर टाइल लग रही हो, पूरा पैच हो लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं 100 मीटर का एस्टिमेट बनाया गया है, बनाया वह विधायक निधि के तहत हमने ही

10.09.2020/1510/केएस/एएस/3

है लेकिन जब मैंने पाया कि इसमें गल्तियां रहेंगी और टाइल की क्वालिटी ऐसी है, काफी अरसे बाद लीक कर जाती है, गड्ढे बन जाते हैं। दो-तीन टाइल निकली नहीं कि बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। फिर उसको ठीक करना पड़ता है। टाइल की जो लोड वीयरिंग केपेसिटी है, उसकी क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। गांव की सड़क में तो हमारी 40MM की भी और 20 MM की भी चल पड़ेंगी लेकिन जिसमें 12 टायर के सीमेंट वाले ट्रक चलेंगे या 8 टायर के ट्रक चलते हैं, उसमें किस क्वालिटी की टाइल लगेगी? मेरा यह मानना है कि टाइल कम से कम 20 प्रतिशत रोड़ के पैच में लगनी चाहिए। पूरे रोड़ में टाइल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ किसी को फायदा देने के लिए

विभाग यह करता है, मैं विभाग पर टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन यह सत्य है कि हम अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि नदौन में हमारे बड़सर डिविज़न में साढ़े सात करोड़ का टैंडर हो चुका है लेकिन जब मैं वहां टाइल की क्वालिटी देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए उस टैंडर को आप कम करके उस साढ़े सात करोड़ में से चाहे 50 लाख या एक करोड़ का काम करके साढ़े छः करोड़ रुपये का काम किसी और सड़क पर करवा दीजिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं करवाना है तो आप अपने या किसी और के चुनाव क्षेत्र में करवा दीजिए लेकिन सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सिर्फ टाइल का ही टैंडर वहां साढ़े सात करोड़ रुपये का है। वह हमारी विधायक निधि में जुड़ जाएगा कि हमने आपको 90 करोड़ के काम दिए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से अनुरोध है कि उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद जो उचित फैसला उस संदर्भ में हो सकता है, आप कीजिए। अगली जो विडम्बना है, यू.डी. मिनिस्टरी के तहत हमारे पार्क बन रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.9.2020/1515/av/hk/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु----- जारी

नगर पंचायत, नगर परिषद और कॉर्पोरेशन्ज में बनते हैं। वहां किस क्वालिटी की टाइल लगेगी; उसके लिए कोई क्वालिटी तय ही नहीं है। यहां पर कर्नल इन्द्र सिंह जी ने भी गुणवत्ता की बात की है, उस गुणवत्ता को हम पहचान ही नहीं सकते। हम लिख देते हैं कि चण्डीगढ़ से टाइल आयेगी या लोकल टाइल आयेगी; इस टाइल की कोई क्वालिटी तय

नहीं है। अगर कोई क्वालिटी तय है तो मुख्य मंत्री जी, आप अपने अधिकारियों से पूछें कि आप किस क्वालिटी की टाइल लगायेंगे, उसकी लाइफ क्या होगी। गांव में टाइल चल सकती है और वहां सड़क सुदंर लग जाती है आप वहां के लिए एक क्वालिटी फिक्स कर दीजिए कि इतने एम0एम0 की टाइल लगेगी। यह भी देखा जाए कि क्वालिटी की पहचान आप कैसे कर पायेंगे क्योंकि यह तो सीमेंट से बनेगी और रेत पर लगेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि विभाग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पार्क में किस प्रकार की टाइल लगेगी, छोटे पैदल चलने वाले रास्ते में किस प्रकार की लगेगी तथा स्टेट हाईवे पर किस प्रकार की लगेगी तथा उसका उचित मूल्य क्या होना चाहिए। आपको एक जगह 60एम0एम0 की 50 रुपये की टाइल मिल जायेगी, दूसरी जगह 30 रुपये या घर के पास 20 रुपये में मिल जाती है। जब वह टाइल एक बार लग जायेगी तो उसको निकाला नहीं जा सकता। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक अच्छा संकल्प लाया है कि इसमें धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा व सही दृष्टिकोण अपनाया जाए तथा उसके अनुसार आगे बढ़ा जाए। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि हमारे बड़सर डिविजन में लगने वाली 750 करोड़ रुपये की इंटरलॉकिंग टाइल बारे पुनर्विचार करें तथा मैं इस संबंध में आपको लिखित रूप में भी दूंगा कि यह पैसा केवल उसी जगह लगे जहां पर इसका सदुपयोग हो। यह न हो कि इसका 50 प्रतिशत पैसा काम करने वाले की जेब में जाएं और सरकारी धन का दुरुपयोग हो। इसको रोकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

10.9.2020/1515/av/hk/2

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा चर्चा में भाग लेंगे। कृपया पहले आ चुके सुझावों से हट कर अपने सुझाव दें।

श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो यहां पर जो इंटरलॉकिंग टाइल्स के बारे में संकल्प लाया है तो यह बात सही है कि हिमाचल प्रदेश के जो इंटीरियर एरियाज हैं जहां पर 5-6 फीट बर्फ गिरती है वहां पर मैटलिंग बहुत कम टिकती है। उन सड़कों में अगर 5-6 इंच मोटा पेवर्स बिछे, मैं खासकर देहा से चौपाल तक के 26 किलोमीटर थिक फौरेस्ट एरिया की बात करना चाहता हूं। मैं उसके बारे में आपके सामने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड ला सकता हूं। उस सड़क की पिछले 30 वर्षों में लगभग 7-8 बार मैटलिंग हो चुकी है जिस पर लगभग 25-30 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। खिड़की का एरिया 9500 फीट की ऊंचाई पर है। वहां पर बर्फ जे0सी0बी0 से नहीं हटाई जा सकती, उसके लिए डी-50 बुल्डोज़र लगाने पड़ते हैं जिसके कारण वहां सारी मैटलिंग उखड़ जाती है। वहां पर 30 एम0एम0 तक की मैटलिंग की जाती है जो कि बर्फीली सड़क के लिए बहुत कम मानी जाती है। बर्फ के दिनों में यदि कोई बीमार होता है तो वहां पर बर्फ हटाने के लिए स्थानीय जनता का प्रैशर होता है जिसके कारण सड़क पूरी तरह से उखड़ जाती है। हम चाहे मार्च-अप्रैल के महीने में मैटलिंग करते हैं मगर बर्फ हटाने की वजह से अगले मार्च-अप्रैल माह तक उस मैटलिंग का नामोनिशान नहीं रहता और वह सारी उखड़ जाती है। इसलिए जहां पर 5-6 फीट बर्फ पड़ती है वहां पर सड़क में मैटलिंग की थिकनैस मोटी की जाए। अगर उसके लिए केंद्र सरकार से नाबार्ड या पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत ज्यादा पैसा नहीं आता तो राज्य सरकार उसमें कुछ अपना पैसा डाले ताकि वह मैटलिंग 4-5 साल तक टिक सकें। पेवर्स की क्वालिटी और थिकनैस के साथ-साथ यह देखना होगा कि यह आई0एस0आई0 मार्क्ड है या नहीं तथा इसको कहां से पर्चेज करना है। अगर लोकल मेड होगा तो वह बर्फ वाले एरिया में टिकनी बहुत मुश्किल है। उसकी क्वालिटी निश्चित करने के लिए कोई ऐसा

श्री टी सी द्वारा जारी

10.09.2020/1520/टी.सी.वी./डी.सी.-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा... जारी

कोई मैकेनिज्म डवलप करना पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग में जो मैकेनिज्म हैं; बहुत-सारी सड़कों के बारे में मैंने स्वयं कहा कि इनका क्वालिटी कंट्रोल देखा जाए। लेकिन आज तक कभी क्वालिटी कंट्रोल वालों ने यह नहीं कहा कि ये सड़क गलत बनाई गई है। उनका जो मैकेनिज्म है, उनकी जो लैब्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट आती हैं; वह यह बताती है कि ठेकेदार ने बहुत बढ़िया काम किया है। ...(व्यवधान) मैंने आज तक लोक निर्माण का काम कभी नहीं किया और न कभी आगे करूंगा। मेरा 20 से 25 साल का अनुभव है, कई बार हम भी अनुभव करते हैं कि यह सड़क क्यों उखड़ रही है; इसका क्वालिटी कंट्रोल देखें लेकिन उसकी रिपोर्ट दो या तीन महीने के बाद आती है कि ठेकेदार ने बहुत बढ़िया काम किया है। जहां पर ये टाइल्ज या पेबल्ज लगाए जाएंगे; वहां पर लोक निर्माण विभाग अपना एक ऐसा विंग बनाए जो उसकी क्वालिटी और थिक्नैस चैक की करें। ये पेवल्ज पी0एम0जी0एस0वाई0, नाबार्ड,एस0सी0पी0 और ए0एम0पी0 के तहत लगाए जाएं। Annual Maintenance Plan में हर कंस्टिच्यूंसी में हर साल 40 से 50 किलोमीटर सड़कें आती हैं। कुछ ऐसे भी पोर्शन हैं, चाहे आप वहां कितनी भी मैटलिंग करें बर्फ और बरसात के कारण वह मैटलिंग नहीं टिकती है। कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां 9 महीने बर्फ और बरसात का प्रकोप होता है, उस क्षेत्र में अगर इन टाइल्ज को लगाया जाये तो 4-5 सालों तक वहां के लोगों को अच्छे रोड की सुविधा मिलेगी और विभाग भी बदनामी से बचेगा। इसके कारण पॉलिटिकल सैटअप के लोगों पर भी बहुत छींटाकशी की जाती है। इसलिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जहां पेवल्स लगेंगे, वह ठेकेदार पांच साल तक इसकी पूरे देखभाल करेगा। मैं मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि शिमला में भी कुछ पेवल्स लगे हैं। लेकिन पेवल्स लगने से पहले टेंडर में यह प्रोविजन किया जाना चाहिए कि पेवल्स लगाने से पहले उस रोड की स्ट्रेंथनिंग की जाए। शिमला में ऑकलैंड टनल में लगभग तीन साल पहले ये पेवल्स लगाई गई थी लेकिन वह बीच में नीचे बैठ गई क्योंकि उस रोड की

स्ट्रैंथनिंग प्रोपर्ली नहीं हुई थी। उसमें जो जी-I; जी-II बिछना था, वह नहीं बिछा था उसकी वजह से वह नीचे बैठ गई। इसलिए पहले रोड की स्ट्रैंथनिंग की जाए, उसमें जी-I, जी-II बिछाया जाए और उसके बाद पेवल्स लगाई जाये। उसमें यदि 40 या 50 एम0एम0 मोटे पेवल्स लगे तो 4-5 साल तक उस रोड को मैटलिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 10-12 ऐसे प्वाइंट्स हैं जो हर बरसात में उखड़ जाते हैं और हर दूसरी-तीसरी साल में लोक निर्माण विभाग द्वारा उनकी रिपेयर की जाती है लेकिन वे फिर भी बरसात और बर्फ के बाद उखड़ जाते हैं। जो 100-200 मीटर के ऐसे पोर्शन हैं, उनके लिए इसका डी.पी.आर्ज0 में प्रावधान किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्षः धन्यवाद वर्मा जी, आपने स्नो बाउंडिड एरियाज की भी बात की है, इन एरियाज में गाड़ियां बहुत स्कीट होती हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए।

आर.के.एस. द्वारा जारी ।

10.09.2020/1525/RKS/HK-1

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी भाग लेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालःमाननीय अध्यक्ष महोदय पिछले 5-7 वर्षों से पी.डब्ल्यू.डी. या अन्य विभागों द्वारा इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई जा रही हैं जिससे इन टाइल्स का कारोबार अत्यधिक बढ़ गया है। मेरा बोलने का अभिप्रायः यह है कि इन टाइल्स की गुणवत्ता, रंग, आकार और मूल्य के बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने ठीक कहा कि इन टाइल्स को लगाने से पहले रोड की फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में काफी जगह इंटरलॉकिंग टाइल्ज लगाने का कार्य चला हुआ है और पहले भी कई जगह ये टाइल्ज स्थापित की गई हैं। इन टाइलों को कितनी दूरी तक लगाया जाना चाहिए यह बात भी विचार करने वाली है। यदि हम इन टाइलों को लंबी दूरी तक लगाते हैं तो क्या ये टाइलें

कामयाब रहेगी? पी.डब्ल्यू.डी. जब डी.पी.आर. तैयार करता है तो उस डी.पी.आर. के अनुसार रेत के ऊपर ही टाइल्स लगा दी जाती है। यह प्रक्रिया ठीक नहीं है। अभी 8-10 दिन पहले बिजड़ी बाजार में जो टाइलें बिछाई गई हैं वे सीधे रेत के ऊपर बिछा दी गई थी और जैसे ही इन टाइलों के ऊपर गाड़ियां चलनी शुरू हुई, ये सारी टाइलें हिल गई। मैंने टाईल्ज़ को बिछाने से पहले ही अधिशाषी अभियन्ता को कह दिया था कि इन्हें लगाने से पहले सड़क में कंक्रीट डाली जाए और उसके ऊपर रेत डालने के बाद ये टाइलें लगाई जाएं, क्योंकि अगर फाउंडेशन ठीक नहीं होगी तो टाइलें ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का उद्देश्य यह था कि जहां सड़क बार-बार धंस रही है या जहां बार-बार मैटलिंग या टारिंग करने से सड़कें ठीक नहीं हो रही थी वहां पर इन्हें बिछाया जाये। लेकिन आज जिस तरीके से टाइलें बिछाई जा रही हैं उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखने में यह भी आ रहा है कि अगर बीच में दो या तीन टाइलें टूट जाती हैं तो उनको रिपेयर करना मुश्किल होता है। जब भी पी.डब्ल्यू.डी. या अन्य विभाग डी.पी.आर. तैयार करें तो कार्य शुरू करने से पूर्व उस रास्ते की फाउंडेशन जरूर चैक कर लें जहां पर टाइलें बिछाई जानी है। यदि

10.09.2020/1525/RKS/HK-2

फाउंडेशन मजबूत होगी तभी टाइलें इसके ऊपर मजबूती से टिकी रहेंगी। यदि आप नाहन में देखें तो जो टाइलें नाहन में स्थापित की गई हैं वे सभी टाइलें टेढ़ी-मेढ़ी हो गई हैं। इसके अलावा जो विधान सभा सचिवालय के मुख्य द्वारा पर टाइलें लगाई गई हैं वे सभी टाइलें भी हिल चुकी हैं। जो यह काम हो रहा है इस पर टैक्टिनकल तरीके से विचार किया जाए कि हमें किस प्रकार से टाइलें लगानी चाहिए। यह बहुत मंहगा काम है और इस पर बहुत ज्यादा बजट खर्च होता है। साइड ड्रेन्स का प्रावधान भी डी.पी.आर. के अंदर किया जाना चाहिए। जब सड़क बनती हैं तो कोई साइड ड्रेन नहीं बनाई जाती। जहां पर पानी की निकासी थी वहां पर भी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई हैं ताकि वहां पर पानी रोका जा

सके। परंतु वहां पर ऐसा ही हाल हो रहा है और इन टाइलों को लगाने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। वहां से पानी की निकासी कहां ले जानी है यह प्रावधान पहले ही डी.पी.आर में किया जाना चाहिए। पंचायती राज या पी.डब्ल्यू.डी. में विभिन्न प्रकार की टाइलें यूज हो रही हैं और इन टाइलों का कोई मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है। सभी ने अपने-अपने रेट निर्धारित किए हैं और उसके हिसाब से ये टाइलें बेची जा रही हैं। चंडीगढ़ में जो एन.टी.सी. टाइल बनाई जाती है उसकी कॉस्ट 27 रुपये है लेकिन कर लगाकर ये टाइल यहां 32 रुपये पड़ती है। जो यहां पर हमारे स्थानीय नौजवानों द्वारा टाइलें बनाई जाती हैं उनमें जो आई.एस.आई. नम्बर लेते हैं,

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

10.09.2020/1530/बी0एस0/एच0के0/-1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी...

उनका जो रेट है वह किसी का 18 रुपए है किसी का 12 रुपए है इसे कई 9 रुपए में भी दे रहे हैं। इस प्रकार से यह रेट भी फिक्स होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी कमी यह आ रही है कि जो रेत और बजरी इस्तेमाल हो रहा है, वह चाहे पंचायतों में हो रहा है, चाहे अन्य स्थानों पर उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है। आपने जो रेट डी.पी.आर्ज. में फिक्स किए होते हैं उनके मुकाबले बाजार में रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। उन पर भी आप विचार करें। तभी कार्य सही ढंग से हो पाएगा। अगर रेट ही कम दिया जाएगा तो ठेकेदार उसमें घटिया काम करेगा। यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। यह बहुत ही सामयिक मुद्दा हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने यहां पर उठाया है इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, धन्यवाद।

10.09.2020/1530/बी0एस0/एच0के0/-2

उपाध्यक्ष : यदि माननीय सदन में नया विषय लाना है तो अभी तीन-चार माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, कृपया समय का ध्यान रखें। अब माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल : माननीय उपध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अग्निहोत्री जी ने जो इस माननीय सदन में विषय लाया है कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में इन्टर लॉकिंग टाइल्स के इस्तेमाल की बढ़ौतरी के कारण इसके निर्माण में नियन्त्रण, गुणवत्ता तथा बिछाने पर विचार करे"।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जहां पूरे प्रदेश में एक रिवाज सा चल पड़ा है चाहे वह हिमाचल प्रदेश में पंद्रहवें वित्तायोग का पैसा हो, चाहे विधायक निधि का हो, चाहे मनरेगा का हो या फिर सांसद निधि का पैसा हो ज्यादातर यही प्रयास हो रहा है कि गांव के जितने भी रास्ते बन रह हैं वे इन्टरलॉक टाइल्स के द्वारा बनाए जाएं। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार और प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि करोड़ो का बजट इन कार्यों के लिए आ रहा है। यदि में अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो आनी भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछले दो वर्ष में मेरे क्षेत्र में बहुत से रास्तों का निमार्ण हुआ है और वहां पर इन्टर लॉक टाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके अलावा जो यहां पर सड़कों की बात आई है आज यदि सड़कों में ये इन्टरलॉक टाइल्स लग रही हैं। मुख्य मंत्री स्वालम्बन रोजगार योजना के तहत बहुत से बेरोजगारों ने अपने कारखाने खोले हैं उससे इन्हें रोजगार प्राप्त हो रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में चार महीने तक बर्फ रहती है और जहां ये इन्टरलॉक टाइल्स इस्तेमाल होती है वहां बहुत अच्छे रास्ते बनते हैं। इससे लोगों के गिरने का भी ज्यादा खतरा नहीं होता है। कच्चे रास्तों में धूल-मिट्टी उठती है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है परंतु इससे ऐसा नहीं होता। विपक्ष के नेता ने जो बात रखी है यह बहुत जरूरी है और इसमें हमारे मुख्य मंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर भी इसके लिए जो तकनीकी स्टाफ बैठा है वह लगातार नियंत्रझा रखता है। आपने वाले समय में मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जो इन्टरलॉक टाइल्स इस्तेमाल होती है उसके लिए मनरेगा के तहत भी चाहे वह रास्ते हों या ग्रामीण स्तर की सड़के हों

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

10-09-2020/1535/वाई.के.-एन.जी./1

श्री किशोरी लाल जारी.....

चाहे गांव के रास्तों की बात हो, उसके लिए मनरेगा के तहत भी इन्हें जोड़ा जाए। इसके अलावा ग्राम स्तर की सड़कें, विशेषकर छोटी-छोटी सड़कें, एंबुलैंस रोड आदि पर भी इंटरलॉक टाइल्स का उपयोग किया जाए। इस विषय में विशेषकर गुणवत्ता पर जरूर ध्यान दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10-09-2020/1535/वाई.के.-एन.जी./2

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो संकल्प इंटरलॉक टाइल्स के संदर्भ में लाया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरा आपसे आग्रह है कि एक ही प्रकार का विषय न रखें जैसे क्वालिटी अच्छी हो, रेत बिछाई जाए आदि-आदि। कुछ नए सुझाव हैं तो उसे माननीय सदन में प्रस्तुत करें।

श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के संदर्भ में मुझ से पूर्व बोल रहे माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार से अपनी बातों को यहां पर रखा है। मैं भी अपनी ओर से कुछ सुझाव इस माननीय सदन में रखना चाहूंगा। यह बात सही है कि इंटरलॉक टाइल्स को बहुत अधिक संख्या में उपयोग किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मैटलिंग वाली सड़कों के स्थान पर इंटरलॉक टाइल्स वाली सड़कें अधिक बनाई जाएंगी। इस माननीय सदन से मैं कहना चाहूंगा कि इंटरलॉक टाइल्स को लगाने का बहुत लाभ हैं। यदि अच्छी गुणवत्ता की इंटरलॉक टाइल्स लगी हों तो 15-16 साल तक उसे रख-रखाव की आवश्यकता नहीं होती। मेरे क्षेत्र में अभी एक रोड बना है जोकि लगभग 5 किलोमीटर लम्बा है और उसमें 1-1.5 किलोमीटर्स तक पेवर ब्लॉक डाले गए हैं। उससे पहले वह रोड ऐसा था कि पानी के कारण हर समय खराब रहता था। हमने चण्डीगढ़ से पेवर ब्लॉक मंगवा कर उस रोड में लगवाए हैं जिस कारण वह रोड इतना अच्छा बना है कि

देखने में भी सुन्दर है और मुझे लगता है कि आने वाले कईं सालों तक उस रोड को रख-रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि इसके रख-रखाव की आवश्यकता पड़ भी जाए तो इसमें सारा रोड़ नहीं उखाड़ना पड़ता।

10-09-2020/1535/वाई.के.-एन.जी./3

जहां से खराब हुआ है वहीं से उखाड़ कर नई टाइल फिक्स की जाती है। इसके अलावा जहां पर पानी ज्यादा रहता है वहां पर इंटरलॉक टाइल्स का उपयोग किया जाता है। जो सड़क 6 माह में उखड़ जाती थी और यदि वहां पर सही गुणवत्ता की टाइल्स का उपयोग किया गया हो तो वह सड़क कईं सालों तक ठीक रहती है। मेरा केवल इतना कहना है कि जैसे-जैसे इंटरलॉक टाइल्स का उपयोग बढ़ रहा है उससे लोकल लोगों के लिए स्व-रोज़गार का जरिया भी बनता जा रहा है। विपक्ष के लोगों की चिन्ता ठीक है और हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि यहां पर जो लोकल टाइल्स बन रही हैं उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने कईं स्थानों पर देखा है कि पंचायत प्रधानों ने अपना ही यूनिट लगा लिया है और वे टाइलों की सप्लाई कर रहे हैं जिन पर कोई चैकिंग या क्वालिटी कंट्रोल नहीं है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

श्री नरेन्द्र ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो टाइल हम बाहर से लाते हैं उसमें और यहां की टाइल में बहुत फर्क है। माननीय श्री मुकेश जी ने जो संकल्प रखा है उसमें मेरा भी माननीय मुख्य मंत्री और सरकार से निवेदन है कि जो लोकल टाइल बनती है उस पर आई.एस.आई. मार्क होना चाहिए और उसकी गुणवत्ता की प्रोपर जांच होनी चाहिए। यह कोस्टली तो जरूर पड़ती है लेकिन यदि पूरी क्वालिटी चैकिंग के साथ टाइल लगाई जाए तो इसका फायदा भी बहुत होता है। जब इस टाइल को लगाया जाता है तो उसके दोनों किनारों पर कंकरीट की एज लगानी चाहिए। यदि यह एज नहीं लगाएंगे तो टाइल अपनी जगह छोड़ देती है और थोड़े समय में ही वह रास्ता खराब हो जाता है।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

10/09/2020/1540/MS/YK/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर जारी----

सरकार से निवेदन है कि इसकी गुणवत्ता और रेट कॉन्ट्रैक्ट का भी ध्यान रखा जाए। ये टाइल्ज कहीं पगडण्डी पर लगनी हैं और कहीं पैदल रास्ते पर लगनी हैं। कहीं पर ये टाइल्ज 40 एम.एम. की लगती हैं और जहां भारी ट्रक चलते हैं वहां 80 से 100 एम.एम. की लगती हैं। लोक निर्माण विभाग ने हमीरपुर में टाइल्ज जो बिछाई हैं वे बाहर से आई हैं और प्रौपर थिकनैस की वहां पर टाइल्ज लगी हैं। जो सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने एक बात का ज़िक्र किया है, अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। वैसे डी.पी.आर. में ज़िक्र होता है किस जगह कितने एम.एम. की टाइल्ज लगनी हैं। इसी के साथ मैं एक बार फिर माननीय विपक्ष के नेता जी का इस संकल्प को यहां लाने के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

10/09/2020/1540/MS/YK/2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य होशयार सिंह जी भाग लेंगे।

Shri Hoshyar Singh (Dehra): Hon'ble Speaker, Sir, thank you for allowing me to speak on the Resolution moved by Shri Mukesh Agnihotriji, on the advantages and disadvantages of Interlocking tiles. मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह एक हाई लैवल क्रप्शन इस इंटरलॉकिंग टाइल्ज में इन्वोल्व्ड है। जब लोक निर्माण विभाग का ऑनलाइन टैण्डर होता है तो एक ही ठेकेदार 7 से 9 रुपये कोट करता है, जब ये ऑफलाइन टैण्डर होता है तो वही ठेकेदार 13 से 15 रुपये कोट करता है और जब यह पंचायत का काम होता है तो वह 13 से 17 रुपये कोट करता है। टाइल बनाने वाली एक ही कम्पनी है लेकिन रेट अलग-अलग हैं। यह बिल्कुल सच्चाई है और आप इस बारे में लोक निर्माण विभाग के डिवीजन में पता कर सकते हैं। पंचायत में जाकर पता कर सकते हैं कि यह कौन सी कम्पनी है। एक नाम की कम्पनी लेकिन रेट अलग-अलग हैं। कहा जाता है कि शैड्यूल रेट है। यदि शैड्यूल रेट है तो फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन और पंचायत के रेट अलग कैसे हो सकते हैं? रेट तो एक ही होना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन, ऑफलाइन और पंचायत आदि सभी के एक ही रेट होने

चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि यदि थिकनैस अलग होगी तो रेट अलग होंगे। मेरे क्षेत्र गुलेर में इंटरलॉक टाइल्ज डाली गईं और डालने के 15 दिन बाद ही वह सड़क बैठ गई। हमने इसकी शिकायत की और जब क्वालिटी डिपार्टमैंट चैक करने आया तो टैण्डर डॉक्यूमैंट में उसकी थिकनैस 75 एम.एम. थी और जब चैक किया गया तो उसकी थिकनैस 65 एम.एम. निकली। इसलिए वे टाइल्ज 15 दिन में टूट गईं। अधिकतर मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि जब लोक निर्माण विभाग का जे.ई. चैक करने के लिए जाता है तो वे अच्छा मटीरियल यानी अच्छी सीमेंट रेशो डालकर अच्छी टाइल्ज उठाते हैं और उसका टैन्साइल टैस्ट होता है। जबकि यह टैस्ट एट रेन्डम होना चाहिए यानी ऊपर या नीचे, कहीं से भी टाइल्ज उठाई जानी चाहिए फिर उसका टैस्ट होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो यह है कि क्वालिटी इन्सपैक्शन के नियम को प्रौपरली फॉलो किया जाए। दूसरी बात, जब भी टाइल्ज टूटती हैं तो वह ठेकेदार रिप्लेस करने नहीं आता है। वे टाइल्ज टूटी की टूटी रह जाती हैं। मेरे वहां पर टाइल्ज को टूटे हुए दो साल हो गए हैं और आज दिन तक वे रिप्लेस नहीं हुई हैं। वह लोक निर्माण विभाग की सड़क है। वहीं अगर हम ब्लॉक लैवल की बात करें तो वहां एक ब्लॉक की एक पंचायत एक लाख रुपये की राशि में 35 मीटर सड़क इंटरलॉक टाइल्ज की बनाती है और

10/09/2020/1540/MS/YK/3

दूसरी पंचायत में जाते हैं तो वहां 50 मीटर बनाते हैं और तीसरी पंचायत में 25 मीटर बनाते हैं यानी इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि एक लाख रुपये में पंचायत में कितने मीटर सड़क बननी चाहिए। इसका कोई पैरामीटर डिक्लेयर्ड नहीं है। मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ़ इतना ही कहूंगा कि एक स्टैंडर्ड नियम होना चाहिए कि अगर 50 एम.एम. की टाइल्ज हैं,

जारी जे0के0 द्वारा----

10.09.2020/1545/JK/AG/1

श्री होशयार सिंहः--------जारी--------

तो एक लाख रुपये में इतनी मीटर सड़क बननी चाहिए। उसके बेस के बारे में श्री बलबीर सिंह जी ने और बाकी सदस्यों ने ठीक कहा कि जो बेस है, जिसके ऊपर टाइलें टिकनी चाहिए, वह बेस ही नहीं होता जिसके कारण वे पूरी टाइलें नहीं टिकती क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए, क्वालिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से एक सप्लायर और एक कम्पनी अलग-अलग रेट्स में, अलग-अलग हिस्सों में जो दे रही है, यह बिल्कुल गलत है, यह हाइ लैवल की क्रप्शन है। इसकी भी इन्क्वायरी की जाए और पॉलिसी बनाई जाए।

Speaker, Sir, thank you for giving me time to speak.

10.09.2020/1545/JK/AG/2

अध्यक्षः अब इस चर्चा में श्री अरूण कुमार जी भाग लेंगे।

श्री अरूण कुमारः (नगरोटा): अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में नेता प्रतिपक्ष, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रदेश में इन्टरलॉकिंग टाइल्ज़ का इस्तेमाल निरन्तर बढ़ता जा रहा है उसकी गुणवत्ता, आकार, रंग, मूल्य आदि के विषय में एक नीति बनाने की सिफारिश की है। आपने मुझे उस सन्दर्भ में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय,पिछले दो वर्षों से इन्टर लॉकिंग टाइल्ज़ का जो काम, चाहे वह लोक निर्माण विभाग है, चाहे ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग है, उनमें शुरू हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसे कुछ एरियाज़ में जहां लैंड स्लाइडिंग होती थी, वहां से हर वर्ष सड़क बह जाती थी और चार पंचायतें लगातार इसकी वज़ह से कट हो जाती थी। उन सड़कों में गणुवत्ता के आधार पर इन्टर लॉकिंग टाइल्ज़ बिछाई गई और मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की भी बधाई देना चाहूंगा कि आपका एक क्वालिटी विंग तो पहले से बना था लेकिन आपने आते ही अपने कार्यालय में इसके लिए एक मॉनिटरिंग सैल की व्यवस्था की जिसमें कम्पलेंट्स आने लगी और जो आपका मॉनिटरिंग सैल है और जो

हमारा क्वालिटी कंट्रोल विंग था, फिर उसने काम करना शुरू किया। ऐसी मेरे चुनाव क्षेत्र में चार सड़कें निर्माणाधीन थी। वे सड़कें बैठ गई थी। उस समय श्री संजय कुंडू जी पी.डब्ल्यू.डी. को भी देखते थे और प्रधान सचिव भी थे। वे वहां पर गए और दोबारा से उन सड़कों का काम हुआ। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने कार्यालय में मॉनिटरिंग सैल स्थापित किया है, उसके कारण काफी मूवमैंट हुई है। जैसे कि मैं बता रहा था कि वे सड़कें हर बार लैंड स्लाइडिंग की वज़ह से बैठ जाती थी और चार पंचायतें उससे कट हो जाती थी। उनमें इन्टर लॉकिंग टाइल पड़ने के बाद पिछले दो वर्षों से वहां पर ऐसी कोई भी क्षति नहीं हुई है। कुछ पोर्शन तो उसका अभी भी चला जाता है लेकिन यह ठीक है कि यह विभाग को देखना है कि वे क्वालिटी वर्क करें। मैं इसमें श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें क्वालिटी वर्क भी होना चाहिए और जो टाइल है उसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए। हालांकि

10.09.2020/1545/JK/AG/3

जो टाइल हमारे वहां पर बिछाई जाती है उसका एन.आई.टी. हमीरपुर में टैस्ट होता है और आई.सी.आई. मार्क की टाइल ही वहां पर लगाई जाती है। पिछले दो वर्षों में लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग में बहुत ज्यादा कार्य इन्टर लॉकिंग टाइल का हुआ है। आज गांवों में आप देख सकते हैं कि इतनी सुन्दर गलियां बन चुकी हैं, क्योंकि वहां पर जब कंकरीट का काम होता है तब प्रधान को जितना सीमेंट मिलता था,वे सीमेंट आधा लगाते थे और आधा बेच लेते थे या कहीं और यूज़ हो जाता था। लेकिन जब से इन्टर लॉकिंग टाइलें यहां पर आई, इतना ज्यादा पैसा केन्द्र सरकार से नरेगा के तहत आता है। प्रदेश भर में वर्ष 2016-17 में 300 करोड़ रुपया आया। वर्ष 2017-18 में 350 करोड़ रुपया आया। वर्ष 2018-19 में 850 करोड़ रुपया आया। वर्ष 2019-20 में 800 करोड़ रुपया आया और वर्ष 20120-21 के पहले क्वार्टर में अभी तक 450 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ। लेकिन जब पंचायतों में पहले हम जाते थे तो वह पैसा कहां लगा, उसका पता ही नहीं चलता था। एक सड़क मनरेगा में

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

10.09.2020/1550/SS-AG/1

श्री अरुण कुमार क्रमागत :

14वें वित्तायोग के तहत या विधायक निधि के माध्यम से या सांसद निधि के माध्यम से बनाते थे तो उसमें गुणवत्ता बिल्कुल नहीं होती थी और कुछ समय के बाद वे सड़कें व रास्ते टूट जाते थे। लेकिन जब से इंटरलॉक टाइल लगनी शुरू हुई है उसमें गुणवत्ता भी आई है। जहां पर हमारे ब्लॉक अधिकारी ठीक होंगे, काम की चैकिंग प्रॉपर करेंगे तो वहां काम अच्छा होगा।

मेरी सुन्नी पंचायत में एक ऐसा एरिया था जहां पर पानी हमेशा खड़ा रहता था। वहां पर न निकासी इस तरफ को थी और न दूसरी तरफ को थी। वहां पर पहले सी0सी0 डाली जाती थी, कंक्रीट का काम किया जाता था, उसमें सरिया भी डाला जाता था लेकिन कुछ समय के बाद गुणवत्ता न होने के कारण वह सारी सी0सी0 उखड़ जाती थी और सड़क में गड्ढे बन जाते थे। लेकिन हमने पिछले साल वहां पर अच्छी क्वालिटी की इंटरलॉक टाइल डाली तो आज वह सड़क देखने में सुन्दर लग रही है। मैं माननीय पंचायती राज मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री, जिनके पास लोक निर्माण विभाग भी है, से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी इंटरलॉक टाइल के जो साइड बॉर्डर हैं जहां पर हैवी व्हिकल चलते हैं और ज्यादा ट्रैफिक होती है वहां इसमें अगर थोड़ा आयरन भी डाला जाए और अच्छी क्वालिटी की सी0सी0 डाली जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि ठाकुर जी बोल रहे थे कि साइड से टाइल हिल जाती है या टूट जाती है तो इससे उस समस्या का समाधान हो सकता है।

मेरे बड़ोह में 47 करोड़ रुपये का सी0आर0एफ0 का काम लगा हुआ है। मेरी बड़ोह पंचायत से लगड़ू-ज्वाला जी के लिए सी0आर0एफ0 का काम चला है। वहां पर हमने जो इंटरलॉक टाइल डाली हैं वहां पर बड़े हैवी व्हिकल्ज़ आ रहे हैं। यह ठीक है कि बार-बार हैवी व्हिकल्ज़ आने की वजह से रोड की टाइलें कहीं-कहीं बैठ जाती हैं। आजकल तो लोग इतने एक्टिव हैं कि सोशल मीडिया में अगले दिन ही वीडियो डाल देते हैं और जैसे ही मामला सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप पर आता है तो हम अपने पी0डब्ल्यू0डी0 के

अधिकारियों को इस बारे में आगाह करते हैं। अगर इंटरलॉक टाइल अच्छी क्वालिटी की डाली जायेगी तो समय की बचत होती है। आप कंक्रीट का काम करते हैं तो कई दिन व महीने लग जाते हैं, ट्रैफिक को जाम व रोड को बंद करना पड़ता है। लेकिन जब आपका इंटरलॉक

10.09.2020/1550/SS-AG/2

टाइल का काम होता है तो वह बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है। अगर उसमें अच्छी किस्म की इंटरलॉक टाइलें हों तो ज्यादा बेहतर काम होता है।

मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि पंचायतों में पिछले समय जो रेत-बजरी के टैंडर हुए उसमें बहुत धांधली हुई है। जितने प्रधान हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को टैंडर दिये हैं और रेट उनके बहुत कम हैं लेकिन वे 100 की जगह 60 फुट ही माल देते हैं क्योंकि वहां पर उनको चैक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए माननीय पंचायती राज मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि प्रदेश लेवल पर इसके लिए कोई नियम या नीति बनाई जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि साथ लगता जो क्रशर है वहां पर रेत-बजरी महंगी मिलती है और जो दूर से लेकर आते हैं वह सस्ती मिलती है। वहां पर रेट का कोई सिस्टम नहीं है। इसके लिए मैं समझता हूं कि कोई नीति बनाई जाए ताकि समस्या से निजात मिले।

इसके साथ-साथ हमारे जितने डिपार्टमैंट्स हैं, जो हम ईंट मंगवाते हैं उसमें अव्वल ईंट का टैंडर होता है लेकिन कई बार दूसरी दोमट ईंट आ जाती है। अगर आप उसके लिए लैब टैस्टिंग का प्रावधान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर ईंट, रेत और बजरी की टैस्टिंग इस लेवल पर हो जाए तो उससे काफी बेहतर रिजल्ट आयेंगे क्योंकि हमारी सरकार जीरो टॉलरैंस पर काम करती है।

मैं एक और बात माननीय पंचायती राज मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कोविड के समय में बेरोज़गारी बहुत फैली है। मेरा मानना है कि कोविड महामारी आने के बाद हम सबको मालूम हुआ कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 7 लाख लोग दूसरे प्रांतों में अपनी रोजी-रोटी कमाने जाते हैं। ढ़ाई लाख लोग आप यहां लेकर आए और माननीय मुकेश जी आंकड़ा बता रहे थे कि चार या साढ़े चार लाख लोगों ने परमिट एप्लाई

किया था। लेकिन लगभग 7 लाख लोग जोकि दूसरे प्रांतों में रोज़गार हेतु जाते थे चाहे वे किसी कम्पनी में काम करते थे, मुझे लगता है कि यह बेरोज़गारी का आंकड़ा पिछली सरकार के समय से ही चला है जोकि हमारे ध्यान में नहीं था। बेरोज़गारी का आंकड़ा बहुत ज्यादा था। यह अभी कोरोना के टाइम पर हमें मालूम हुआ और लोग वापस आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

10.09.2020/1555/केएस/एएस/1

श्री अरुण कुमार जारी---

आपने स्वावलम्बन योजना के तहत बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देने का जो प्रावधान किया उसमें भी कुछ लोग छोटे-छोटे कारखाने बनाकर इंटर लॉक टाइले सप्लाई करके अपनी रोज़ी-रोटी कमाएं। उसमें क्वालिटी के लिए अगर जैसे एन.आई.टी. हमीरपुर में क्वालिटी चैक होती है, वैसे ही कांगड़ा में भी लैब टैस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि अच्छी क्वालिटी की टाइले वे बनाएं क्योंकि अगर एक बार हम गलत काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे लोग तो फिर बार-बार गलत ही करते जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, यह नियम केवल इंटर लॉक टाइल्ज़ के लिए ही नहीं बल्कि रेत व बजरी जो हम ब्लॉक में खरीद रहे हैं और जो इंटें सभी विभागों में खरीदी जा रही हैं, उन सब के लिए ऐसा नियम बनाएं ताकि पारदर्शिता से काम किया जा सके और अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ हो। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10.09.2020/1555/केएस/एएस/2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री पवन काजल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा): अध्यक्ष महोदय, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो इंटर लॉकिंग टाइल्ज़ के बारे में संकल्प इस माननीय सदन में लाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां हैं, यहां पर बहुत ज्यादा

बारीश होती है और बर्फ पड़ती है। तो यह जो संकल्प लाया गया है, मैं भी इस बारे में चर्चा कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो यह इंटर लॉकिंग टाइल है, इसका जो मेन मकसद है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? जैसे कंकरीट की M-20, M-30, M-40 या M-50 होती है। टाइल की स्ट्रेंथ M-50 होती है। जितनी भी यह चाहे लोकल इंटर लॉकिंग टाइल की छोटी या बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इनमें एक ही ध्यान देने वाली बात होती है कि जो भी टाइल उनमें बनती है, वह M-50 बनती है या नहीं । क्या उसकी कम्प्रैसिंग पावर 500 के.जी. है ? परन्तु यह भी नहीं है कि हम M-50 टाइल बना लें लेकिन उसको जहां पर डालेंगे, अगर वहां नीचे ढंग से रेत न हो तो वह टाइल कुछ नहीं कर सकती तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर सही ढंग से M-50 की टाइल्ज़ लगे तो लगभग 50 साल तक इनको खरोंच तक नहीं आती। कहीं गांव के छोटे रोड़ हैं, वहां 25 MM की टाइलें लगा सकते हैं। जहां हैवी वेट की गाड़ियां चलती हैं, वहां 40 MM की लगा सकते हैं, 60 MM या 80MM की लगा सकते हैं। इसके रेट अलग-अलग होते हैं जैसे चंडीगढ़ में 60 MM वाली टाइल 55 रुपये स्क्वेयर फीट मिलेगी और लोकल में कहीं पर 40 रुपये भी मिल जाएगी। परन्तु जो उसकी स्ट्रेंथनिंग पावर है वह सच में ही M-50, M-40 या M-20 है या नहीं, यह देखने वाली बात है और मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये बातें सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। यह बहुत ही अच्छा संकल्प है और आने वाले समय में जैसे हम हर बार कहते हैं कि हमारे यहां पर एक-एक मीटर के गड्ढे पड़ गए हैं। बरसात में सड़कों पर गड्ढे पड़ ही जाते हैं । उसके बाद जब हम वहां टारिंग करते हैं, टारिंग वाले ठेकेदार को बोलते हैं तो वह बोलता है कि

10.09.2020/1555/केएस/एएस/3

हमारी लेबर घर गई है, टारिंग का काम हम बाद में करेंगे। आने वाले समय में हम जहां हर बरसात में गड्ढे ज्यादा पड़ते हैं, इसको हम वहां पर लगा सकते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक नेशनल हाई-वे है। पठानकोट से मण्डी , वहां चार-पांच ऐसे प्वाइंट्स हैं, जहां हर दो महीने के बाद गड्ढे पड़ते ही हैं। यह जो संकल्प है, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, यह

बहुत अच्छा है। हम जब टारिंग करते हैं तो बहुत सी जगह वह दो ही महीने बाद उखड़ने लग जाती है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

10.9.2020/1600/av/as/1

श्री पवन काजल----- जारी

इसलिए भविष्य में हम इन टाइल्स को लगायें। इसमें खासकर यह ध्यान रखा जाए कि इसको जो भी विभाग लगाये इसकी स्ट्रैंथ को जरूर चैक किया जाए। अगर इस टाइल की स्ट्रैंथ ठीक होगी और लगाने वाला भी सही काम करेगा तो इसकी लाइफ आने वाले 20 साल तक होती है। हिमाचल प्रदेश में रेत, बज़री इत्यादि मटीरियल महंगा पड़ता है इसलिए अगर यह भविष्य में कामयाब होती है तो इसका हम सबको फायदा मिलेगा। हम भी अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पर चाहे कोई मंत्री हो या विधायक हों; लोग सड़कों में पड़े गड्ढों के बारे शिकायत करते हैं। इसलिए अगर यह ट्रायल सफल होता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

10.9.2020/1600/av/as/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री नन्द लाल (रामपुर) : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने यहां पर जो संकल्प लाया है कि प्रदेश में इंटरलॉकिंग टाइल्स के इस्तेमाल में निरन्तर बढ़ोतरी के कारण इनके निर्माण की गुणवता, आकार, रंग, मूल्य नियन्त्रण तथा इन्हें बिछाने हेतु नीति बनाने का विचार करें; एक बहुत ही अच्छा संकल्प आया है।

इस संकल्प पर लगभग सभी सदस्य बोल चुके हैं। मेरा इसमें सिर्फ यही कहना है कि इसका मैक्सिम यूज़ अभी गांव और पंचायतों में हो रहा है जो कि लोक निर्माण विभाग कर रहा है। इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म

हो जैसे यहां पर बाकी माननीय सदस्यों ने भी इसकी डैन्सिटी और पावर के बारे में बात कही है यानी हम जो टाइल्स लें वह ठीक क्वालिटी की हो। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको रेट कंट्रैक्ट के तहत खरीदा जाए जैसे कि अभी इसको लोक निर्माण विभाग या पंचायती राज विभाग यूज़ कर रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका बिछाने का तरीका भी गलत है क्योंकि टाइल्स बिछाने के थोड़े दिन बाद ये हिलने लग जाती है और बेकार हो जाती है। यहां पर जैसे बाकी माननीय सदस्यों ने कहा कि एक तो इसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए तथा दूसरे इसके मूल्य नियंत्रण का भी ध्यान रखा जाए ताकि इसमें जो पिल्फ्रैजिस होने की सम्भावना रहती है वह न हो। यहां पर जैसे एक उदाहरण दिया गया कि इतना पैसा दो या यह करो; तो इस तरह की चीजें तो होती रहेंगी। अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये चीजें आम होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। आप देखेंगे कि इस प्रकार की पिल्फ्रैजिस गांव में हो रही है, लोक निर्माण विभाग के तहत हो रही है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि इस पर पूरी तरह से चैक होना चाहिए। इस तरह के पिल्फ्रैजिस होने के चांसिज कम हों और अच्छी गुणवत्ता वाली टाइल्स मिलें ताकि इसको जहां पर भी लगाना हो वहां सही इस्तेमाल हो सके। यहां पर करीब सभी माननीय सदस्यों की तरफ से सुझाव आए हैं कि हमें इसके इस्तेमाल को बढ़ाना है क्योंकि कंक्रीट और मैटलिंग के

10.9.2020/1600/av/as/3

कार्य में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। खासकर जहां पर ज्यादा बर्फ पड़ती है या वर्षा होती है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहां एक 52 किलोमीटर टिक्कर-खमाडी सड़क है और यह सड़क ननखड़ी की लाइफलाइन मानी जाती है क्योंकि यह वहां पर बिल्कुल बीचों-बीच चलती है। इस सड़क की वर्ष 2017-18 व 2018-19 में मैटलिंग हुई है। मगर इस पर बार-बार गड्ढे पड़ते गये और फिर लोक निर्माण विभाग ने इसकी रीअलाइनमैंट की मगर वह भी सफल नहीं हुआ। उसके पश्चात वहां पर सी0आर0आर0आई0 की टीम आई और उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें एक किलोमीटर

सड़क पर ही कई करोड़ रुपये का खर्चा बताया गया। लेकिन उस सुझाव के बारे में भी अभी तक कुछ नहीं सोचा गया। यहां पर जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि अगर इस टाइल का ट्रायल लिया जाए क्योंकि यह पूरे-का-पूरा स्लशी एरिया है। वहां ड्रेनेज न होने के कारण सारा पानी सड़क पर भरा होता है। वहां पर ननखड़ी से कुंगल-बाल्टी 7 किलोमीटर का पैच है और यह पूरे-का-पूरा पैच आजकल तालाब बना हुआ है। अभी सेब का सीजन चालू है और लोग वहां से अपनी गाड़ियों को बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि उस सड़क के बारे में जल्दी-से-जल्दी कोई ऐक्शन लिया जाए ताकि कम-से-कम लोगों का सेब सीजन तो ठीक से निकले। मेरा यह आग्रह भी रहेगा कि इस सड़क के ऊपर जहां-जहां लगभग 3-4 पैच ज्यादा खराब हैं वहां पर अच्छी स्ट्रैंथ की इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा दी जाए ताकि इसका प्रैक्टिकली भी पता चल जाए। जहां तक सी0आर0आर0आई0 टीम की प्रपोज़ल है तो मुझे नहीं लगता कि वह कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल होगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा लाये गये प्रस्ताव का मैं भरपूर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

समाप्त

श्री टी सी द्वारा जारी

10.09.2020/1605/टी.सी.वी./डी.सी.-1

अध्यक्षः श्री मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसका विस्तार में उत्तर दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से विपक्ष के नेता माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो प्रस्ताव इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है; उसमें 13 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। मैं सोच रहा था कि इसमें एक या दो लोग भाग लेंगे और उसके बाद हम उत्तर देंगे। लेकिन फिर मैं अनुभव कर रहा था कि यह विषय कहने में तो

छोटा लग रहा है; इंटर-लॉकिंग टाइल्ज की बात है। परंतु आज सभी क्षेत्रों में इसका दायरा काफी बढ़ गया है। हर एक माननीय सदस्य इस पर बोलना चाह रहा था और अपने सुझाव देना चाह रहा था। इसमें माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल, श्री राजेन्द्र राणा, कर्नल इन्द्र सिंह, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, श्री बलबीर सिंह वर्मा, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, श्री किशोरी लाल, श्री नरेन्द्र ठाकुर, श्री होशयार सिंह, श्री अरुण कुमार, श्री पवन काजल और श्री नन्द लाल जी ने अपने विचार व्यक्त किए। श्री बलबीर सिंह वर्मा जी और श्री पवन काजल जी को इस फील्ड का ज्यादा अनुभव रहा है, उन्होंने भी बड़े विस्तार से अपने विचार यहां रखे। समय के साथ इस विषय का महत्व बहुत बढ़ गया है। काम अच्छा हो, काम जल्दी हो और काम में गुणवत्ता हो, ये सभी बातें माननीय सदस्यों ने किसी-न-किसी रूप में कही है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आज जो हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं उनमें टेक्नोलॉजी ने बहुत-सारे परिवर्तन लाये हैं। चाहे वे गुणवत्ता की दृष्टि से हों, चाहे गुणवत्ता के अलावा सौंदर्य और इसके साथ-साथ काम को तेज गति से करने की दृष्टि से हों। एक्सपेरिमैंट्स के माध्यम से जो कुछ करने लायक होता है, उसमें लोगों का रुझान बनता है। उसी दृष्टि से मैं इंटर-लॉकिंग टाइल्ज को देख रहा हूं क्योंकि यह भी एक प्रचलन बन गया है। जैसे विपक्ष के नेता ने कहा कि यह सिर्फ लोक निर्माण विभाग का विषय ही नहीं रह गया है। आज ग्रामीण विकास विभाग में भी इन टाइल्ज का बहुत बड़ा प्रचलन चल पड़ा है। अर्बन डिपार्टमैंट द्वारा भी इस काम को बहुत जगह तरजीह दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है। .....श्री आर.के.एस. द्वारा जारी...

10.09.2020/1610/RKS/DC-1

माननीय मुख्य मंत्री... जारी

उस दृष्टि से जब किसी चीज का प्रचलन शुरू होता है और वह काम तेज गति पकड़ने लगता है तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रयोग में आने वाली चीजों के बारे में विचार करने की आवश्यकता रहती है। मैं मानता हूं कि इस बात में सार्थकता है और हमारा मैकेनिज्म इस तरह का अभी तैयार नहीं हुआ है। पंचायती राज विभाग ने 13 नवम्बर, 2018 को एक

नोटिफिकेशन निकाली है जिसके तहत विभाग ने इंटरलॉकिंग टाइल्ज लगाने की अनुमति दे दी है। माननीय विधायकों द्वारा जब विधायक निधि के माध्यम से विकास कार्य करवाए जाते हैं तो माननीय विधायक भी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाने के लिए कहते हैं। अब इसके लिए परमिसिबल एक्टिविटी में भी प्रावधान कर दिया गया है। जब कोई काम प्रचलन, गुणवत्ता या देखादेखी में जोर पकड़ने लगता है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म डिवैल्प करना बहुत आवश्यक है ताकि उसे नियम या व्यवस्था में इस प्रकार से ढाल सकें कि उसमें कोई क्वालिटी कंपरोमाइज़ न हो। । जहां इस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं हो वहां हमें यह काम नहीं करना चाहिए। जितनी मात्रा में जिस चीज की आवश्यकता हो उतनी ही मात्रा में उस चीज का उपयोग होना चाहिए। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बहुत अच्छा कार्य है और इस चीज को करना ही चाहिए। माननीय सदस्यों का यह भी कहना था कि हमने यह कार्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में करवाये हैं जिनके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजों का मैकेनिज्म पहले ही डवैल्प हो चुका है और इसका जिक्र मैं इस माननीय सदन में करना चाहूंगा। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए गैर-सरकारी कार्य संकल्प में मैं यह व्यक्त करना चाहूंगा कि इंटरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में स्पैसिफिकेशन के आधार पर किया जाता है। इन टाइल्स के प्रयोग हेतु Indian Standarad Precast Concrete Block for paving - specification(IS15658-2006) जो Bureau of Indian Standard, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है का अनुसरण

10.09.2020/1610/RKS/DC-2

किया जाता है। इस स्पैसिफिकेशन के Clause No -5 में ट्रैफिक कंडिशन के लिए विभिन्न प्रकार के पेवर ब्लॉक्स का उल्लेख किया गया है तथा Clause No.-6 में इन पेवर ब्लॉक्स की भौतिक गुणवत्ता का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इन ब्लॉक्स/टाइल्स के

सड़कों में प्रयोग हेतु इंडियन रोड कॉंग्रेस (आई.आर.सी.) के एस.पी.-63-2004 द्वारा इनके प्रयोग , लगाने की पूर्ण विधि व रख-रखाव के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

10.09.2020/1615/बी0एस0/एच0के0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुरूप ही हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में इन्टरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग विभिन्न कर्यों में किया जाता है। इन्टरलॉकिंग टाइल्स तथा अन्य सामग्री के निर्माण कर्त्ताओं की सामग्री स्पैसिफिकेशन के अनुरूप कांट्रेक्ट एग्रिमैंट में उलिखित है। जिसके अनुसार ही ठेकेदार कार्य करने को बाधित है। सभी भवनों व सड़क निर्माण सामग्री गठित तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत ही कांट्रेक्ट एग्रीमैंट में वर्णित होती है। इन्टरलॉकिंग टाइल्स का हिमाचल प्रदेश में शैड्यूल ऑफ रेट में रेट दिया गया है तथा ठेकेदार को मार्किट रेट पर जस्टिफिकेशन बनाने के उपरांत ही रेट अर्वाड किया जाता है। इन्टरलॉकिंग टाइल्स को साइट के अनुसार बिछाने का कार्य किया जाता है और उसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसकी थिक्नेस के बारे में जिग्र किया जा रहा था तो इसकी थिक्नेस अलग-अलग होती है। उसकी स्पैसिफिकेशन भी होती है और उसके मुताबिक इसमें कहां कौन सी टाइल्स लगनी चाहिए वह भी उसमे स्पैसिफाई किया होता है। जो एम0एम0-30 टाइल्स है यह नॉन ट्रेफिक और इसकी थिक्नेस 50 एम0एम0 है इसे building premises, monument premises, landscapes, public gardens/parks, domestic drives, paths and patios, embankment slopes, sand stabilization areas, ये उन्होंने इसे स्पैसिफाई किया हुआ है। उसी तरह से एम0एम0-35 है इसे लाइट ट्रेफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी थिक्नेस 60 एम0एम0 बताई गई है। Pedestrian, plazas, shopping complexes ramps, car parks, office driveways, housing colonies, office complexes, rural road with low volume traffic, इन जगहों में इसे लगाने का प्रावधान है। एम0-40 इसे मिडियम ट्रेफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी थिक्नेस 80 एम0एम0 होती है इसे city streets, small and medium market roads, low volume roads, utility cuts on arterial roads. उसके बाद एम0एम0-50 है यह हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके बाद

जिसकी थिक्नेस 100 एम0एम0 की होती है उसे bus terminals, industrial complexes, mandi houses, roads on expansive soils, factory floor, service stations, industrial pavements, इन्हें वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से एम0एम0-55 इसे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 120 एम0एम0 की थिक्नेस वाली को बहुत बड़े-बड़े container terminals, ports, docks yards, mine access roads, bulk cargo handling areas, airport pavements, इसके

लिए बताई गई है। ये सारी चीजों को ले करके बहुत स्पष्टा है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए पहले कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी इसके बावजूद हम इस बात को देख रहे हैं कि जब प्रचलन किसी चीज का बढ़ता है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें स्वाभाविक रूप से उसका उत्पादन बहुत जगह पर होना शुरू हो जाता है। जब उत्पादन शुरू होता है तो वह हमारी आवश्यकता को मीटआउट करती है या नहीं करती है?

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

10-09-2020/1620/एच.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री जारी.....

इस बात को लेकर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि आज बहुत सारे नौजवान उस दिशा में आगे बढ़ कर काम करना चाहते हैं। जहां बेरोज़गारी का दौर है वहां प्रदेश व केन्द्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें स्वावलंबन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बहुत सारे कामों को अनुमति दी है। मुझे इस बात की प्रशंसा है कि पिछले कुछ अर्से से बहुत बड़ी तादात में नौजवानों का रूझान इस दिशा में बढ़ रहा है। आज के समय में सभी नौजवान इस बात से सहमत हैं कि सबके लिए सरकारी व निजी क्षेत्र में नौकरी मिलना संभव नहीं है और सरकारी व निजी क्षेत्र में नौकरी का इन्तज़ार करने से बेहतर है कि हमें प्रदेश व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर अपना काम शुरू करना चाहिए। हिमाचल

प्रदेश में मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना का पिछले तीन माह का मैंने रीव्यू किया तो उसमें मैंने देखा कि नौजवानों का बहुत बड़ा रूझान आया है और अनेक नौजवानों ने अपने छोटे-छोटे काम शुरू करने कि पहल की है। इस योजना में नौजवानों को उपदान दिया जाता है और अनेक स्थानों पर सहयोग भी किया जाता है। इस प्रकार के यूनिट हमारे प्रदेश के बेरोज़गारों को रोज़गार व स्व-रोज़गार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से शुरू होते हैं तो हमको भी वहां पर एंश्योर करना पड़ेगा कि इस प्रकार के जो भी कार्य शुरू किए जा रहे हैं वहां पर क्वालिटी से समझौता न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, सभी सड़कों में इंटरलॉक टाइल लगाना संभव नहीं है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड की सभी सड़कें जो 50-100 किलामीटर से भी अधिक की बनाई जाती हैं उन सभी में इंटरलॉक टाइल्स नहीं लगाई जा सकती। उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि लागत के हिसाब से हमें यह सूट करता भी है या नहीं। इसके बावजूद हमें लगेगा कि यह पानी वाला ऐरिया है और सड़क को मैनटेन करने में कठनाई महसूस करे रहे हैं, सड़क बनाते हैं टूट जाती है, फिर बनाते है फिर टूट जाती है

10-09-2020/1620/एच.के.-एन.जी./2

और करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है ऐसी परिस्थिति में वहां पर व्यवहारिक रूप से लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ने भी बड़े स्केल पर इंटरलॉक टाइल्स लगाना शुरू कर दिया है। ताकि सड़क को बार-बार टूटने और सड़क को खराब होने से रोका जा सके और इसमें विभागों को सफलता भी हासिल हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरलॉक टाइल्स की तरफ रूझान बढ़ रहा है क्योंकि यह देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। इसकी साफ-सफाई रखना भी थोड़ा सरल है। इस कारण इसका प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में जब इसकी मांग बढ़ती जा रही है तो स्वभाविक रूप से हमें इस बात पर सोचना ही पड़ेगा कि इसकी गुणवत्ता अच्छी हो, टाइल सुन्दर हो, जिस साइज व स्ट्रैन्थ की टाइल की आवश्यकता हो उसी साइज व स्ट्रैन्थ की टाइल वहां पर लगे आदि-आदि, इन सब चीजों को मोनिटर करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने की

आवश्यकता है। मैंने यहां पर Bureau of Indian Standard का जिक्र किया था उसमें यह सारी चीजें शामिल हैं। लेकिन उसके साथ-साथ एक विभाग में नहीं बल्की बहुत सारे विभागों में इसके उपयोग की संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं, जहां पर इस प्रकार के कार्य होंगे।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

10/09/2020/1625/MS/YK/1

मुख्य मंत्री जारी----

ऐसे में चाहे वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, लोक निर्माण, यू.डी. या दूसरे विभाग भी इन चीजों का उपयोग करते हैं तो उसमें एक नीति बनाने हेतु जो संकल्प के माध्यम से माननीय विपक्ष के नेता ने विषय रखा है, उसको मैं मानता हूं और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। उस दृष्टि से कोई नीति और नियम अवश्य बनने चाहिए ताकि आने वाले समय में हम इन सारी चीजों को सही तरीके से मॉनिटर कर सकें। क्वालिटी के बारे में भी मैंने कहा है कि इसमें कम्प्रोमाइज करने का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। उसके साथ-साथ रेट्स को भी कन्ट्रोल करने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके अलावा इन टाइल्ज को कहां लगाना है उसके लिए भी प्रौपर गाइडलाइन्ज बनें और इनको लगाने की प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टाइल्ज लाकर बिछा दी और उसके बाद वे अपनी-अपनी दिशा में बिखर जाएं। इनको लगाने की एक स्पैसिफिक टैक्नॉलोजी है जो कि गाइडलाइन्ज में शामिल होनी चाहिए। अतः जो माननीय सदस्यों की ओर से सुझाव आया है उसको मैं स्वीकार करता हूं और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके लिए एक नीति प्रदेश सरकार की ओर से बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः एक हमारी सड़क भी थी।

मुख्य मंत्री : आपकी सड़क का ज़िक्र आ गया है। आपने बात कह दी है तो उसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके वहां पर नाबार्ड की 23 सड़कों में बीच-बीच में 63 लोकेशन्ज पर इंटरलॉकिंग टाइल्ज लगाने की बात आई है और एवरेज़ 150 मीटर है। जैसे एक पैच में टाइल्ज लगा दीं और फिर उसके बाद जहां दूसरे पैच में टाइल्ज लगाने की

जरूरत महसूस की जा रही है वहां दूसरी जगह भी लगाई गई हैं। **इस सारे विषय को हमारा लोक निर्माण विभाग एग्ज़ामिन करेगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो सुझाव है, उस पर विचार किया जाए।** ...(व्यवधान) एक-एक सड़क का ज़िक्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह नीति से संबंधित विषय है। एक सुझाव और था कि रेत और बज़री के लिए आने वाले समय में नियम के अनुसार प्रावधान होना चाहिए। इसी तरह से ईंटों की भी यही स्थिति है। जो ईंटें हम लगाते हैं उनमें कई बार ऐसी ईंटें होती हैं

10/09/2020/1625/MS/YK/2

जो अनलोडिंग के समय ही टूट जाती हैं। इसलिए क्वालिटी बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से विभिन्न स्तर पर मैकेनिज्म बने भी हैं लेकिन उनको और प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है। इसके अलावा, पंचायतों में जो रेत-बज़री हेतु टैण्डर्ज के नियम हैं उनको भी एक बार बेहतर ढंग से करने की जरूरत है क्योंकि इस बारे में बहुत जगहों से शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। उसका समाधान भी साथ-साथ में विभाग को करना है। मैं समझता हूं कि जब हमने इस बात को कह दिया है कि इन सारी बातों को लेकर नीति बनाने बारे विचार करेंगे तो मैं माननीय विपक्ष के नेता जी से आग्रह करूंगा कि वे इस संकल्प को वापिस लें।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ने इंटरलॉक टाइल्ज के ऊपर बड़े विस्तार से उत्तर दिया है। इस उत्तर के दृष्टिगत क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने को तैयार हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं और अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

अध्यक्ष : तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापिस लिया जाए?

संकल्प वापिस हुआ।

माननीय सदस्य जे0के0 द्वारा----

10.09.2020/1630/JK/YK/1

अध्यक्षः अब श्री राकेश सिंघा जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

Shri Rakesh Singha (Theog): Hon'ble Speaker, Sir, with your permission, "This House may discuss a Policy for recruitment and service conditions, other than those posts for which R&P rules exist."

अध्यक्षः तो संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "This House may discuss a Policy for recruitment and service conditions, other than those posts for which R&P rules exist."

अब इस चर्चा का शुभारम्भ श्री राकेश सिंघा जी करेंगे, जैसे कि पूर्व के संकल्पों में जिन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया उसमें अधिक-से-अधिक 10 मिनट का समय और उसके बाद जो माननीय सदस्य बोलेंगे उनके लिए 5-5 मिनट का समय दिया गया। अब इस पर माननीय राकेश सिंघा जी चर्चा करेंगे।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यहां पर ज़िक्र करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को लाने के पीछे मंशा क्या थी? मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन सच्चाई है कि कोई भी चुनी हुई सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं और इन नियुक्तियों के पीछे पहले भी तथा आने वाले समय में भी बहुत से विवाद खड़े होने की सम्भावना है। आप वार्निंग समझें या सुझाव समझें लेकिन आज समय की ज़रूरत है कि जो हमारी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को ठीक करें। पहला मकसद इस प्रस्ताव को लाने का यह है कि किसी भी नियुक्ति में जो एक किस्म का काम है, उसके दो किस्म के वेतन नहीं हो सकते सिर्फ मैं ही नहीं इस सदन के अन्दर ज़िक्र कर रहा हूं the Hon'ble Supreme Court repeatedly एक केस में नहीं अनगिनत केसिज़ में कहा है। हिमाचल के सन्दर्भ में भी कहा गया। आप याद करें कि जो दो किस्म की हिमाचल प्रदेश में नीतियां डेली वेज़िज के लिए 1993 से पहले इस्तेमाल की जाती थी। एक फाइनांस डिपार्टमैंट जो नियुक्ति करता था और जो

डिप्टी कमिशनर द्वारा नियुक्ति की जाती थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दो नीतियां एक किस्म के काम के लिए नहीं हो सकती । उसके बाद हमें हिमाचल प्रदेश के डेली

10.09.2020/1630/JK/YK/2

वेजिज़ कर्मचारियों में लाना पड़ा। एक प्रायोरिटी पर लाया गया और जो तर्क दिया जाता था कि फाइनांस विभाग डी0ए0 की किश्त जोड़ता है और डिप्टी कमिशनर या जो लेबर डिपार्टमैंट है वह उस मंहगाई की किश्त को नहीं जोड़ता, उसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया है और भी बहुत से ऐसे केसिज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर ठीक किए हैं। इसका principle equal pay for equal value of work के आधार पर उसको डील किया गया है। यही नहीं इसको लाने की ज़रुरत इसलिए भी है कि आज की तारीख़ में बहुत बड़ी संख्या है, जो कर्मचारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि पीने के पानी की सेवाएं हैं, हैल्थ की सेवाएं हैं और भी बहुत सी सेवाएं हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

10.09.2020/1635/SS-AG/1

श्री राकेश सिंघा क्रमागत :

जो संविधान के तहत किसी भी चुनी हुई सरकार की constitutional obligation है जोकि उसे निभानी पड़ती हैं। ऐसे बहुत से कर्मचारी, पता नहीं सरकार उस आंकड़े को सही तरीके से पेश कर पायेगी या नहीं कर पायेगी लेकिन इस सदन में पहले भी जिस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया था तो आज माननीय महेन्द्र सिंह जी इस सदन में नहीं हैं लेकिन उन्होंने ज़िक्र किया था कि ये आंकड़े कहां से आए। उस पर सरकार को क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि ये जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं इनकी संख्या है। किस विभाग में कितने हैं? इनकी नियुक्ति करने के क्या तौर-तरीके हैं? क्या इनकी नियुक्ति उस तरीके से हो रही है जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि चिटों पर हो रही है क्या वही तौर-तरीका अपनाया जा रहा है या इसकी नियुक्ति करने के

लिए कोई नियम है? वह स्पष्टीकरण करना होगा। अगर नियम नहीं है तभी मैंने यह प्रस्ताव इस सदन में लाया है कि कोई ऐसी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जो रूल्ज़ एंड रेगुलेशन से गवर्न न हो। भाई-भतीजावाद या कोई और क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता इस तरीक से हो कि शक की अंगुली किसी पर न उठे। इसलिए इस प्रस्ताव को सदन में लाने की मेरी मंशा है। यही नहीं, इस कोरोना के पीरियड में कर्मचारियों का बहुत-सा ऐसा सैक्शन है जिस पर ये R&P रूल्ज़ नहीं लगते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम हैल्थ प्वाइंट ऑफ व्यू से किया है। आइडेंटीफाई करने का किया है कि बाहर से कौन आया और कौन नहीं आया, इस बात की निशानदेही करने के लिए कि जो डब्ल्यू0एच0ओ0 की गाइडलाइन्स हैं या प्रोटोकोल है उसके तहत क्वांरटीन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि इसमें हमारी आशा वर्कर्स ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो टोटल आशा वर्कर्स की स्ट्रैंथ हमारे हिमाचल प्रदेश में है वह किसी रूल्ज़ एंड रेगुलेशन के तहत नहीं है। हां गाइडलाइन्स होंगी लेकिन रूल्ज़ एंड रेगुलेशन नहीं है। अगर किसी को आपत्ति पैदा होती है कि वह गाइडलाइन्स फोलो नहीं की जा रही हैं तो कम-से-कम सरकार उस नियुक्ति को दुरूस्त कर सकती है। अगर गाइडलाइन्स के तहत नहीं है तो उसमें कुछ ऐक्शन लिया जा सकता है। लेकिन उस गाइडलाइन की वॉयलेशन कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती है जहां पर न्याय मिल सकता है। इसलिए हमें उस गाइडलाइन्स को

10.09.2020/1635/SS-AG/2

परिवर्तित करना है। रूल्ज़ एंड रेगुलेशन को किसी एक्ट के जरिये लाना है। यही नहीं, इस प्रस्ताव को लाने की मेरी मंशा इसलिए भी है कि इस सैक्शन का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है और शोषण के साथ एक किस्म की लूट भी हो रही है जिसको चैक नहीं किया जा रहा है। सरकार के पास अनेकों दफा ऐसे लोग शिकायत भी करते हैं लेकिन क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है तो सरकार भी गोल-मोल उत्तर दे देती है और जो इस प्रकार की पीड़ा उन सैक्शन्ज़ के साथ होती है उसका कोई हल नहीं निकलता है। यही नहीं, इसके साथ-साथ बहुत से औद्योगिक विवाद भी खड़े हो जाते हैं जब कोई रूल्ज़ एंड रेगुलेशन नहीं होगा। तो वे औद्योगिक विवाद ऐसी परिस्थिति में तबदील हो जाते हैं जिसको आपकी परिभाषा या

सरकार की परिभाषा के जरिये कहा जाता है कि यह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है। तो यह मेरी मंशा इस प्रस्ताव को सदन में लाने की है।

जारी श्रीमती के0एस0

10.09.2020/1640/केएस/एएस/1

श्री राकेश सिंघा जारी---

अब मैं इसका ज़िक्र करना चाहता हूं कि नम्बर कितना है, जो यह पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग सैक्शन्ज़ हैं, जो आज वगैर किसी रूल के गबन किए जा रहे हैं और कई जगह तो गाइड लाइन भी नहीं है जिसके तहत इनको गबन किया जाना है। एक बहुत बड़ा सैक्शन आंगनबाड़ी का है और मैं समझता हूं कि इसकी संख्या हिमाचल प्रदेश में लगभग 38,000 होगी। अलग-अलग आंकड़े, अलग-अलग समय में पेश किए जाते हैं लेकिन7 38,000 से कम यह संख्या नहीं है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के तहत जो फैसला लिया गया है कि स्कूलों में दोपहर का भोजन देना है, जो किसी भी चुनी हुई सरकार पर एक ऑब्लिगेशन है, इसकी संख्या भी हिमाचल प्रदेश में काफी है, मैं समझता हूं कि 17 हज़ार के करीब इसकी संख्या है। इसी तरीके से आशा वर्कर्ज़ की संख्या भी हिमाचल प्रदेश में लगभग 8000 होगी। ये एक किस्म के कर्मचारी हैं। यह कहने के लिए हैं कि इनकी 5 घंटे की ड्यूटी होगी लेकिन आप इन तीनों श्रेणियों को देख लीजिए, ये 5 घंटे से अधिक कार्य करते हैं। मिड-डे मील वर्कर सिर्फ मिड-डे मील का ही काम नहीं करता, वह स्कूल में उन कार्यों को भी करता है जो चपरासी या सफाई कर्मचारी करता है। सुबह जब स्कूल खुलेगा और शाम को जब बंद होगा, वह वहीं स्कूल में उपस्थित होता है। आंगनबाड़ी वर्कर्ज़ का भी यही हाल है। कहने के लिए इनका पांच घंटे का कार्य है लेकिन सरकार के जितने भी सर्वे आते हैं, सभी के सभी सर्वे उनको करने पड़ते हैं और यहां तक कि कोरोना के दौरान मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने वे सर्वे किए लेकिन आशा वर्कर्ज़ ने तो निश्चित रूप से किए और उनको भी यही कहा जाता है कि उनका चंद घंटों का कार्य होगा लेकिन कई दफ़ा तो 8 घंटे से अधिक उनको कार्य करना पड़ता है। इसी तरीके से एक और कटैगरी कर्मचारियों

की है जिन्होंने भी कोरोना के समय बहुत अच्छा कार्य किया है और वह 108 एम्बुलैंस के कर्मचारी हैं। वह चाहे चालक है या नर्सिंग का काम करने वाले या कोई हैल्पर हों, यह सेक्शन भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा है और ये भी किसी कानून के तहत गबन नहीं होता है तो ये दूसरे category of employees हैं जो किसी सेवा शर्त के अंदर नहीं आते। तीसरा, आउट सोर्सड हैं, आउट सोर्स

10.09.2020/1640/केएस/एएस/2

कर्मचारियों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि सदन के अंदर यह चर्चा हुई है और सरकार ने यह मन्शा प्रकट की है कि हम आउटसोर्स वाली नीति बंद कर देंगे और सरकार ने स्वयं माना है कि इसमें शोषण होता है इसलिए इस नीति को बंद करना है लेकिन यह हकीकत है। जिसको सरकार छिपा नहीं सकती। यह जो path of development हमने लिया है, जिसको Neo Liberal Path of Development कहते हैं या नव उदारवाद के पार्ट को, विकास को जो कहते हैं, ये लगातार केन्द्र की तरफ से दबाव है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए। आपका काफी विषय आ गया है।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, ये लगातार केन्द्र की तरफ से दबाव है जिसके तहत आपको ये आउटसोर्स रखने हैं और हैल्थ में ये बड़े पैमाने पर हैं। आपके आई.जी.एम.सी. में 50 परसेंट से अधिक स्टाफ आउटसोर्स के माध्यम से लगाया गया है। अभी क्योंकि सैशन शुरू हो गया तो बिजली बोर्ड ने भर्ती नहीं की लेकिन उनके एजेंडे में है, 13,000 से अधिक कर्मचारी बिजली बोर्ड आउटसोर्स करने वाला है। जितनी भी कम्पनियां बिजली विभाग में आउटसोर्स कर रही हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, ई.पी.एफ. काटते हैं लेकिन ई.पी.एफ. कभी जमा तक नहीं करते हैं, यह हालात हैं। शोषण का लैवल बहुत अधिक है। यही नहीं, बहुत से ऐसे कर्मचारी भी हैं जो आई.पी.एच. में भर्ती हुए हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.9.2020/1645/av/as/1

श्री राकेश सिंघा----- जारी

और कानून कहता है कि आपको तनख्वाह 10 तारीख से पहले देनी है। लेकिन यह ऑन रिकॉर्ड है कि इन आउटसोर्स कर्मियों को 6-6, 7-7 महीनें तक तनख्वाह नहीं दी जाती। इसी तरह से सिक्योरिटी स्टाफ और होम गार्ड के कर्मी हैं जिनकी भर्ती कम्पनी के माध्यम से की जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो फोरन फंडिड एडिड प्रोजैक्ट्स आ रहे हैं चाहे हॉर्टिकल्चर की बात करें या दूसरे महकमे में आते हैं; यहां तो नियमों को बिल्कुल नहीं देखा जाता। कम्पनी वाले अपनी इच्छानुसार भर्तियां करते हैं और कब निकाल दे इस बारे में भी कुछ पता नहीं होता। इस प्रस्ताव को लाने की मंशा यह है कि मेहरबानी करके सरकार कोई नियम बनाये और वे नियम रेगुलेट होने चाहिए। सरकार का जो अपना वर्ष 2015 का ऑर्डर है और यही नहीं; समय-समय पर इस प्रकार के कई ऑर्डर आये होंगे जिनका टोटल उल्लंघन हो रहा है। मैं उसका यहां ज़िक्र करना चाहूंगा ताकि सरकार के ध्यान में यह बात रहे और मैं ऑर्डर को यहां कोट कर रहा हूं "It has come to the notice of the Government that some departments are filling-up vacant posts by engaging persons on outsourcing basis against the existing vacant posts without obtaining concurrence from the Finance Department which is in contravention of the Government instructions". पहले से नियम बने हैं मगर इन नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार की भर्ती की जा रही है उसके लिए नियम बनाये जाएं। वह सबके इंट्रस्ट में है और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इसी के साथ मैं इसको पेश करता हूं और आपका धन्यवादी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10.9.2020/1645/av/as/2

अध्यक्षः इस संकल्प के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर भी देना है इसलिए माननीय सदस्य सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी कृपया थोड़ा समय का ध्यान रखें। हमें 5.00 बजे अपराह्न तक समाप्त करना है। मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया है क्योंकि विधान सभा के पूरे परिसर को सेनेटाइज किया जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी बात जल्दी समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी ने नियम-101 के तहत जो संकल्प लाया है मैं उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

वक्त के साथ नियुक्तियों का तरीका भी बदला है और आज इस पर कोई नीतिगत फैसला करने का समय आ चुका है। देश के प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल रिक्रूटमैंट एजैंसी बनाई जिसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि किस प्रकार के इंटरव्यू होंगे और उसमें कौन-कौन से विभाग होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो बातें सिंघा जी ने कही हैं मैं उससे कुछ हटकर कहना चाहता हूं। सरकारी खज़ाने से जब कोई व्यक्ति नौकरी में लगता है तो उसके लिए विभाग द्वारा कुछ आर0 एण्ड पी0 रूल्ज बनाये जाते हैं तथा कुछ प्रशासनिक आदेशों द्वारा नियुक्तियां कर दी जाती हैं। बाद में एक ऐसा समय आता है कि हम राजनीतिज्ञों के के आगे-पीछे लोग घूमते हैं और दबाव डालते हैं। फिर आर0 एण्ड पी0 रूल्ज बनते हैं तथा उसके बाद उनकी नियुक्तियां कर दी जाती है। कुछ नियुक्तियां समय और परिस्थितियों के अनुसार कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। कुछ नियुक्तियां समय का अनुसरण करके कि इतने समय में इनको सरकारी विभाग में नियमित नौकरी देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में पहली बात यह लाना चाहता हूं कि आपने ही नियम बनायें कि क्लास-III और क्लास-IV में व्यक्तिगत इंटरव्यू नहीं होगा।

श्री टी सी द्वारा जारी

10.09.2020/1650/टी.सी.वी./ए.एस.-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ... जारी

केवल डॉक्यूमैंट बेस्ड इन्टरव्यू होगा लेकिन दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट्स ने नियम बना दिए कि डॉक्यूमैंट बेस्ट इन्टरव्यू नहीं होगा। जबकि केन्द्र सरकार और आपकी पार्टी की नीति है कि डॉक्यूमैंट बेस्ड इंटरव्यू होगा। लेकिन जो अस्थाई नियुक्तियां होती है, उसके बारे में आपने कैबिनेट में फैसला लिया और एक नियम बनाया कि हम मल्टीपर्पज वर्कर लगाएंगे। आप 4 साल बाद उनको पार्ट-टाइम में लाएंगे, उसके बाद कांट्रेक्ट पर और फिर 12 साल बाद उनको रेगुलर करेंगे। इसी प्रकार से आउटसोर्स कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिड-डे कर्मचारी भी हैं। इन सब के लिए एक नियम होना चाहिए उस नियम के तहत उनको लगाया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि किसी विभाग में नियुक्तियां करनी होती है, उनके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्ज कर देते हैं और बाद में मुश्किल खड़ी हो जाती है। आपने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे लेकिन आज तक आप उनको रेगुलर नहीं कर सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है; पुलिस वालों की हम अक्सर बात करते हैं। पुलिस विभाग में फिजिकल टैस्ट होता है, डाक्यूमैंट बेस्ड इंटरव्यू या रिटन टैस्ट होता है, उसके बाद भी उनको 8 साल बाद रेगुलर किया जाता है। जबकि अन्य विभागों में फिजिकल टैस्ट नहीं होता है, उनमें सिर्फ रिटन और डॉक्यूमैंट टैस्ट होता है और उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। उनको तीन साल के अंदर रेगुलर कर दिया जाता है। आपको इस भेदभाव को कम करना चाहिए। जो भेदभाव पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ हो रहा है, उसको भी दूर करना चाहिए क्योंकि वह तो 24 घंटे ड्यूटी देने वाले व्यक्ति हैं।

इसके अलावा अभी आपने वॉटर कैरियर का नाम चेंज किया है, ठीक किया है क्योंकि जब वे स्कूल्ज में वॉटर कैरियर लग जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा काम तो पानी भरने का है। उनके लिए नियम बने हुए हैं लेकिन जो आप मल्टीपर्पज वर्कर्ज या पम्प ऑपरेटर्ज रख रहे हैं या दूसरे विभागों में जो वर्कर्ज रख रहे हैं, उनमें कई जगह

10.09.2020/1650/टी.सी.वी./ए.एस.-2

आपने डॉक्यूमैंट बेस्ड टैस्ट रख रहे हैं और कई जगह आपने 2 नम्बर का फिजिकल टैस्ट रख दिया है। इसलिए नियुक्तियां के लिए एक नीतिगत फैसला करने की जरूरत है; नियम के अनुसार फैसला करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा द्वारा यहां पर अपना संकल्प प्रस्तुत किया गया है और इस पर चर्चा भी हुई है। अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इसका उत्तर देंगे।

10.09.2020/1650/टी.सी.वी./ए.एस.-3

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है; मैं इसका उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। ....(व्यवधान) Negi Ji, you can't force like this. मुझे इसका जवाब तो देने दीजिए। ....(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। आप बैठ जाइये।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि इनकी मंशा अच्छी है। माननीय सदस्य, श्री सिंघा जी ने जिस प्रकार से सारा विषय रखा है; एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनकी भावनाओं को जीतने के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने किया है। आपने उसकी प्रस्तुती भी बहुत प्रभावी ढंग से की है

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी ....

10.09.2020/1655/RKS/DC-1

माननीय मुख्य मंत्री... जारी

और इनमें से बहुत सारे लोगों को ये बुलाते भी हैं। विधान सभा के सत्र के समय यह बहुत अनुशासित कार्यक्रम होता है। हमें यह सबको सिखना पड़ेगा और इसके लिए मैं विपक्ष

वालों से भी कहता हूं। दो की कतार खड़ी होती है, झंडा हाथ में दिया जाता है और उस झंडे को उठाकर व्यवस्थित ढंग से आगे-आगे चले रहते हैं। इस तरह यह पूरा प्रदर्शन होता है- 'जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा।' लेकिन जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, वे अच्छी हैं। हम भी इस बात से सहमत हैं कि जो भी नियुक्ति हो वह नियम की परिधि में हों और कभी भी किसी के शोषण की गुंजाइश न हो। यह भी बात कही गई है कि एक किस्म के काम के लिए उनका वेतन भी एक समान होना चाहिए। यह एक अच्छा सुझाव है। माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने बीच में तो इनका समर्थन ही कर डाला है। मैं समझता हूं कि उस तरफ ऐसी ही मंशा हो जाती है। हम भी कहते रहते थे कि इनके लिए कोई नियम बनाओ ताकि ये नियमित हो सके। परंतु आपने उनको पीटर हॉफ के मैदान में खड़ा कर दिया और बड़े जोर से नारे लगवाए। लेकिन बाद में यह बातें वहीं तक सीमित रह गई। हम चाह रहे हैं कि किसी का शोषण न हो और इसके लिए पारदर्शिता से काम किया जाए। हम जितना हो सकेगा उतनी मदद जरूर करेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 में यह प्रावधान है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समान सुरक्षा की गारंटी रोजगार देने सहित राजकीय कार्यवाही को अपनाती है। अनुच्छेद-16 (1) और (2) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता प्राप्त करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद -16 में निर्धारित समानता के सामान्य नियमों को लागू करने का एक तरीका है जिसे इसी तरह से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए अनुच्छेद-16 नियुक्ति या पदोन्नति के मामले में कर्मचारियों के एक उचित वर्गीकरण के लिए मनाही नहीं करता बशर्ते कि वर्गीकरण उस उद्देश्य की

10.09.2020/1655/RKS/DC-2

प्राप्ति के लिए किया जाए। इसलिए जब सरकार किसी पद का सृजन करती है तो उस पद को सृजन करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के

लिए और उस पद पर सबसे उपयुक्त व्यक्ति के चयन के लिए पद का कार्य विवरण योग्यता, अनुभव इत्यादि नियमों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। योग्यता अनुभव भर्ती के तरीके आदि को निर्धारित करने की प्रक्रिया को सेवाओं पदों के लिए भर्ती व पदोन्नति नियमों के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

10.09.2020/1700/बी0एस0/डी0वी0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

संविधान का अनुच्छेद-309 यह प्रावधित करता है कि राज्य की सेवाओं में विधान मंडल सरकारी सेवाओं और पदों पर व्यक्तियों की नियुक्तियों के संबंध में सेवा शर्तों का निश्चय करेगा।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, समय का विशेष ध्यान रखें।

मुख्य मंत्री : जब तक ऐसा प्रावधान इस नियम द्वारा या किसी अधिनियम के अन्तर्गत न किया गया हो, कार्यपालिका को प्राधिकृत किया गया है कि वह ऐसी सेवाओं और पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के नियमन हेतु नियम बना सके। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा पैरा पढ़ने के लिए बचा है, मैं इसे ले कर देता हूं और माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी भावनाओं का, आपकी मंशा का हम सम्मान करते हैं। कृपया आप इस प्रस्ताव को वापिस लें।

अध्यक्ष : तो क्या माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी अपने संकल्प को वापिस लेने को तैयार हैं?

श्री राकेश सिंघा : नहीं ।

अध्यक्ष : तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस किया जाए?

(संकल्प अस्वीकार)
संकल्प वापिस हुआ।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार 11 सितम्बर, 2020 के 11:00 बजे पूर्वाहन तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 10 सितम्बर, 2020 **सचिव**